[2018] 11 एस. सी. आर. 57

स्वप्निल त्रिपाठी

वी.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1232)

26 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 19 (1) (क), 21 और 145 (4)-कार्यवाही का सीधा प्रसारण

सर्वोच्च न्यायालय में सार्वजनिक महत्व वाले मामलों की-लिखित याचिका यू/Art.32 दायर करके मांगी गई-आयोजितः खुले परीक्षण और जनता तक इसकी पहुंच एक स्वीकृत प्रस्ताव है-भारतीय कानूनी प्रणाली इसकी सदस्यता लेती है खुले न्यायालयों की अवधारणा-कला। 145 (4) यह निर्धारित करता है कि घोषणाएँ खुली अदालत में की जाएंगी-खुली अदालत की सुनवाई का पता एस से लगाया जा सकता है। 327 Cr.P.C. और s. 153 - आई. पी. सी. का बी-इस प्रकार भारत में सभी अदालतें जनता के लिए खुली हैं, सिवाय इसके कि जब न्याय के प्रशासन के लिए सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध की आवश्यकता होती है-सर्वोच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही का प्रकाशन कला के आधार पर अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति का एक पहलू है। 129 संविधान के अनुसार-न्यायालय न्याय तक पहुँच के अधिकार या खुले न्याय के अधिकार और सार्वजनिक मुकदमे, वादी के दरवाजे पर कानून के विकास और न्याय के अधिकार को जानने के अधिकार को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ले सकता है-इस प्रक्रिया में, व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग अर्थात। कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले, पत्रकार, नागरिक समाज, कार्यकर्ता, शिक्षाविद या कानून के छात्र आदि वास्तविक समय के आधार पर प्रोप्रिया व्यक्तित्व में लाइव कार्यवाही देख सकेंगे-यह पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही का प्रतीक होगा-हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग वांछनीय न हो क्योंकि यह न्याय के प्रशासन या वादियों या गवाहों की गरिमा और गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है-प्रतिस्पर्धी संवैधानिक अधिकारों के बीच संघर्ष के मामले में, संघर्ष को सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक अधिकार को अधिकतम अभिव्यक्ति दी जा सके-इसलिए,

उच्चतम न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है-उच्चतम न्यायालय की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की परियोजना होनी चाहिए

एक प्रगतिशील, संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जीवन के उद्देश्य की समग्र उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय न्याय के प्रशासन या न्यायालय की गरिमा और महिमा में हस्तक्षेप किए बिना और वादियों या गवाहों के किसी भी अधिकार पर हस्तक्षेप किए बिना धारा प्रवाहित करना-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस। 153 - बी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.327।

रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः

ए. एम. खानविलकर, जे. (अपने और दीपक मिश्रा, सीजेआई के लिए) के अनुसारः

1. न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई के दौरान खुले मुकदमे और जनता तक पहुंच एक स्वीकृत प्रस्ताव है। संबंध में

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की घोषणा, संविधान के अनुच्छेद 145 (4) में एक स्पष्ट शर्त है कि

ऐसी घोषणाएँ खुले न्यायालय में की जाएंगी। वास्तव में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष "खुली अदालत की सुनवाई" के संबंध में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं पाया गया है, लेकिन इसका पता Cr.P.C की धारा 327 और सीपीसी की धारा 153-बी जैसे प्रावधानों से लगाया जा सकता है। [पैरा 6] [71-ई-एफ]

2. अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता के सामने अदालत का सीधा प्रसारण देखने का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। कार्यवाहियाँ जो वे अन्यथा अदालतों के साजो-सामान के मुद्दों और बुनियादी ढांचे के प्रतिबंधों के कारण नहीं कर सकते थे; और उन्हें इस बात का अधिक प्रत्यक्ष अर्थ भी प्रदान करेगा कि क्या हुआ है।

इस प्रकार, तकनीकी समाधान सभी और विशेष रूप से वादियों को दिए गए न्याय तक पहुँच के अधिकार को साकार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण हो सकते हैं, ताकि उन्हें न्यायालय परिसरों में और विशेष रूप से न्यायालय कक्षों में आभासी प्रवेश प्रदान किया जा सके। इस प्रक्रिया में, व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग, चाहे वह कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले हों, पत्रकार, नागरिक समाज के कार्यकर्ता, शिक्षाविद या कानून के छात्र प्रोप्रिया व्यक्तित्व में लाइव कार्यवाही देख सकेंगे।

वास्तविक समय आधार। [पैरा 8] [73-बी-सी]

3. प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव है और वास्तव में, दुनिया भर के अन्य क्षेत्राधिकारों में इसे अपनाया गया है। कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग

कार्यवाही, एक अर्थ में, प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ है " वस्तुतः "न्यायालय कक्ष के भौतिक चार दीवारों से परे न्यायालय कक्ष क्षेत्र का विस्तार करें। प्रौद्योगिकी बढ़ती तेजी के साथ विकसित हो रही है जबकि कानून और अदालतें बहुत अधिक स्वैपनिल त्रिपाठी बनाम में विकसित हो रही हैं।

अधिक मापी गई गति। इस तरह की तकनीक को अदालतों में पेश करने और एकीकृत करने से दर्शकों को एक आभासी अनुभव मिलेगा।

अदालत कक्ष में उपस्थिति और उन्हें इसके बारे में भी शिक्षित करें

न्यायालय का कार्य। [पैरा 9] [73-ई-जी] 4. सभी को लाइव अदालत की कार्यवाही की "आभासी" पहुंच प्रदान करके, यह न्याय तक पहुंच या खुले न्याय और सार्वजनिक मुकदमे के अधिकार, जानने के अधिकार को प्रभावी बनाएगा।

कानून का विकास और वादियों के दरवाजे पर न्याय के अधिकार सहित। आखिरकार, खुला न्याय अदालत कक्ष तक केवल एक भौतिक पहुंच से अधिक हो सकता है, बल्कि यह अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में "वस्तुतः" भी किया जा सकता है और इसका समान प्रभाव पड़ता है। [पैरा 12] [102-जी-एच]

5. उच्चतम न्यायालय की अदालती कार्यवाही का प्रकाशन इस न्यायालय की अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थिति का एक पहलू है। संविधान के अनुच्छेद 129 के आधार पर, जिसके कार्य और कार्यवाही स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा, निर्धारित डिजिटल प्रारूप में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता और विशेष रूप से वादियों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि होगी। [पैरा 13] [103-ए-बी]

6. ऐसा करते समय, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस तरह न्यायालय की गरिमा और महिमा अलंघनीय है, उसी तरह मुद्दे भी अलंघनीय हैं। वादियों या गवाहों के गोपनीयता अधिकारों के संबंध में जिनके मामले सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं, साथ ही अन्य अपवादात्मक श्रेणियां

जिन मामलों में कार्यवाही का सीधा प्रसारण वांछनीय नहीं हो सकता है क्योंकि यह स्वयं न्याय के प्रशासन के कारण को प्रभावित कर सकता है, ऐसे मामले हैं जिनकी पहचान करने और एक उचित नियामक की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम तैयार करके इस संबंध में रूपरेखा प्रदान की जानी चाहिए। [पैरा 13] [103-सी]

7. प्रतिस्पर्धी संवैधानिक अधिकारों के बीच संघर्ष के मामले में, प्रत्येक अधिकार को अधिकतम अभिव्यक्ति देने के लिए इस तरह के संघर्ष को सुसंगत बनाने के लिए एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए।

अन्य अधिकारों पर अतिक्रमण को कम करना। सी. आर. पी. सी. की धारा 327 और सी. पी. सी. की धारा 153-बी के संदर्भ में केवल

अदालत द्वारा निर्देशित मामलों की सुनवाई कैमरे में की जा सकती है और आम जनता को अदालत भवन [2018] 11 एस. सी. आर. में जाने या रहने से वंचित किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा उपयोग किया गया। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक मामले की सुनवाई को एक खुला न्यायालय माना जाता है जिसमें आम तौर पर जनता की पहुंच हो सकती है। हालाँकि, आम जनता द्वारा सुनवाई तक पहुँच अदालत कक्ष के आकार और क्षमता तक सीमित होगी। अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण के आधार पर, यह अदालत कक्ष की चार दीवारों से परे सार्वजनिक हो जाएगा, जिस पर किसी दिए गए मामले में, कार्यवाही के पक्षकार या गवाह को वास्तविक आपत्ति हो सकती है और वह निजता और गरिमा के अधिकार का दावा कर सकता है। इस तरह के दावे की जांच संबंधित न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए और किस कारण से, एक न्यायसंगत नियामक

लाइव स्ट्रीम की जाने वाली कार्यवाही के लिए पक्षों की पूर्व सहमति प्राप्त करने सहित रूपरेखा प्रदान की जानी चाहिए। [पैरा 13] [103-डी-एफ]

8. न्यायालय व्यापक दिशानिर्देशों से सहमत है

भारत के महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए उच्चतम न्यायालय में अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण के लिए। उच्चतम न्यायालय की अदालती कार्यवाही को "इंटरनेट" और/या रेडियो और टीवी पर लाइव ऑडियो-विजुअल प्रसारण/प्रसारण के माध्यम से सार्वभौमिक रूप से दूरदर्शन जैसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की परियोजना, जिसके पास विशेष प्रसारण अधिकार और/या अदालत की आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन है, को प्रगतिशील, संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय कि लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य

कार्यवाहियों को समग्र रूप से प्राप्त किया जाता है और यह न्याय के प्रशासन या मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की गरिमा और महिमा में हस्तक्षेप नहीं करता है और/या किसी भी अधिकार को बाधित नहीं करता है।

वादी या गवाह। पूरी परियोजना होनी चाहिए उप-चरणों या चरणों वाले कुछ चरणों के साथ चरणों में निष्पादित किया जाता है। [पैरा 14] [103-जी-एच; 104-ए-बी]

9. सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक पूर्ण-स्तरीय मॉड्यूल और तंत्र तक

"इंटरनेट" विकसित हुआ है, यह पता लगाने के लिए खुला होगा

"इंट्रानेट" के माध्यम से इस न्यायालय की सीमा के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्रों में लाइव स्ट्रीमिंग के चरण-I के कार्यान्वयन की संभावना एक पायलट परियोजना के रूप में आवंटित पासवर्ड का उपयोग करके। पूरी परियोजना के कुशल प्रबंधन के लिए किए जाने वाले अन्य उपायों को ध्यान में रखना वांछनीय हो सकता है। [पारस 15,16] [105-डी, जी] स्वप्निल त्रिपाठी बनाम।

10. इस प्रकार, व्यापक लोक हित में मुख्य पात्रों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लाया गया मुद्दा स्वीकृति का पात्र है ताकि जनता और विशेष रूप से वादियों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखा जा सके। यह स्वीकार करते हुए कि अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और उसने न्याय के प्रशासन के संबंध में विभिन्न हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है, जिसमें खुले न्याय, गरिमा और कार्यवाही के लिए प्रतिभागियों की गोपनीयता और न्यायालयों की महिमा और गरिमा शामिल हैं। [पैरा 18] [107-सी-डी]

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। [1966] 3 एस. सी. आर. 744-निर्भर।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (सहमत):

1.1 खुला न्याय सामान्य विधि प्रणालियों का एक लंबे समय से स्थापित सिद्धांत है। यह एक उदार लोकतंत्र में एक उच्च पायदान पर स्थित है

' यह देश के संविधान और न्याय प्रशासन का एक मजबूत और बहुत पवित्र हिस्सा है। [पैरा 3] [108-एफ]

स्कॉट बनाम स्कॉट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, [1913] ए. सी. 417 473 पर; आर (बिन्यम मोहम्मद) बनाम विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव, कनलिफ एम्मा, "ओपन जस्टिसः अवधारणाएँ और न्यायिक दृष्टिकोण ", (2012) 40 फेड एल रेव 385-संदर्भित।

1.2 खुले न्याय के सिद्धांत में कई शामिल हैं

ऐसे पहलू जो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन और कानून के शासन के लिए केंद्रीय हैं। इसके प्रक्रियात्मक और मूल दोनों आयाम हैं, जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। खुले न्याय में कई उपदेश शामिल हैं: एक इच्छुक व्यक्ति को एक दर्शक के रूप में अदालत में उपस्थित होने का अधिकार; अदालत की कार्यवाही की पूर्ण, निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना; न्यायाधीशों का कर्तव्य कि वे तर्क दें

निर्णय; और न्यायालयों के निर्णयों तक सार्वजनिक पहुंच। [पैरा 5] [109 एफ-जी; 110-ए-बी] 1.3 एक खुले न्यायालय का सिद्धांत खुले न्याय की व्यापक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आयाम है। खुले कोर्ट

जनता को अदालत की कार्यवाही देखने की अनुमति दें। खुले न्यायालयों का विचार जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है

न्याय का प्रशासन। खुली अदालतें न्यायिक कार्यवाही में निर्णय की प्रक्रिया पर रोक सुनिश्चित करती हैं। अदालती कार्यवाही के बारे में प्रचार न्यायाधीशों की आकस्मिकता को रोकने के लिए एक तंत्र है। [पैरा 5] [110-बी, सी-डी, ई] [2018] 11 एस. सी. आर.

1.4 खुली अदालतें न्यायिक मनमानेपन या विशिष्टता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह जनता में विश्वास पैदा करने में मदद करता है

न्याय का प्रशासन। न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि अदालतें कैसे काम करती हैं। खुली अदालतें जनता के लिए न्यायपालिका के बारे में उचित धारणाओं को विकसित करना संभव बनाती हैं, जिससे वे सीधे न्यायिक व्यवहार और किसी मामले की प्रक्रियाओं और परिणामों का निरीक्षण कर सकते हैं। [पैरा 6] [111 ए-बी]

1.5 न्यायपालिका और न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता का विश्वास कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है

और सामाजिक ताने-बाने की स्थिरता बनाए रखना। अदालत में लोगों की पहुंच का मतलब है कि जनता अदालत में विवादों को हल करने और न्यायिक आदेशों का पालन करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। खुली अदालतें वादियों और जनता के सदस्यों को अदालत की कार्यवाही देखने की अनुमति देकर जनता के विश्वास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती हैं और

यह सुनिश्चित करें कि न्यायाधीश कानून को निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से लागू करें। [पैरा 7] [112-डी-ई, एफ]

ए. जी. वी. लेवलर पत्रिका [1979] एसी 440; ग्रोलो बनाम। पामर [1995] एच. सी. ए. 2; रिचमंड न्यूजपेपर्स, इंक. बनाम।

वर्जीनिया 448 यू. एस. 555 (1980)-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, 1990, पृष्ठ 1091; द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 10 वां संस्करण, 2014, पृष्ठ

1263 - संदर्भित किया गया।

2.1 खुली अदालतों की अवधारणा भारतीयों के लिए अलग नहीं है।

कानूनी प्रणाली। संविधान ने अनुच्छेद 145 (4) में अवधारणा को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक खुला न्यायालय होगा। सी. पी. सी. की धारा 153-बी और आई. डी. 1 की धारा 327 भारत में सभी दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के लिए खुली अदालतों के सिद्धांत का विस्तार करती है। [पैरा 8] [112-डी-ई]

2.2 इसलिए, भारत में सभी अदालतें जनता के लिए खुली हैं और खुली अदालतों के रूप में कार्य करती हैं, सिवाय तब जब न्याय के प्रशासन के लिए अदालत में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है। भारत में खुली अदालतों का सिद्धांत उन अपवादों को मान्यता देता है जो न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के हित में हैं। [पैरा 8] [112-डी-ई]

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। [1966] 3 एस. सी. आर. 744; ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम (1985) 3 एस. सी. सी. 545:

[1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 51-अनुसरण किया गया।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। प्रो. मनुभाई। डी. शाह (1992) 3 एससीसी 637: [1992] 3 एस. सी. आर. 595; मो. शहाबुद्दीन बनाम। बिहार राज्य (2010) 4 एससीसी 653:

स्कॉट वी. स्कॉट-संदर्भित।

2.3 अदालती सुनवाई तक पहले हाथ की पहुंच जनता को सक्षम बनाती है

और वादियों को न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच संवाद देखने और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में एक सूचित राय बनाने के लिए। भारत में समाज के एक बड़े वर्ग को शायद ही कभी अदालती कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह गरीबी, निरक्षरता, दूरी, लागत और जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं के कारण है।

अदालती कार्यवाही। वादी वकीलों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। अन्य, जो मुकदमेबाजी में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं, न्यायिक निर्णयों के बारे में प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करते हैं।

समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब मामलों का विवरण सटीक और व्यापक होता है, तो यह खुले न्याय का कार्य करता है। हालाँकि, यदि न्यायिक सुनवाई पर कोई रिपोर्ट गलत है, तो यह जनता के जानने के अधिकार में बाधा डालती है। अदालतें, हालांकि कानून में खुली हैं और वास्तव में, व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन से बहुत दूर हो जाती हैं। यह विसंगत है क्योंकि अदालतें मुख्य रूप से उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। [पारस 12,13] [117-एफ-जी; 118-ए-बी] 3.1 प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, अब इसके बारे में जानकारी देने के लिए केवल मीडिया पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

न्यायिक प्रक्रिया बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपनाई गई तकनीक अधिक सुलभ, संगठित, पारदर्शी और सरल। [पैरा 14,16] [118-बी-सी, डी, एफ-जी]

कृष्ण वेणी नागम बनाम। हरीश नागम (2017) 4 एस. सी. सी.

150 [2017] 5 एस. सी. आर. 513;

संथिनी बनाम विजय वेंकटेश (2018) 1 एस. सी. सी. 1-संदर्भित

को।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.2 भारतीय न्यायपालिका ने ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट (ई-कोर्ट प्रोजेक्ट) के तत्वावधान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) को शामिल किया है। यह है राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन. ई. जी. पी.) का एक हिस्सा रहा है जिसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लागू किया गया है। [पैरा 17] [120-सी]

3.3 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और भारत सरकार के न्याय विभाग ने ई-कोर्ट परियोजना के उचित प्रबंधन के माध्यम से भारत में जिला न्यायपालिका में 21,000 न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित की है। [पैरा 17] [120-ई]

3.4 एकल एकीकृत केस सूचना प्रणाली (सी. आई. एस.) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और पूरे जिले को उपलब्ध कराया गया है।

भारत में न्यायपालिका, स्थानीय प्रक्रियाओं, प्रथाओं और भाषाओं के संदर्भ में देश की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सी. आई. एस. संस्करण 3 सभी जिला और तालुका न्यायालयों में उपलब्ध कराया गया है। 15 उच्च न्यायालय पहले से ही सी. आई. एस. संस्करण 1 से लैस हैं। ई-समिति ने न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण अभ्यास किए। इस परियोजना का संचालन और प्रबंधन अदालत के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और

कर्मचारियों को कंप्यूटर के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाता है। [पैरा 17] [121-सी-डी]

3.5 ई-कोर्ट पोर्टल; मोबाइल ऐप; एस. एम. एस. पुश; एस. एम. एस. पुल; स्वचालित ई-मेल; टच स्क्रीन कियोस्क और सेवा केंद्र; ई-भुगतान और ई-फाइलिंग जैसे सेवा वितरण के लिए मंच बनाए गए हैं। [पैरा 17 सी. 3] [121-ई, जी; 122-ए, बी, सी, डी, ई, एफ]

3.6 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन. जे. डी. जी.) सार्वजनिक है।

पोर्टल जो पूरे भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित और निपटाए गए मामलों का डेटाबेस प्रदान करता है। एनजेडीजी पोर्टल एनजेडीजी। इकोर्स। गव. यह सभी नागरिकों को विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के आंकड़ों को देखने की अनुमति देकर न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता प्रदान करता है। विश्व बैंक ने भी एन. जे. डी. जी. को एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में स्वीकार किया है। यह एक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा गोदाम के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग विधायी नीति को आकार देने के लिए किया जा सकता है। न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए बनाई गई अन्य सुविधाओं में (एन. एस. टी. ई. पी.) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और न्याय की निगरानी शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। [पैरा 17 सी. 4 और सी. 5] [122-जी-एच; 123-ए, सी-डी] स्वप्निल त्रिपथी बनाम।

3.7 प्रौद्योगिकी में प्रगति और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने कंप्यूटर, टैब और मोबाइल जैसे उपकरणों में लाइव या पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो फ़ीड के प्रसारण की सुविधा प्रदान की है। प्रत्यक्ष वेबकास्ट या वास्तविक समय में अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग को उपलब्ध तकनीकी समाधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। लाइव वेबकास्ट या स्ट्रीमिंग संचार के लिए सबसे तेज़ तरीका है और भौगोलिक रूप से फैले हुए लोगों को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है।

दर्शक। [पैरा 17] [123-ई]

3.8 समय आ गया है कि इस न्यायालय को प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए और इसका सीधा प्रसारण करना चाहिए।

कार्यवाही। अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण खुली अदालतों के सिद्धांत का विस्तार है। लाइव-स्ट्रीमिंग में एक बटन के स्पर्श से बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता होगी। यह वादियों और जनता के सदस्यों को अदालत की कार्यवाही का आभासी अनुभव प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगा।

अदालत परिसर के बाहर। [पैरा 17] [123-एफ-जी] 3.9 लाइव-स्ट्रीमिंग की तकनीक अदालत की कार्यवाही में कट्टरपंथी तात्कालिकता का संचार करती है। लाइव का परिचय

न्यायालय और न्यायिक सुनवाई का क्रम। अदालती कार्यवाही को देखने से एक शैक्षिक उद्देश्य भी पूरा होगा। सीधा प्रसारण और प्रसारण से अदालतों की पहुंच भी बढ़ेगी क्योंकि यह देश के हर हिस्से तक पहुंच सकता है। यह कानून के शासन को बढ़ाएगा और लोकतंत्र के कामकाज के हिस्से के रूप में कानूनी शासन की बेहतर समझ को बढ़ावा देगा। यह हटा देगा। जनता को अदालत कक्ष परिसर के बाहर से कार्यवाही देखने में सक्षम बनाकर अदालत की कार्यवाही को देखने के लिए भौतिक बाधाएं। इससे भीड़भाड़ भी कम होगी जो वर्तमान में परेशान कर रही है।

अदालत कक्ष। इससे वादियों को अपने मामलों की कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए अदालतों की यात्रा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह न्यायिक संस्थानों और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों की जवाबदेही बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। देरी करें न्याय का वितरण गंभीर चिंता का विषय है। अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता के सदस्यों को स्थगन के कारणों और सुनवाई में देरी के कारणों के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा। इन सबसे ऊपर, एक विस्तार के रूप में लाइव-स्ट्रीमिंग [2018] 11 एस. सी. आर.

खुली अदालतों के सिद्धांत से यह सुनिश्चित होगा कि आभासी वास्तविकता के साथ अदालत की सुनवाई के बीच संपर्क के परिणामस्वरूप व्यापक संभव अर्थों में जानकारी का प्रसार होगा।

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना। [पैरा 18] [123-एच; 124-ए-बी, सी, डी, ई-जी; 124-बी] 4. न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कई देशों में अदालती कार्यवाही का प्रसारण हुआ। इसके अलावा, अधिकांश

क्षेत्राधिकार कुछ सामान्य प्रथाओं का पालन करते हैं जैसे (i) प्रत्यक्ष प्रसारण में न्यूनतम देरी; (ii) अदालत के साथ कॉपीराइट का प्रतिधारण; (iii) शुरू करने से पहले एक पायलट परियोजना का संचालन करना।

सभी मामलों के लिए प्रसारण; (iv) कुछ श्रेणियों के मामलों को छोड़कर जहां न्याय के हित यह सुनिश्चित करते हैं कि सुनवाई वेबकास्ट या स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए; और (v) शक्ति प्रदान करना।

प्रत्यक्ष प्रसारण को विनियमित करने के लिए पीठासीन न्यायाधीश पर। प्रत्येक क्षेत्राधिकार की सीमाओं का एक समूह होता है जिसके अधीन प्रसारण होता है। प्रसारण की अनुमति आमतौर पर तब नहीं दी जाती है जब यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है। [पैरा 20] [134-डी-एफ]

5. अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण स्पष्ट रूप से जनहित में है। यह खुले न्याय के सिद्धांत का विस्तार है। और अदालतें खोलें। हालांकि, लाइव-स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक संरचित दिशानिर्देशों के अधीन होनी चाहिए। प्रारंभ में, एक प्रायोगिक परियोजना लगभग तीन महीने के लिए लाइव द्वारा संचालित की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में केवल राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मामलों को प्रसारित करना। उत्तरोत्तर, जैसे-जैसे बुनियादी ढांचा तैयार होता है, यह न्यायालय सभी मामलों (जिन्हें बाहर रखा गया है उन्हें छोड़कर) को कवर करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के दायरे का विस्तार कर सकता है। [पैरा 21] [134-एफ-जी; 135-ए-बी]

6. न्याय तक पहुँच वादी के पाठ्यक्रम को देखने, सुनने और समझने में सक्षम होने के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है।

कार्यवाही पहले हाथ। इसके अलावा, लाइव-स्ट्रीमिंग एक उत्तरदायी न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि यह उन लोगों की चिंताओं के प्रति जवाबदेह है जो न्याय चाहते हैं। लाइव-स्ट्रीमिंग न्यायसंगत प्रक्रिया में बार सहित अन्य हितधारकों की जवाबदेही स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा, सरकार

क्योंकि सबसे बड़े वादी को न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होती है। अदालती कार्यवाही के बारे में जानकारी और जानकारी का पूर्ण प्रसार स्वप्निल त्रिपाठी v.

इस प्रकार न्याय के उचित प्रशासन में हितधारकों और समाज के विविध हितों का समर्थन करता है। [पैरा 23] [135-बी-जी]

7. कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग की आवश्यकता इसके साथ लागू होती है

जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों में मामलों की कार्यवाही के लिए समान और कुछ मामलों में अधिक बल। यह जिला न्यायपालिका में शामिल न्यायालयों के लिए है कि नागरिक अन्याय को दूर करने के लिए पहली पहुंच के रूप में मुड़ते हैं। पिरामिडक नोक पर एहि न्यायालयक अधिकार क्षेत्र अछि। मात्रा के संदर्भ में, मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी मात्रा जिला न्यायपालिका में होती है, जिसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं। नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्यायों को हल करने में जिला न्यायपालिका की भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को उन अदालतों के समक्ष कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समान रूप से, एक खुली अदालत के सिद्धांत के अनुसार उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सराहना की जानी चाहिए कि वे उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिकाओं दोनों में चरणों में लाइव-स्ट्रीमिंग को अपनाने पर विचार करें।

उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी सहायता के अनुरूप। उच्च न्यायालयों को उचित नियम बनाकर ऐसा करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित करने होंगे। [पारस 22,24] [135-बी-डी; 136-बी] 8. इस न्यायालय की कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए तौर-तरीकों को निर्धारित करने पर उचित रूप से विचार किया जा सकता हैः

नियम जो अनुच्छेद 145 (1) के अनुसरण में बनाए जाने चाहिए। न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को आम तौर पर विनियमित करना इसका विस्तार लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाने तक होगा। [पैरा 25] [136-ई]

9. मॉडल दिशानिर्देश एक सुझाए गए प्रकृति के हैं और इसके तहत नियम बनाने के लिए न्यायालय के अधिकार से विचलित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 145 (1) सभी तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए, जिसमें (i) वे चरण जिनमें लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की जाएगी; (ii) उन मामलों के प्रकार जिनके लिए मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी। बशर्ते; (iii) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकृत करना; (iv) वे एजेंसियां जिनके माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग को लागू किया जाएगा; (v) कार्यान्वयन के लिए अन्य पहलू; और (vi) फीड के उपयोग के लिए मानदंड निर्धारित करना। [पैरा 9] [137-सी-डी]

10. उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और अन्य न्यायिक घटनाओं के प्रसारण के लिए आदर्श दिशा-निर्देश सुझाए गए हैं। भारत के बारे में: किस तरह के मामलों का सीधा प्रसारण किया जाना है; तरीका [2018] 11 एस. सी. आर.

लाइव-स्ट्रीमिंग; लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए तकनीकी विनिर्देश; और संग्रह। रजिस्ट्री कार्यवाही के प्रसारण के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के परिसर के भीतर एक या अधिक कमरे या एक कक्ष उपलब्ध कराएगी। वादियों, पत्रकारों, प्रशिक्षुओं, आगंतुकों और वकीलों को प्रसारण कक्ष (ओं) में अदालत की कार्यवाही देखने में सक्षम बनाने के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ कई स्क्रीन लगाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। [पैरा 26] [137 डी-ई; 138-डी; 139-सी-डी; 140-ए]

11. सर्वोच्च न्यायालय इस पर अनन्य कॉपीराइट रखेगा।

ऑनलाइन स्ट्रीम किए गए और रजिस्ट्री के साथ संग्रहीत किए गए वीडियो; और किसी भी रूप में पुनः उपयोग, कब्जा, पुनः संपादन या पुनर्वितरण, या व्युत्पन्न कार्य बनाना या प्रसारण या वीडियो फुटेज का संकलन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि उपयोग के नियमों और शर्तों में अधिसूचित किया जाए और उपयोग की लिखित अनुमति के बिना।

रजिस्ट्री। [पैरा 26] [140-ई-एफ]

मामला कानून संदर्भ

ए. एम. खानविलकर के निर्णय में, जे.

[1966] 3 एससीआर 744

उस पर भरोसा करें

पै

रा 1

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्णय में, जे.
[1966] 3 एससीआर 744

पीछा किया।

पै

रा 9

[1985] 2 पूरक। एससीआर 51

पीछा किया।

पै

रा 10

[1992] 3 एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2010] 3 एससीआर 911

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2017] 5 एससीआर 513

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(2018) 1 एससीसी 1

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1232 2017 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 66 , 861 और 2018 का 892। सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शादन फरासत, सुश्री नेहमत कौर, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सुश्री रुद्राक्षी देव, विराग गुप्ता, सुश्री अर्चना पाठक दवे, पी. के. सेठ, सुश्री वन्या गुप्ता, ओमप्रकाश परिहार, जमशेद मिस्त्री, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, पी. के. डे, श्रीमती माधवी दीवान,

सुश्री श्रद्धा देशमुख, ए. के. शर्मा, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

स्वप्निल त्रिपाठी (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता)

ए. सी. फिलिप (याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत)
अमृत पाल सिंह खालसा (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता)

अमन शेखर (व्यक्तिगत रूप से आवेदक)
बायरन सेक्वीरा (आवेदक-व्यक्तिगत रूप से)

आयुष प्रकाश (आवेदक-व्यक्तिगत रूप से)

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे
ए. एम. खानविलकर, जे. 1. याचिकाकर्ताओं और

हस्तक्षेप करने वालों ने, सार्वजनिक भावना वाले व्यक्ति होने का दावा करते हुए, यह घोषणा करने की मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही "संवैधानिक" है।

बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में लोगों पर प्रभाव डालने वाले महत्व को इस तरह से लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए जो जनता के देखने के लिए आसानी से सुलभ हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए योग्य असाधारण मामलों के निर्धारण को सक्षम करने और उन दिशानिर्देशों को इस न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आगे निर्देश देने की मांग की गई है। इन प्रार्थनाओं को समर्थन देने के लिए, नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य मामलों में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर भरोसा किया गया है। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , ' जिसे अन्य बातों के साथ-साथ पत्रकारों के इस तर्क पर विचार करने का अवसर मिला है कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपना व्यवसाय जारी रखने का मौलिक अधिकार था; कि उन्हें अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत अदालत में कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार था; और यह कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार में उन कार्यवाही की एक वफादार रिपोर्ट प्रकाशित करने का उनका अधिकार शामिल था जिसे उन्होंने अदालत में देखा और सुना था।

पत्रकारों के रूप में। न्यायालय ने उक्त तर्क पर विचार करते हुए न्यायालयों की वैधता और प्रभावशीलता को बनाए रखने और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए खुले परीक्षणों की प्रभावशीलता पर जोर दिया

1 (1966) 3 एससीआर 744 [2018] 11 एस. सी. आर.

और समर्थन। खुली अदालतों में मामलों की सुनवाई की प्रभावशीलता के बारे में प्रस्तावित उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को निम्नलिखित शब्दों में पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

" 20 ... . यह सर्वसम्मत है कि आम तौर पर, न्यायालयों के समक्ष लाए गए सभी मामलों, चाहे वे दीवानी हों, आपराधिक हों, या अन्य, की सुनवाई खुले न्यायालय में की जानी चाहिए। खुली अदालत में सार्वजनिक सुनवाई निस्संदेह आवश्यक है

न्याय का स्वस्थ, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन। सार्वजनिक जांच और दृष्टि के अधीन आयोजित मुकदमा स्वाभाविक रूप से न्यायिक सनक या अनियमितताओं के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है, और न्याय के प्रशासन की निष्पक्षता, निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक

न्याय के प्रशासन में इतना बड़ा विश्वास है

इसका महत्व है कि व्यापक रूप से कोई दो राय नहीं हो सकती हैं

यह प्रस्ताव कि न्यायिक न्यायाधिकरणों के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, अदालतों को आम तौर पर कारणों को खुले तौर पर सुनना चाहिए और अदालत कक्ष में सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। जैसा कि बेंथम ने देखा हैः

' गोपनीयता के अंधेरे में भयावह रुचि, और हर चीज़ में बुराई

आकार लें, पूरी तरह से झूलें। केवल प्रचार के अनुपात में ही न्यायिक अन्याय पर लागू कोई भी जाँच संचालित हो सकती है। जहाँ प्रचार नहीं है वहाँ न्याय नहीं है। प्रचार है

न्याय की बहुत आत्मा। यह परिश्रम के लिए सबसे तीव्र प्रेरणा है, और आशुरचना के खिलाफ सभी रक्षकों में से सबसे निश्चित है। यह मुकदमे के तहत प्रयास करते समय न्यायाधीश को स्वयं रखता है (इस अर्थ में कि) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति प्रचार है। (स्कॉट वी. स्कॉट [(1911) ऑल। ई. आर. 1,30]) "

2. वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त न्याय तक पहुँच का अधिकार या चाहे वह दरवाजे पर न्याय की अवधारणा हो,

यह तभी सार्थक होगा जब जनता को कार्यवाही तक पहुंच प्राप्त हो क्योंकि यह अदालतों के समक्ष सामने आएगी और विशेष रूप से, बड़े पैमाने पर जनता या लोगों के वर्ग पर प्रभाव डालने वाले मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष कार्यवाही देखने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें उन मुद्दों के बारे में शिक्षित करेगा जो वास्तविक समय के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आते हैं।

3. चूँकि किसी भी व्यक्ति को कानून की अज्ञानता का अनुरोध करते हुए नहीं सुना जा सकता है,

इस न्यायालय के समक्ष मामलों के निर्णय की प्रक्रिया में होने वाले कानून के विकास सहित कानून और उसके विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य पर संबंधित दायित्व। जानकारी जानने और प्राप्त करने का अधिकार, जो अब अच्छी तरह से तय हो चुका है, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक पहलू है और

इस कारण से जनता को स्वैपनिल त्रिपाठी बनाम के मुद्दों से जुड़ी अदालती कार्यवाही का गवाह बनने का अधिकार है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बड़े पैमाने पर जनता या जनता के एक वर्ग पर प्रभाव डालना, जैसा भी मामला हो। जानकारी प्राप्त करने और सूचित होने का यह अधिकार है लोगों की गरिमा के मूल्य से समर्थित। प्रस्तावकों में से एक ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि देश भर में अदालतों के समक्ष लंबित बड़ी संख्या में मामलों में शामिल वादियों को लाभ होगा यदि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही तक पहुंच संभव हो जाती है। इससे देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में अदालतों में मुकदमेबाजी में शामिल कई व्यक्ति गवाही देने के लिए नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से अदालतों में जाने से बच सकेंगे।

सुनवाई और इसके बजाय बिना छुट्टी लिए अपने दैनिक कार्य में भाग ले सकते हैं।

4. चूंकि बहस ने महत्वपूर्ण मुद्दों को सक्रिय कर दिया है, इसलिए हमने अनुरोध किया था

उनके साथ-साथ याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव और एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक व्यापक नोट प्रस्तुत करें, यदि रिट याचिकाओं में दावा की गई राहत दी जानी थी। हम थोड़ी देर बाद इसका विज्ञापन करेंगे।

5. हमने श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल, सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विराग गुप्ता विद्वान वकील, श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, विद्वान अधिवक्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हुए सुना है। 6. निर्विवाद रूप से, न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई के दौरान खुले मुकदमे और जनता तक पहुंच एक स्वीकृत प्रस्ताव है। जहां तक बात है

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की घोषणा, संविधान के अनुच्छेद 145 (4) में एक स्पष्ट शर्त है कि ऐसी घोषणाएं खुले न्यायालय में की जाएंगी। वास्तव में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष "खुली अदालत की सुनवाई" के संबंध में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं पाया गया है, लेकिन इसका पता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आर. पी. सी.) की धारा 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 153-बी जैसे प्रावधानों से लगाया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:

धारा 327 दंड प्रक्रिया संहिता

" 327. कोर्ट खुला रहेगा। - (1) जिस स्थान पर कोई आपराधिक न्यायालय किसी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, उसे एक खुला न्यायालय माना जाएगा, जिसके लिए आम तौर पर जनता

पहुँच हो सकती है, जहाँ तक वह आसानी से हो सकती है

उन्हें;

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह सोचता है, किसी विशेष [2018] 11 एस. सी. आर. में किसी भी जांच या मुकदमे के किसी भी स्तर पर आदेश देना।

मामला, कि आम तौर पर जनता, या किसी विशेष व्यक्ति को, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन तक पहुँच नहीं होगी, या उसमें रहने या रहने की अनुमति नहीं होगी।

अदालत।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

धारा 376, धारा 376-ए, धारा 376-बी, धारा 376-सी [भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी या धारा 376-ई (1860 का 45)] के तहत बलात्कार के मुकदमे या अपराध की जांच की जाएगी।

कैमरे में,

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को अनुमति दे सकता है।

द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत तक पहुँच प्राप्त करना, या उसमें रहना या रहना

न्यायालय;

[बशर्ते कि कैमरा ट्रायल एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा यथासंभव व्यावहारिक रूप से संचालित किया जाएगा।] (3) जहां कोई कार्यवाही उप-धारा (2) के तहत आयोजित की जाती है, वह

किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को छोड़कर ऐसी किसी कार्यवाहियों के संबंध में

न्यायालय की अनुमतिः]

धारा 153-बी सीपीसी " 153 - बी. मुकदमे का स्थान खुला न्यायालय माना जाएगा। - जिस स्थान पर कोई दीवानी न्यायालय किसी मुकदमे की सुनवाई के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, उसे एक खुला न्यायालय माना जाएगा, जिसके लिए आम तौर पर जनता की पहुंच हो सकती है जहां तक वे आसानी से उन्हें समाहित कर सकते हैंः

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो किसी विशेष मामले की किसी भी जांच या मुकदमे की किसी भी स्थिति में आदेश दे सकता है कि आम तौर पर जनता या किसी विशेष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन में प्रवेश करने या रहने या रहने का अधिकार नहीं होगा।

7. विशेष रूप से, नरेश श्रीधर मिराजकर (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कुछ शब्दों में स्पष्ट किया कि खुले मुकदमे का नियम है, लेकिन उस समय, आगाह किया कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां प्रशासन स्वयं ही न्यायालयों के लिए बंद कमरे में रुकना आवश्यक बना सकता है।

इस न्यायालय या भारत में किसी अन्य न्यायालय की अदालती कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण की अवधारणा को लागू करने से पहले उचित और संतुलित नियामक ढांचा तैयार किया जाता है।

8. निस्संदेह, अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता के सामने अदालत का सीधा प्रसारण देखने का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। कार्यवाहियाँ जो वे अन्यथा अदालतों के साजो-सामान के मुद्दों और बुनियादी ढांचे के प्रतिबंधों के कारण नहीं कर सकते थे; और उन्हें इस बात का अधिक प्रत्यक्ष अर्थ भी प्रदान करेगा कि क्या हुआ है। इस प्रकार, तकनीकी समाधान सभी और विशेष रूप से वादियों को दिए गए न्याय तक पहुँच के अधिकार को साकार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण हो सकते हैं, ताकि उन्हें न्यायालय परिसरों में और विशेष रूप से न्यायालय कक्षों में आभासी प्रवेश प्रदान किया जा सके। इस प्रक्रिया में, व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग, चाहे वह कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले हों, पत्रकार, नागरिक समाज के कार्यकर्ता, शिक्षाविद या छात्र। कानून के अधिकारी वास्तविक रूप में प्रोप्रिया व्यक्तित्व में लाइव कार्यवाही देख सकेंगे।

भारत में बड़ी संख्या में या बड़ी संख्या में लोगों के लिए, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जैसा कि पूरे बार में सुझाव दिया गया है। 9. प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव है और वास्तव में इसे देश भर के अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनाया गया है।

जवाबदेही, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों को समायोजित करने के लिए कमरों की चार दीवारों को पार करते हुए अदालत कक्षों का दृश्य खोलें। परिचय और इस तरह की तकनीक को अदालत कक्षों में एकीकृत करने से दर्शकों को अदालत कक्ष में आभासी उपस्थिति मिलेगी और उन्हें इसके बारे में शिक्षित भी किया जाएगा।

10. हमें जल्दबाजी में यह जोड़ना चाहिए कि राष्ट्रीय न्याय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था ऑडियो वीडियो शुरू करने के प्रस्ताव पर वितरण और कानूनी सुधार [2018] 11 एस. सी. आर.

न्यायालयों में प्रायोगिक आधार पर अभिलिखित करना। 26 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में यह उल्लेख किया गया कि न्यायालय की कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नीति और कार्य योजना दस्तावेज में प्रस्ताव किया गया था।

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए चरण II। लेकिन बैठक में

8 जनवरी, 2014 को आयोजित ई-समिति के इस मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इसके लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी। वास्तव में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों के साथ परामर्श न्यायालय की कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए नियम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय की गरिमा और महिमा संरक्षित है, और साथ ही, वादियों या गवाहों की गोपनीयता और गोपनीयता की चिंताओं को दूर किया जा सके, वाणिज्यिक विवादों में व्यावसायिक गोपनीयता से संबंधित मामले जिनमें केंद्रीय या राज्य विधानों द्वारा निर्धारित कार्यवाही या परीक्षणों की पहुंच का निषेध या प्रतिबंध शामिल है, और कुछ मामलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति या सामाजिक अशांति पैदा करने की क्षमता वाले मामले की संवेदनशीलता के कारण व्यापक सार्वजनिक हित को बनाए रखने के लिए। ये ऐसे मामले हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करते समय, अन्य क्षेत्राधिकारों में अदालतों द्वारा अपनाए गए मॉड्यूल उपयोगी हो सकते हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों में कुछ न्यायालयों की स्थिति (वर्णानुक्रम में व्यवस्थित) जैसा कि हमें बताई गई सामग्री से निकाला गया है, इस प्रकार हैः

I.Australia

1. उच्च न्यायालयः इसकी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को प्रकाशित करने की अनुमति देता है

अपनी वेबसाइट पर 2.

1 अक्टूबर, 2013 से, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, जो इसका है

सर्वोच्च न्यायालय ने कैनबरा 3 में आयोजित सभी पूर्ण-अदालती सुनवाई की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है।

ए। कवरेज की सामग्री की जांच की जाती है और रिकॉर्डिंग पोस्ट की जाती है

आम तौर पर सुनवाई के एक या दो दिन के भीतर;

बी। उच्च न्यायालय ने इस तरह के उपयोग के लिए कुछ शर्तें जारी की हैं

अपनी वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध शामिल हैं

2 ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. ए. यू./केस/हालिया-ए. वी.-रिकॉर्डिंग

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. एयू/सूचकांक। पीएचपी? विकल्प = कॉम _ एसिमेलिंग और सी. टी. आर. एल. = आर्काइव और टास्क = व्यू और लिस्टिड = 6-जजमेंट-डिलीवरी-नोटिफिकेशन और मेलिड = 28-मीडिया रिलीज स्वप्निल त्रिपाठी v.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या न्यायालय की पूर्व अनुमति और प्रतिधारण के बिना प्रतिलिपि बनाना

न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर कॉपीराइट का अधिकार;

सी। उच्च न्यायालय जनता के सदस्यों को लेने की अनुमति देता है

अदालत कक्ष के अंदर की तस्वीरें जब अदालत का सत्र नहीं चल रहा हो,

निजी उद्देश्यों के लिए। न्यायालय की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग

निजी पक्षों द्वारा कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। अदालत ने

हालांकि, कुछ अवसरों पर, फिल्म दल को कार्यवाही के कुछ हिस्सों को फिल्माने की अनुमति मिलती है जैसे कि न्यायाधीशों का आगमन और वे पीठ पर बैठे, अदालत में तैनात अदालत के कर्मचारी, और अदालत कक्ष में बैरिस्टर और सॉलिसिटर अपनी मेज पर। ऐसी अनुमति मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है और इसके अधीन है -

न्यायालय द्वारा लगाई गई कुछ शर्तें;

2. निचली अदालतें 67: मीडिया पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं हैं।

निचली अदालत की कार्यवाही का कवरेज और सुनवाई के प्रसारण की अनुमति अदालत से अदालत में अलग-अलग होती है।

ए। ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालयः मीडिया को प्रसारण करने की अनुमति दें

नियमित रूप से कार्यवाही और वीडियो भी प्रकाशित करता है

इसकी वेबसाइट पर कुछ निर्णय सारांश हैं।

4 " उपयोग की शर्तेंः न्यायालय की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग तक पहुंच निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः (1) आप न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमोदन के अलावा किसी भी कार्यवाही या किसी भी कार्यवाही के हिस्से को किसी भी तरह से रिकॉर्ड, प्रतिलिपि, संशोधन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, पुनः प्रकाशन, अपलोड, पोस्ट, प्रसारण, पुनः प्रसारण, भंडारण, वितरण या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराएंगे। हालाँकि, स्कूल और विश्वविद्यालय बिना पूर्व लिखित अनुमोदन के शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कक्षा में कार्यवाही का प्रसारण/पुनः प्रसारण कर सकते हैं।

(2) अदालत की कार्यवाही की हमारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध दृश्य-श्रव्य सामग्री अदालत का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।

(3) कार्यवाही के फुटेज का कॉपीराइट अदालत के पास रहता है। "मैं सहमत/खेल" (जब उपलब्ध हो) पर क्लिक करके, आप उपयोग की इन शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्धः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. ए. यू./केस/हालिया-ए. वी.-रिकॉर्डिंग

5 ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. एयू/अबाउट/फोटोग्राफी-एंड-रिकॉर्डिंग

6 इन-कोर्ट मीडिया कवरेज-न्यूजीलैंड न्यायपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध एक परामर्श पत्रः HTTPS: //अदालतें। Govt.nz/In-Court-Media-Review/In-Court मीडिया-समीक्षा/अदालत में-मीडिया-कवरेज परामर्श-पेपर। पी. डी. एफ. 7 न्यूजीलैंड न्यायपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध इन-कोर्ट मीडिया कवरेज पर मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्टः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदालतें। Govt.nz/In-Court-Media

समीक्षा/अदालत में-मीडिया-समीक्षा/मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करें

7 15 20150720. पीडीएफ [2018] 11 एस. सी. आर.

आई. ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय में (अपीलीय होने के कारण)

अधिकार क्षेत्र), टेलीविजन कैमरा कवरेज समन्वित है और

न्यायालय के सार्वजनिक सूचना निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण।

ii. न्यायालय ने स्वयं कोई कठोर शर्तें नहीं लगाई हैं -

रिकॉर्डिंग। अधिकांश रिकॉर्डिंग की अनुमति एक तदर्थ पर दी जाती है।

कार्यवाही बाधित नहीं होती है, कि कोई कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं है उपयोग किया जाता है, कि कैमरे एक बार निश्चित स्थिति में रहते हैं

कार्यवाही शुरू हो गई है, और अदालत ने बरकरार रखा है

किसी भी भाग या सभी फुटेज के उपयोग पर वीटो करने का अधिकार

रिकॉर्ड किया गया।

iii. संघीय न्यायालय की वेबसाइट पर एक वीडियो भी है

कुछ निर्णय सारांशों का संग्रह, साथ में

पाठ संस्करण 8.

iv. संघीय न्यायालय नियम, 2011 का नियम 6.11° संकेत देता प्रतीत होता है।

कि निजी पक्ष भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं,

उसमें निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन।

8 संघीय न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्धः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. फेडकोर्ट। गव. ए. यू./डिजिटल कानून-पुस्तकालय/वीडियो 9 "6.11 जहाँ सुनवाई हो रही हो वहाँ संचार उपकरण या रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग करना।

(1) इस नियम के अनुसारः संचार उपकरण में मोबाइल टेलीफोन, ऑडियो लिंक, वीडियो लिंक या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण शामिल हैं। रिकॉर्डिंग उपकरण का अर्थ है एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग चित्र या ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, मोबाइल टेलीफोन या डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर शामिल हैं।

(2) एक व्यक्ति को किसी भी मामले की सुनवाई में न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करना चाहिए।

संचार उपकरण या रिकॉर्डिंग उपकरण के उपयोग से संबंधित न्यायालय में कार्यवाही।

(3) एक व्यक्ति को अदालत में सुनवाई में साक्ष्य या प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग या प्रतिलिपि बनाने के उद्देश्य से रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए।

(4) एक व्यक्ति को संचार उपकरण या रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए जो हो सकता हैः (क) न्यायालय में सुनवाई में बाधा डालना; या

(ख) सुनवाई में किसी गवाह या अन्य प्रतिभागी के लिए कोई चिंता पैदा करना; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं है, उस कार्यवाही या सुनवाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दें, जिसका वह व्यक्ति हकदार नहीं है।

टिप्पणी 1 न्यायालय निम्नलिखित सहित किसी भी प्रासंगिक मामले को ध्यान में रख सकता हैः (क) व्यक्ति को सुनवाई में उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है;

(ख) यदि न्यायालय से एक या अधिक गवाहों को बाहर करने का आदेश दिया गया है।

-

क्या इस बात का कोई जोखिम है कि उपकरण का उपयोग अदालत से बाहर किसी गवाह को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है; (सी) क्या उपकरण का उपयोग सुनवाई में बाधा डालेगा या विचलित करेगा या सुनवाई में किसी गवाह या अन्य प्रतिभागी के लिए चिंता का कारण बनेगा।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बी। उच्चतम न्यायालयः प्रसारण के लिए अनुमति अलग-अलग होती है

अदालत में। आई. विभिन्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय (परीक्षण क्षेत्राधिकार वाले)

मीडिया के लिए अनुमति पर ऑस्ट्रेलियाई जिलों में मतभेद प्रसारण। उदाहरण के लिए, क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट

केवल 'निर्णय' के प्रत्यक्ष या विलंबित प्रसारण की अनुमति देता है

टिप्पणी '1 0 10 और उस में अभ्यास निर्देश भी जारी किए हैं

1 1 को ध्यान में रखें।

ii. कुछ स्थितियों में अदालती कार्यवाही को फिल्माने की अनुमति है।

क्षेत्र 1 3, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 1 4 और तस्मानिया 1 5 पीठासीन न्यायाधीश या पंजीयक को आवेदन किया जाता है

कुछ अदालतों में।

1 1 2014 का संशोधित अभ्यास निर्देश संख्या 8 क्वींसलैंड के न्यायालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदालतें। क्यूएलडी। गव. एयू/_ _ डेटा/परिसंपत्तियाँ/पीडीएफ

फाइल/0004/225553/एससी-पीडी-80 एफ 2014। पी. डी. एफ. 1 2 न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित दस्तावेज देखें।

सुप्रीम कोर्टः निर्णय टिप्पणी नीति का अभिलेखन और प्रसारणः

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। न्याय। एनएसडब्ल्यू। गव. एयू/दस्तावेज़/प्रपत्र% 20 और % 20 शुल्क/मीडिया% 20 प्रपत्र/रिकॉर्डिंग _ और _ ब्रॉडकास्टिंग _ ऑफ _ जजमेंट _ रिमार्क्स _ पॉलिसी _ 1014v2। पीडीएफ और आपराधिक कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया दिशानिर्देशः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। न्याय। एनएसडब्ल्यू। गव. ए. यू./दस्तावेज़/प्रकाशन/मीडिया% 20 दिशानिर्देश रिपोर्टिंग% 20 आपराधिक% 20 कार्यवाही% 20 इन % 20 द

% 20 एन. एस. डब्ल्यू.% 20 सुपरम% 20 कोर्ट _ अप्रैल% 202016. पी. डी. एफ. 13 1 3 मीडिया गाइड उत्तरी क्षेत्र न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एनटी। गव. ए. यू./जस्टिस/एन. टी. एम. सी./मीडिया/दस्तावेज़/मीडिया गाइड। पीडीएफ 14 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रतिलेख और वीडियो उपलब्ध हैं:

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। वा। गव. एयू/टी/ट्रांसक्रिप्ट _ और _ वीडियो _ 2018। एएसपीएक्स? यूआईडी = 9348 5501-0341-3842

1 5 तस्मानियाई सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मीडिया दिशानिर्देशः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। ता. गव. ए. यू./डेटा/संपत्ति/पी. डी. एफ. फाइल/0014/414221/मीडिया दिशानिर्देश-मई-2018. पी. डी. एफ. [2018] 11 एस. सी. आर.

सी। विचारण न्यायालयः शायद ही कभी कैमरों को प्रवेश दिया जाता है और जब वे करते हैं, तो ज्यादातर औपचारिक कार्यक्रमों या स्टॉक फुटेज के लिए रिकॉर्डिंग की अनुमति देते हैं।

II. ब्राज़ील

1. सुप्रीम कोर्टः न्यायालय के संपादन के लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण की अनुमति देता है, जिसमें विचार-विमर्श और मतदान प्रक्रिया शामिल है

ई अदालत में न्यायाधीश।

बी। 14 अगस्त, 2002 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का टीवी जस्टिका 1 6 पर सीधा प्रसारण किया गया है। एक अलग रेडियो चैनल, रेडियो जस्टिका 1 7 ऑडियो कार्यवाही प्रसारित करता है। सी। टेलीविजन और रेडियो स्टेशन दोनों ब्राजीलियाई के स्वामित्व में हैं।

न्यायिक शाखा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचालित।

डी। दो यूट्यूब चैनल भी हैं, एक का शीर्षक 'टीवी जस्टिका 1 18' है जो न्यायिक प्रणाली पर चर्चा और टिप्पणियां दिखाता है और दूसरे का शीर्षक 'एसटीएफ' 19 है, जो सीधा प्रसारण करता है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई की कार्यवाही।

2. निचली अदालतेंः

ए। सर्वोच्च न्यायालयः यह न्यायालय संघीय कानून के गैर-संवैधानिक प्रश्नों के लिए ब्राजील में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

कार्यवाही टीवी जस्टिका चैनल पर प्रसारित की जाती है;

बी। विचारण न्यायालयः कार्यवाही का प्रसारण न दिखाएँ। III. कनाडा

1. सुप्रीम कोर्ट 20: इसके प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है

एडिटिंग।

ए। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 से केबल संसदीय मामलों के चैनल द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक प्रसारण सेवा पर अपनी कार्यवाही के मीडिया कवरेज की अनुमति दी है।

(सी पी ए सी) 2 1. न्यायालय और के बीच एक औपचारिक समझौता

सी. पी. ए. सी. इस मीडिया कवरेज को नियंत्रित करता है।

जस्टिका की आधिकारिक वेबसाइटः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. टीवी न्याय। जस। बीआर

आई. ओ. जस्टिका की आधिकारिक वेबसाइटः डब्ल्यू. डब्ल्यू. रेडियो जस्टिसिका। जस। बी. आर./सी. आई. एल. यूट्यूब चैनलः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/उपयोगकर्ता/टीवीजस्टिका

सी. ए. एल. यूट्यूब चैनलः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/उपयोगकर्ता/एसटीएफ इन-कोर्ट मीडिया कवरेज-फुटनोट 6 सियाल वेबसाइट पर एक परामर्श पत्रः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सीपीएसी। सी. ए./एन./प्रोग्राम/सुप्रीम कोर्ट-सुनवाई/स्वप्निल त्रिपाठी बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.] बी। सर्वोच्च न्यायालय प्रसारण सामग्री पर कॉपीराइट रखता है, और कवरेज के उपयोग में अंतिम निर्णय लेता है। रिकॉर्डिंग के लिए केवल न्यायालय की अपनी ध्वनि सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, और

अदालत कक्ष के भीतर स्थायी रूप से स्थापित कैमरों का उपयोग दृश्य कवरेज के लिए किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और सी. पी. ए. सी. के बीच समझौते के लिए प्रत्येक मामले के स्पष्टीकरण के साथ कार्यवाही के प्रसारण की भी आवश्यकता होती है और न्यायालय की प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ।

सी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2009-22 से अपनी वेबसाइट पर अदालती सुनवाई के लाइव वीडियो स्ट्रीम का प्रसारण/वेबकास्टिंग भी शुरू कर दिया है।

और इसके पिछले प्रसारणों का एक संग्रह है।

2. निचली अदालतें

ए। संघीय न्यायालयः प्रसारकों द्वारा मीडिया कवरेज की अनुमति दें

फेडरल कोर्ट ऑफ अपील प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो मीडिया कवरेज की अनुमति देता है। द.

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एससीसी-सीएससी। सी. ए./ओसियर/इंफो/हियेर-ऑड-इंग। एएसपीएक्सकनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एससीसी-सीएससी। सी /

ओसियर/इंफो/वेबकास्ट-वेबडिफ्यूजन-इंग। एएसपीएक्स

ऑडियो-विजुअल उपकरणों के साथ कार्यवाही के ईडिया कवरेज की अनुमति केवल निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ नृत्य में दी गई हैः

ए। एक विशिष्ट कार्यवाही को कवर करने के लिए एक मीडिया अनुरोध में पर्याप्त रूप से किया जाना चाहिए

आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए अग्रिम।

बी। मीडिया कवरेज की अनुमति देने के बारे में निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के पैनल के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा।

पार्टियों के साथ भी।

सी। कार्यवाही की सुनवाई करने वाला मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों का पैनल पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मीडिया कवरेज को सीमित या समाप्त कर सकता है; कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए; या न्याय प्रशासन के हित में आवश्यक या उचित माने जाने वाले किसी अन्य कारण के लिए। डी। इन दिशा-निर्देशों में कुछ भी मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने या अदालत तक मीडिया की पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने से नहीं रोकेगा।

सुविधाएं।

ई. केवल वे उपकरण जो विचलित करने वाली ध्वनि या प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं

कार्यवाही को कवर करने के लिए नियोजित।

एफ. मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति नियुक्ति को सीमित या सीमित कर सकता है या

मीडियाकर्मियों और उनके उपकरणों की आवाजाही "।

कनाडा के संघीय न्यायालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक और मीडिया पर उपलब्ध पंक्तियाँः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफसीए-कैफे। जी. सी. सी. ए./एफ. सी. ए.-कैफ़. एन. जी./मीडिया. एन. जी.

कार्यवाहियों का कवरेज 25. कार्यवाही दर्ज करने की अनुमति के लिए एक लिखित आवेदन करना पड़ता है, लेकिन सामान्य नीति यह है कि यदि ऐसे आवेदन उचित समय के भीतर किए जाते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए।

25 " संघीय न्यायालय की कार्यवाही का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज 1. जनरल

ए। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखित में उचित अग्रिम सूचना के साथ, मीडिया न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज के लिए आवेदन कर सकता है।

बी। मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश और पक्षकारों के वकील से परामर्श करेंगे।

सी। मुख्य न्यायाधीश या पीठासीन न्यायाधीश किसी भी समय पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए; न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए; कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए; या न्याय के सर्वोत्तम हित में आवश्यक या उचित माने जाने वाले किसी अन्य कारण के लिए मीडिया कवरेज पर शर्तें लगा सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। डी। मीडिया कवरेज प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण, तारों या कर्मियों के लिए कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्च नहीं किया जाना है।

ई. अदालत की सुविधा में वकील और उनके मुवक्किलों के बीच, मुवक्किल के सह-वकील के बीच, या पीठ में आयोजित वकील और अदालत के बीच होने वाले सम्मेलनों का कोई ऑडियो पिकअप या प्रसारण नहीं होगा।

2. उपकरण और कार्मिक ए। जब तक अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज निम्न तक सीमित हैः आई. दो पोर्टेबल टेलीविजन कैमरे, प्रत्येक एक कैमरा व्यक्ति द्वारा संचालित; एक अभी भी फोटोग्राफर;

iii. मौजूदा कोर्ट ऑडियो सिस्टम या विनीत माइक्रोफोन और तारों का उपयोग करते हुए एक ऑडियो सिस्टम।

बी। यदि दो या दो से अधिक मीडिया प्रतिनिधि किसी कार्यवाही को कवर करने के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके प्रतिनिधियों से पूल के पदनाम सहित एक पूलिंग व्यवस्था पर सहमत होने की उम्मीद की जाती है।

प्रचालक, लागत साझा करने की प्रक्रियाएं, सामग्री तक पहुंच और प्रसार, और एक पूल प्रतिनिधि।

सी। मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि वे केवल उन उपकरणों का उपयोग करेंगे जो विचलित करने वाली ध्वनि या प्रकाश का उत्पादन नहीं करते हैं, या फ्लैश संलग्नक, अन्य कृत्रिम प्रकाश स्रोतों, सिग्नल लाइट या उपकरणों का उपयोग करते हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह सक्रिय है।

3. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज के माध्यम से उत्पन्न किसी भी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के 10 दिनों के भीतर, मीडिया को अदालत को एक प्रति प्रदान करनी है। कनाडा के संघीय न्यायालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक और मीडिया पहुंच पर नीति उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. सी. टी-सी. एफ. जी. सी. ca/fc _ cf _ en/मीडियापोलिसी।

एच. टी. एम. एल. स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बी। अपील के न्यायालय 26: प्रांतों में अपील न्यायालय अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के आधार पर अदालती कार्यवाही प्रसारित करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं।

सी। प्रथम दृष्टांत/विचारण न्यायालयों के न्यायालयः कार्यवाही का प्रसारण

दुर्लभ है। हालाँकि प्रत्येक प्रांत कवरेज के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश रखता है, व्यवहार में, कार्यवाही के प्रसारण के लिए अनुमोदन। शायद ही कभी दिया जाता है।

IV. चीनः अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्ड किए गए प्रसारण हैं

ट्रायल कोर्ट से लेकर चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट तक न्यायपालिका में लागू किया जा रहा है।

1. सुप्रीम पीपुल्स कोर्टः

ए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सार्वजनिक कार्यवाही की अनुमति दी है।

जुलाई 2016 से सुनवाई का सीधा प्रसारण 28 किया जाएगा। ये प्रसारण 2010 द्वारा जारी नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं

सुप्रीम कोर्ट, 'लाइव प्रसारण पर प्रावधान और

लोक न्यायालयों द्वारा अदालती मुकदमों का पुनः प्रसारण। ये

नियम प्रसारण के लिए मामलों के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 30

26 इन-कोर्ट मीडिया कवरेज देखें-फुटनोट 6 27 पर एक परामर्श पत्र उदाहरण के लिए, नोवा स्कोटिया कोर्ट ऑफ अपील के अपने दिशानिर्देश हैं, जबकि ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील ने अदालती कार्यवाही के प्रसारण के लिए एक पायलट पेश किया, लेकिन ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट, 1990 की धारा 136 में निर्धारित कार्यवाही के प्रसारण पर स्पष्ट प्रतिबंधों से ऐसी योजना के स्थायी कार्यान्वयन में बाधा आई।

28 स्ट्रीमिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइटः एचटीटीपीः //टिंगशेन। अदालत। गव. सी. एन./कोर्ट/0 29 यहाँ उपलब्ध हैः

(1) ऐसे मामले जिन पर कानून के अनुसार खुले तौर पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है क्योंकि कोई राष्ट्रीय रहस्य, व्यापार रहस्य, व्यक्तिगत गोपनीयता, या किशोर अपराध, अन्य के बीच शामिल हैं; (2) आपराधिक मामले जिन पर न्यायिक अंगों को स्पष्ट रूप से न्यायोचित कारणों से अदालती मुकदमों के गैर-सीधा प्रसारण और पुनः प्रसारण की आवश्यकता होती है; (3) सिविल और प्रशासनिक मामले जिन पर पक्षकारों को स्पष्ट रूप से न्यायोचित कारणों से अदालती मुकदमों के गैर-सीधा प्रसारण और पुनः प्रसारण की आवश्यकता होती है; और

(4) अन्य मामले जिनमें सीधा प्रसारण और पुनः प्रसारण अनुचित हैं। [अनुवादित संस्करण] [2018] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी। इसके अतिरिक्त, मृत्यु की समीक्षा जैसे मामलों से जुड़े मामले

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों पर निर्णयों की सजा और समीक्षा का प्रसारण नहीं किया जाता है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को प्रसारित किया जाता है

न्यायालय का विवेकाधिकार।

सी। 2010 के विनियमों को पीपुल्स कोर्ट कोर्ट रूम नियम, 2016 द्वारा पूरक किया गया है। इन नए नियमों से संकेत मिलता है कि अदालती कार्यवाही का प्रसारण केवल आधिकारिक अदालत तंत्र द्वारा किया जा सकता है और अन्य पक्षों को रिकॉर्डिंग करने से रोका जाता है

किसी भी तरह से अदालती कार्यवाही 3 2.

डी। ये नियम हैं जो सहमति लेने पर चुप हैं।

मामले में शामिल पक्ष।

2. निचली अदालतेंः
ए। उच्च न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों सहित कई न्यायालयों की कार्यवाही, उपरोक्त पीपुल्स कोर्ट कोर्ट रूम नियम, 2016 के अनुरूप, सितंबर 2016 से एक केंद्रीकृत, आधिकारिक वेबसाइट, चाइनीज ओपन ट्रायल नेटवर्क 3 3 पर उपलब्ध कराई गई है। अधिकतर मामले ऐसे हैं

प्रसारण सिविल प्रकृति के होते हैं, जिनमें कुछ आपराधिक और प्रशासनिक मामले भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

31 अंग्रेजी प्रतिलिपि यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. चिनालावट्रांसलेट। कॉम/न्यायालय/? लैंग = एन चीनी अदालतों के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी देखें।

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदालत। गव. cn/fabu-xiangqing-19372। एच. टी. एम. एल 32 अनुच्छेद 11: निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में, कानून के अनुसार खुले तौर पर संचालित होने वाली परीक्षण गतिविधियों के लिए, लोक अदालतें छवियों, ऑडियो या वीडियो को प्रसारित करने या रिकॉर्ड करने के लिए टेलीविजन, इंटरनेट या अन्य सार्वजनिक मीडिया का उपयोग कर सकती हैंः (1) उच्च स्तर की सार्वजनिक चिंता; (2) एक बड़ा सामाजिक प्रभाव;

(3) कानूनी प्रचार और शिक्षा का मूल्य काफी मजबूत है। ***

अनुच्छेद 17: अदालती कार्यवाही के दौरान, सभी कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश या अकेले मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करेंगे, न्यायिक शिष्टाचार का सम्मान करेंगे, अदालत के अनुशासन का पालन करेंगे और निम्नलिखित कार्यों का संचालन नहीं करेंगेः

(3) *** (4) परीक्षण गतिविधियों का प्रचार करने के लिए टेपिंग, वीडियोटेपिंग या परीक्षण गतिविधियों की तस्वीरें लेना या मोबाइल संचार उपकरणों का उपयोग करना;

(5) *** [अनुवादित संस्करण] 33 यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //टिंगशेन। अदालत। गव.

सी. एन. स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बी। लगभग 3500 निचली अदालतों की कार्यवाही की गई है।

वेबसाइट पर हाई डेफिनिशन (एच. डी.) प्रारूप में कई वीडियो उपलब्ध हैं। अकेले 2017 में, वेबसाइट पर 12.7 लाख से अधिक परीक्षण प्रसारित किए गए थे।

सी। कुछ उच्च न्यायालय भी अपनी कार्यवाही उपलब्ध कराते हैं

उनकी अपनी वेबसाइटें 34।

V. इंग्लैंडः

1. सुप्रीम कोर्टः मीडिया को अदालत का प्रसारण करने की अनुमति है।

कार्यवाही और सुनवाई का सीधा प्रसारण और रिकॉर्ड किया जाता है।

ए। 2005 तक अदालती कार्यवाही दर्ज करना अपराध था।

यह भी न्यायालय की अवमानना के बराबर है।

34 उदाहरण के लिए, झेजियांग उच्च न्यायालय की वेबसाइट यहां देखें -

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. zjsfgkw। सीएन/कोर्ट हियरिंग/वीडियो और एच. टी. पी.: //zj. सिफायुन। कॉम/? कोर्टआईडी = 5168; 35 आपराधिक न्याय अधिनियम, 1925 की धारा 41 (जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है):

" 41. अदालत में फोटो और ग लेने पर प्रतिबंध

(1) कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा

(क) किसी भी अदालत में कोई तस्वीर लेने या लेने का प्रयास करें, या प्रकाशन की दृष्टि से किसी भी अदालत में किसी व्यक्ति का कोई चित्र या रेखाचित्र बनाने या बनाने का प्रयास करें, जो अदालत का न्यायाधीश या जूरी सदस्य या गवाह हो या अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में पक्षकार हो, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक; या

(बी) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों या उसके किसी भी पुनरुत्पादन के उल्लंघन में ली गई या बनाई गई किसी भी तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को प्रकाशित करें;

और यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है तो वह संक्षिप्त दोषसिद्धि पर प्रत्येक अपराध के संबंध में पचास पाउंड से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) "न्यायालय" पद का अर्थ है न्याय का कोई भी न्यायालय, जिसमें मृत्यु समीक्षक का न्यायालय भी शामिल हैः (ख) "न्यायाधीश" पद में रिकॉर्डर, पंजीयक, मजिस्ट्रेट, न्याय और मृत्यु समीक्षक शामिल हैंः (ग) एक तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को अदालत में लिया गया या बनाया गया एक फोटो, चित्र या रेखाचित्र

माना जाएगा यदि इसे अदालत के कमरे में या उस इमारत में या उस इमारत के परिसर में लिया या बनाया गया है जिसमें अदालत आयोजित की गई है, या यदि यह उस व्यक्ति की तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र है या बनाया गया है जब वह अदालत के कमरे में या ऐसी किसी इमारत या परिसर में प्रवेश कर रहा है या बाहर जा रहा है।

यू. के. विधानमंडल की वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून। गव. यू. के./यू. के. पी. जी. ए./जी. ओ. 5/15-16 86/खंड/41

36 न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1981 की धारा 9 (जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था):

" 9. टेप रिकॉर्डर का उपयोग

(1) नीचे दी गई उप-धारा (4) के अधीन, यह न्यायालय की अवमानना है।

(क) अदालत में उपयोग करने के लिए, या उपयोग के लिए अदालत में लाने के लिए, किसी भी टेप रिकॉर्डर या ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए अन्य उपकरण, अदालत की अनुमति के अलावा;

(ख) ऐसे किसी भी साधन के माध्यम से की गई कानूनी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, या उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किसी भी रिकॉर्डिंग को जनता या जनता के किसी वर्ग की सुनवाई में चलाकर प्रकाशित करना, या ऐसे प्रकाशन की दृष्टि से इसे या इस तरह से प्राप्त किसी रिकॉर्डिंग का निपटान करना; (ग) पैराग्राफ (ए) के तहत दी गई छुट्टी की किसी भी शर्त के उल्लंघन में ऐसी किसी भी रिकॉर्डिंग का उपयोग करना।

बी। संवैधानिक सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ,

आपराधिक न्याय अधिनियम, 1925 के तहत लागू किया गया। अपराध और न्यायालय अधिनियम, 201338 ने भी उच्चतम न्यायालय की रिकॉर्डिंग को छूट दी है।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम के दायरे से कार्यवाही।

सी। अपनी स्थापना के बाद से, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसारकों को दिया है

इसकी सुनवाई के फुटेज तक पहुंच। ये सुनवाई नियंत्रित होती हैं।

ऐसे प्रसारकों के साथ प्रोटोकॉल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है

एक अभ्यास नोट भी जारी किया जो व्यापक रूप से दायरे को निर्धारित करता है

और ऐसे प्रसारणों की संरचना 39.

(2) उप-धारा (1) के पैराग्राफ (ए) के तहत अनुमति अदालत के विवेकाधिकार पर दी जा सकती है या अस्वीकार की जा सकती है, और यदि दी जाती है तो ऐसी शर्तों के अधीन दी जा सकती है जो अदालत अनुमति के अनुसरण में की गई किसी भी रिकॉर्डिंग के उपयोग के संबंध में उचित समझती है; और जहां अनुमति दी गई है, तो अदालत समान विवेकाधिकार पर इसे आम तौर पर या कार्यवाही के किसी विशेष हिस्से के संबंध में वापस ले सकती है या संशोधित कर सकती है। (3) उप-धारा (1) के पैराग्राफ (ए) के तहत अवमानना के किसी कार्य से निपटने की किसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अदालत दस्तावेज, या उसके साथ की गई किसी भी रिकॉर्डिंग, या दोनों को जब्त करने का आदेश दे सकती है और इस तरह से जब्त किया गया कोई भी उद्देश्य (जब तक कि अदालत अन्यथा न करे)

यह किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर निर्धारित करता है जो मालिक प्रतीत होता है) को इस तरह से बेचा या अन्यथा निपटाया जाए जैसा कि अदालत निर्देश दे। (4) यह धारा कार्यवाही के आधिकारिक प्रतिलेखों के प्रयोजनों के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने या उपयोग करने पर लागू नहीं होती है।

यू. के. विधानमंडल की वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून। गव. यूके/यूके. पी. जी. ए./1981/49

37 " 47. फोटोग्राफी आदि।

(1) आपराधिक न्याय अधिनियम 1925 की धारा 41 में (सी। 86) (अदालत में फोटो आदि लेने पर प्रतिबंध), उप-धारा (2) (ए) के स्थान पर

" (क) "न्यायालय" पद का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्याय न्यायालय (मृत्यु समीक्षक की अदालत सहित) है।

*** "

यू. के. विधानमंडल की वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून। गव. यू. के./यू. के. पी. जी. ए./2005/4 धारा/47 38 अधिनियम की धारा 31,32 और 33, यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून। गव. यू. के./यू. के. पी. जी. ए./2013/22 विषय-वस्तुएँ/अधिनियमित 39 अभ्यास टिप्पणी 8. 1 :

उस प्रोटोकॉल के अनुसार जिस पर ब्रिटेन के कई प्रसारकों के प्रतिनिधियों के साथ सहमति बनी है। प्रत्येक अवसर पर कार्यवाही प्रसारित करने की अनुमति राष्ट्रपति या पीठासीन न्यायाधीश से ली जानी चाहिए और उनके स्पष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जहां राष्ट्रपति या पीठासीन न्यायाधीश अनुमति देता है, वह ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों से सहमति प्राप्त करने सहित उचित समझता है। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यूके/डॉक्स/प्रैक्टिस-डायरेक्शन-08।

पी. डी. एफ. स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

डी। उच्चतम न्यायालय सुनवाई को लगभग एक मिनट की देरी के साथ अपनी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने की अनुमति देता है और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जो लाइव स्ट्रीम से चयनित प्रसारण दिखाता है। कार्यवाही का प्रसारण लॉ लॉर्ड्स के विवेक के अधीन है, जो वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

संवेदनशील अपीलों के लिए कवरेज।

2. निचली अदालतेंः अपराध और न्यायालय अधिनियम, 2013 ने अदालतों और न्यायाधिकरणों में प्रसारण की सुविधा के लिए आपराधिक न्याय अधिनियम, 19254 2 के अपवाद प्रदान करके और रिकॉर्डिंग की जा सकने वाली शर्तों को निर्धारित करके मौजूदा कानूनों में संशोधन किया। अदालत का प्रसारण

देश भर में सीमित संख्या में अदालतों में कार्यवाही की अनुमति है।

ए। इंग्लैंड और वेल्स के लिए अपील न्यायालय ": न्यायालय 70 सेकंड के प्रसारण विलंब प्रणाली के साथ अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है।

आई. प्रसारण प्रणाली एक विशेषज्ञ वीडियो द्वारा संचालित की जाती है।

पत्रकार जो अदालत से आदेश लेता है।

ii. प्रसारण कैमरों द्वारा किया जाता है, जिनमें से कुछ पूरी तरह से तार्ररहित रूप से संचालित होते हैं, और इन्हें यहाँ से स्थानांतरित किया जा सकता है।

40 आधिकारिक वेबसाइट यहाँ देखें - HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यूके/लाइव /

41 आधिकारिक यूट्यूब चैनलः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/उपयोगकर्ता/यूकेसुपराइम कोर्ट 42 ने आपराधिक न्याय अधिनियम, 1925 की धारा 41 में संशोधन कियाः

" 41. अदालत में फोटो खींचने आदि पर प्रतिबंध।

(1) कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा -

(क) किसी भी अदालत में कोई तस्वीर लेने या लेने का प्रयास करें, या प्रकाशन की दृष्टि से किसी भी अदालत में किसी व्यक्ति का कोई चित्र या रेखाचित्र बनाने या बनाने का प्रयास करें, जो अदालत का न्यायाधीश या जूरी सदस्य या गवाह हो या अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में पक्षकार हो, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक; या (बी) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों या उसके किसी भी पुनरुत्पादन के उल्लंघन में ली गई या बनाई गई किसी भी तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को प्रकाशित करें;

[एफ 1 (1 ए) अपवाद प्रदान करने की शक्ति के लिए अपराध और न्यायालय अधिनियम 2013 की धारा 32 देखें।] (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए [एफ 2 (ए) पद "न्यायालय" का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्याय न्यायालय (मृत्यु समीक्षक के न्यायालय सहित) है;]

(ख) "न्यायाधीश" पद में शामिल हैं। एफ 3, पंजीयक, मजिस्ट्रेट, न्याय और मृत्यु समीक्षकः (ग) एक तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को अदालत में लिया गया या बनाया गया एक फोटो, चित्र या रेखाचित्र माना

जाएगा यदि इसे अदालत के कमरे में या उस इमारत में या उस इमारत के परिसर में लिया या बनाया गया है जिसमें अदालत आयोजित की गई है, या यदि यह उस व्यक्ति की तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र है या बनाया गया है जब वह अदालत के कमरे में या ऐसी किसी इमारत या परिसर में प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है।

43 देखिए: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. रक्षक। कॉम/लॉ/2013/अक्टूबर/30/कोर्ट-ऑफ-अपील-प्रोसीडिंग्स टेलीविजन पर प्रसारित [2018] 11 एस. सी. आर.

अदालत से अदालत। न्यायाधीशों की मंजूरी के अधीन, वीडियो पत्रकार अपने कैमरों को किसी भी अदालत कक्ष में ले जा सकता है।

जिसमें अपील न्यायालय बैठ सकता है।

iii. वकीलों की दलीलें और न्यायाधीशों की टिप्पणियां प्रसारण में दिखाई देती हैं लेकिन प्रतिवादियों, गवाहों और पीड़ितों को नहीं दिखाया जाता है।
iv. फुटेज का उपयोग समाचार और समसामयिक मामलों के लिए किया जा सकता है लेकिन कॉमेडी, मनोरंजन या विज्ञापन जैसे अन्य संदर्भों में नहीं।

बी। क्राउन कोर्टः क्राउन कोर्ट (रिकॉर्डिंग) ऑर्डर, 2016 "क्राउन कोर्ट में सजा की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने की एक पायलट परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यवाही को रिकॉर्ड करने पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा देता है। तब से, कई क्राउन कोर्ट हैं

कार्यवाहियों का परीक्षण प्रसारण।

VI. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीएचआर)

1. ई. सी. एच. आर. अदालती कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति देता है।

इसके अदालती नियमों का परिणाम, जो यह निर्धारित करता है कि सभी सुनवाई हैं

सार्वजनिक 45.

2. न्यायालय की सभी सार्वजनिक सुनवाई न्यायालय की वेबसाइट 46 पर प्रसारित की जाती हैं। सुबह आयोजित सुनवाई में देखा जा सकता है

दोपहर में आयोजित होने वाले दोपहर के दौरान उपलब्ध होते हैं।

शाम को।

3. 2007 के बाद से अदालत की सभी सार्वजनिक सुनवाई फिल्माई गई हैं और फ्रेंच और अंग्रेजी में उपलब्ध व्याख्याओं के साथ देखी जा सकती हैं।

44 यू. के. विधानमंडल की वेबसाइट पर उपलब्धः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून। गव. यू. के./यू. के. आई./2016/612 पी. डी. एफ. एस./यू. के. आई. 20160612 एन. पी. डी. एफ. 45 "नियम 63-सुनवाई का सार्वजनिक चरित्र

1. सुनवाई तब तक सार्वजनिक होगी जब तक कि इस नियम के पैराग्राफ 2 के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों में चैंबर अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी पक्ष या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर अन्यथा निर्णय नहीं लेता है।

2. प्रेस और जनता को एक लोकतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुनवाई के सभी या कुछ हिस्सों से बाहर रखा जा सकता है, जहां किशोरों के हितों या पक्षों के निजी जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, या विशेष परिस्थितियों में चैंबर की राय में सख्ती से आवश्यक सीमा तक जहां प्रचार न्याय के हितों को प्रभावित करेगा।

3. इस नियम के पैराग्राफ 1 के तहत कैमरे में सुनवाई के लिए किए गए किसी भी अनुरोध में कारण शामिल होने चाहिए और यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या यह सुनवाई के सभी या केवल हिस्से से संबंधित है। ईसीएचआर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. echr. को. आई. टी./दस्तावेज़/नियम _ कोर्ट _ ई. एन. जी. पी. डी. एफ. 46 ई. सी. एच. आर. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. echr. को. इंट/पेज/होम। एएसपीएक्स?

पी = सुनवाई और सी स्वप्निल त्रिपाठी वी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.] VII. जर्मनीः

जर्मनी ने कानून पारित किया है जो संघीय और सर्वोच्च न्यायालयों में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति देता है, हालांकि उक्त कानून द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण इस तरह के प्रसारण के वास्तविक उदाहरण दुर्लभ हैं।

1. संघीय संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय

ए। न्यायालय संविधान अधिनियम की धारा 169 ने मुकदमों के रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, और सार्वजनिक प्रस्तुति के उद्देश्यों के लिए ध्वनि और फिल्म रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित कर दिया। बी। अक्टूबर 2017 में, जर्मन संसद ने 'अदालत की कार्यवाही में मीडिया की पहुंच बढ़ाने और सुधार करने के लिए अधिनियम' पारित किया।

बोलने या सुनने वाले लोगों के लिए संचार सहायता

खामियां '48। संशोधन अधिनियम की घोषणाओं को प्रसारित करने और रिकॉर्ड करने की संभावना प्रदान करता है

संघीय संवैधानिक न्यायालय के निर्णय और सजा

न्याय और पाँच सर्वोच्च संघीय न्यायालय। यदि कार्यवाही को ऐतिहासिक माना जाता है तो इस तरह के प्रसारण की अनुमति है।

जर्मनी के लिए महत्व लेकिन कार्यवाही या यहां तक कि पक्षकारों के वैध हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है

तीसरे पक्ष।

सी। रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे जर्मन संघीय अभिलेखागार या राज्य अभिलेखागार को सौंप दिया जाएगा।

उन्हें कुछ शर्तों के अधीन प्राप्त किया जा सकता है।

47 " धारा 169 निर्णय देने वाले न्यायालय के समक्ष सुनवाई, जिसमें निर्णयों और निर्णयों की घोषणा भी शामिल है, सार्वजनिक होगी। ऑडियो और टेलीविजन या रेडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ सार्वजनिक प्रस्तुति या उनकी सामग्री के प्रकाशन के लिए ऑडियो और फिल्म रिकॉर्डिंग अस्वीकार्य होगी। ”

न्यायालय संविधान अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. इंटरनेट का उपयोग करें। डी/इंग्लिश _ जी. वी. जी./इंग्लिश _ जी. वी. जी. एचटीएमएल

48 अंग्रेज़ी अनुवाद; जर्मन में, गेसेट्ज़ ज़ुर एर्वेइटरुंग डेर मेडिएनोफ़ेंटलिचकीट इन गेरिच्ट्सवेर्फरिन उंड ज़ुर वर्बेसेरुंग डेर कोम्युनिकेशंसिल्फ़ेन फर मेन्शेन मिट स्प्राच-उंड होर्बेहिंदरुंगेन (गेसेट्ज़ उबेर डाई एर्वेइटरुंग डेर मेडिएनोफेंटलिचकीट इन गेरिचस्वेरफाहरेन-ई. एम. ओ. जी. जी.), जर्मन न्यायपालिका की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. बीएमजेवी। डी/शेयर्ड डॉक्स/गेसेटजेबंगस्वेरफाह्रेन/डोकुमेन्टे/बीजीबी1 _ ई. एम.% सी3% B6GG.pdf; जेस्सेनिड = बी96 एफ 37 ईडी7 एफ 0163627 डीबी7 बी0 बी. एफ. 3343 सी 555.2_cid297? __ ब्लोब = प्रकाशनफ़ाइल और वी = 1 [2018] 11 एस. सी. आर.

डी। कार्यवाही का प्रसारण अलग-अलग मीडिया कक्षों में किया जाएगा। मीडिया कक्ष में प्रसारण प्रदान करने या प्रसारण या रिकॉर्डिंग की अनुमति देने का निर्णय न्यायाधीश का विवेकाधिकार है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
ई. चूंकि कार्यवाही के प्रसारण के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं और कार्यवाही के लिए पक्षों को दी गई सख्त गोपनीयता सुरक्षा के कारण, 'ऐतिहासिक महत्व' के मामले के संकीर्ण दायरे के साथ, जर्मनी में अदालती मामलों का वास्तविक प्रसारण।

शायद ही कभी होता है।

2. निचली अदालतेंः संशोधन अधिनियम केवल संघीय संवैधानिक न्यायालय की कार्यवाही के प्रसारण की संभावना का उल्लेख करता है और

सर्वोच्च संघीय न्यायालय और निचली अदालतों में कार्यवाही के प्रसारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

2. आई. सी. सी. का एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल है जहाँ यह मामलों, कार्यवाही, सूचनात्मक सत्रों, प्रेस से संबंधित कार्यक्रम प्रकाशित करता है। न्यायालय में सम्मेलन, आउटरीच गतिविधियाँ और अन्य कार्यक्रम। चैनल दर्शकों को कार्यवाही के सारांश की साप्ताहिक पोस्टिंग के माध्यम से कई भाषाओं में आई. सी. सी. के समक्ष विभिन्न मामलों का अनुसरण करने की अनुमति देता है।

IX. पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण

(आई. सी. टी. वाई)

1. अदालती कार्यवाही वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।

आईसीटीवाई 51

2. आई. सी. टी. वाई. का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ दोषी दलीलों, गवाहों की गवाही और लघु वृत्तचित्रों की चुनिंदा क्लिप उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आई. सी. टी. वाई. के सोशल मीडिया खाते हैं ताकि 'अदालत की गतिविधियों को जनता के करीब लाया जा सके'।

49 स्ट्रीमिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइटः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. सी. सी.-सी. पी. आई. आई. सी. सी. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट' को भी देखें। HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. सी. सी.-सी. पी. आई. इंट/आई. सी. सी. डी. ओ. सी. एस./पी. आई. डी. एस./प्रकाशन/यू. आई. सी. सेंग। पीडीएफ

50 आधिकारिक यूट्यूब चैनलः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/यूजर/इंटल क्रिमिनल कोर्ट/फीचर
51 आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //आईसीआर। आईटीसी। ओआरजी

52 आई. सी. टी. वाई. द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति यहां उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईटीसी। ओआरजी/एन/प्रेस/ट्रिब्यूनल सोशल-मीडिया-चैनल-जाओ-लाइव स्वप्निल त्रिपाठी बनाम।

3. के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट तंत्र

आपराधिक न्यायाधिकरण (आई. आर. एम. सी. टी.), एक अदालत जिसे आई. सी. टी. वाई. द्वारा पहले किए गए कई शेष कार्यों को करने के लिए बनाया गया था, उसकी वेबसाइट 53 और आधिकारिक यूट्यूब चैनल 54 पर आई. सी. टी. वाई. की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है।

एक्स. आयरलैंड (उत्तरी):

1. सुप्रीम कोर्टः यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट के पास उत्तरी आयरलैंड पर अधिकार क्षेत्र है और तदनुसार, उत्तरी आयरलैंड के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है।

ए। इंग्लैंड की तरह, उत्तरी आयरलैंड में अदालतों के मीडिया कवरेज को आपराधिक न्याय (उत्तरी आयरलैंड) अधिनियम, 194555 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जो मूल आपराधिक न्याय अधिनियम, 1925 के समान था, और जो उत्तरी आयरलैंड की अदालतों में फोटोग्राफी या स्केचिंग के लिए समान प्रतिबंध लागू करता था। अदालत की अवमानना अधिनियम, 1981 की धारा 9 का विस्तार उत्तरी आयरलैंड तक भी किया गया।

53 आधिकारिक वेबसाइटः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एम. टी. org/en/cases#all-मामले

चैनलः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/चैनल /

54 आधिकारिक

यूट्यूब

यू. सी. एन. पी. ओ. पी. वी. एन. पी. डब्ल्यू. टी. एफ. जे. डब्ल्यू. एन. वाई. टी. आई. वी. वाई. डब्ल्यू. 55 "29 अदालत में फोटो आदि लेने पर प्रतिबंध। (1) कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा -

(क) किसी भी अदालत में कोई तस्वीर लेने या लेने का प्रयास करें, या प्रकाशन की दृष्टि से किसी भी अदालत में किसी व्यक्ति का कोई चित्र या रेखाचित्र बनाने या बनाने का प्रयास करें, जो अदालत का न्यायाधीश या जूरी सदस्य या गवाह या अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में पक्षकार हो, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक; या

(बी) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के उल्लंघन में ली गई या बनाई गई किसी भी तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को प्रकाशित करें या ऐसी तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र का कोई पुनरुत्पादन करें;

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए [एफ 2 (ए) पद "न्यायालय" का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्याय न्यायालय (मृत्यु समीक्षक के न्यायालय सहित) है;] (ख) "न्यायाधीश" शब्द में रिकॉर्डर, पंजीयक, निवासी मजिस्ट्रेट, शांति का न्याय और मृत्यु समीक्षक शामिल हैं।

(ग) एक तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र को अदालत में लिया गया या बनाया गया एक फोटो, चित्र या रेखाचित्र माना जाएगा यदि इसे अदालत के कमरे में या उस इमारत में या उस इमारत के परिसर में लिया या बनाया गया है जिसमें अदालत आयोजित की गई है, या यदि यह उस व्यक्ति की तस्वीर, चित्र या रेखाचित्र है

या बनाया गया है जब वह अदालत के कमरे में या ऐसी किसी इमारत या परिसर में प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी। संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक न्याय (उत्तरी आयरलैंड) अधिनियम के तहत लगाए गए निषेध से छूट दी गई थी। अपराध और न्यायालय अधिनियम, 2013 ने उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को निम्न के दायरे से छूट दीः

न्यायालय की अवमानना अधिनियम 56।

सी। ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय भी उत्तरी आयरलैंड में बैठा है और उसी की कार्यवाही को वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया गया है।

अदालत से। सत्र के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को एक अलग 'ओवरफ्लो' में सीधे प्रसारित करने की अनुमति दी।

न्यायालय परिसर के भीतर 'न्यायालय कक्ष'। 57

2. निचली अदालतेंः हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि

अदालत की कार्यवाही को दर्ज करने की अनुमति देने का इरादा और इच्छा 58, निचली अदालत की कार्यवाही का वास्तविक प्रसारण प्रतिबंधित रहता है।

XI. आयरलैंड (गणराज्य):

हालाँकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो इसे प्रतिबंधित करता हो।

फोटोग्राफी या ध्वनि, अदालतों में टेलीविजन या वीडियो रिकॉर्डिंग, अदालत की कार्यवाही का प्रसारण, चाहे फोटोग्राफी या ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, बिना अनुमति के, एक अभ्यास के रूप में प्रतिबंधित है।

1. सुप्रीम कोर्टः अदालत में कैमरों को प्रवेश करने की अनुमति दी है

मामले।

अदालती कार्यवाही का पहला प्रसारण अक्टूबर 2017 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों की डिलीवरी का सीधा प्रसारण राज्य प्रसारक, आरटीई पर अदालत के कमरे के अंदर छोटे रोबोटिक कैमरों का उपयोग करके किया गया था।

2. निचली अदालतेंः प्रसारण की अनुमति नहीं देता प्रतीत होता है

कार्यवाही, आज की तारीख तक।

56 प्वाइंट V पर इंग्लैंड में स्थिति देखें

57 आयरलैंड में इसकी सुनवाई के प्रसारण के लिए किए गए प्रावधानों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यू.

के./समाचार/सर्वोच्च-न्यायालय-सुनवाई-इन-बेलफास्ट तक पहुंच। एचटीएमएल 58 अदालतों में प्रसारण पर अनुसंधान और सूचना सेवा ब्रीफिंग पेपर, उत्तरी आयरलैंड विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. विधानसभा। गव. यूके/वैश्विक परिसंपत्तियाँ/दस्तावेज़/वृद्धि/प्रकाशन/2012/न्याय/3812. पी. डी. एफ.

59 आयरलैंड के विधि सुधार आयोग द्वारा न्यायालय की अवमानना पर रिपोर्ट, अध्याय 4.43, यहां उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून में सुधार। यानी/फाइल अपलोड/रिपोर्ट/आरकॉन्टेम्प्ट। एचटीएम

60 देखिएः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. सी. कॉम/समाचार/विश्व-यूरोप-41732226 स्वप्निल त्रिपाठी बनाम।

1. सुप्रीम कोर्टः लाइव-ब्रॉडकास्टिंग कोर्ट ने मंजूरी दे दी है

सेडिंग्स।

ए। इजरायली अदालत अधिनियम, 5744-19846 2 आपराधिक आरोप लगाता है।

जब तक कि अदालत अनुमति न दे। हालांकि मीडिया कर सकता है अधिकांश इजरायली अदालतों में होने वाली घटनाओं पर रिपोर्ट करें, जिसमें उल्लिखित दृश्य-श्रव्य कवरेज द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन

अधिनियम।

बी। इससे पहले, ऑडियो-विजुअल कवरेज के खिलाफ एक कानूनी धारणा मौजूद थी

सर्वोच्च न्यायालय हालांकि कोई औपचारिक प्रशासनिक नहीं था उस संबंध में जारी किया गया विधान या विनियम।

सी। इसके बाद, नवंबर 2014 में, इज़राइल के मुख्य न्यायाधीश

63 अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण को मंजूरी दी गई।

2. निचली अदालतेंः आम तौर पर प्रसारण की अनुमति न दें

संपादन लेकिन ऐतिहासिक मामलों में अपवाद किए गए हैं

फिकेंस।

ए। मीडिया द्वारा अदालती कार्यवाही पर रिपोर्टिंग की अनुमति है लेकिन

ऐसी कार्यवाही का प्रसारण नहीं किया जाता है। कुछ अदालतें अनुमति देती हैं -

अदालत कक्ष में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशों की तस्वीर लेने के लिए मीडिया, लेकिन

सुनवाई शुरू होने से पहले मीडिया से रिकॉर्डिंग बंद करने का अनुरोध करें।

बी। के सम्मान में कार्यक्रमों को कवर करने की अनुमति भी दी गई है

सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश और अर्ध-न्यायिक समितियों की सुनवाई के लिए भी।

सी। निचली अदालत की सुनवाई को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने की अनुमति है

इज़राइल के इतिहास में पाँच मौकों पर प्रदान किया गया। दो मामले इसमें नाजी कर्मियों के परीक्षण शामिल थे और उन्हें अनुमति दी गई थी क्योंकि

मुकदमों को ऐतिहासिक महत्व का माना जाता था। एक.

स्थानांतरण की दुनिया में अदालती कार्यवाही का दृश्य-श्रव्य कवरेज

इटाय रविद की कविता यहाँ उपलब्ध हैः

अधिनियम का 70 (बी), 'निषिद्ध प्रकाशन'; हिब्रू में उपलब्ध इजरायली न्यायालय अधिनियम पीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वाइपो। पूर्णांक/वाइपोलेक्स/एन/विवरण। जेएसपी? आईडी = 15289: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. नेटन्यूज। कॉम/लेख/0,7340, एल-4592208,00।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक इजरायली समाचार पत्र के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा शामिल था, दूसरा एक व्यक्ति का मुकदमा था जिस पर आरोप लगाया गया था

इजरायली प्रधान मंत्री की हत्या और अंतिम उदाहरण 1999 में था जब जेरूसलम जिला न्यायालय ने एक पूर्व इजरायली मंत्री के आपराधिक मामले में दिए गए निर्णय के प्रसारण की अनुमति दी थी।

तेरहवीं। न्यूजीलैंडः

1. सुप्रीम कोर्टः इसकी कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति देता है।

ए। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही 64 के प्रसारण को विनियमित करने के लिए मीडिया दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो न्यूजीलैंड के विभिन्न अन्य न्यायालयों पर लागू 'इन-कोर्ट मीडिया कवरेज दिशानिर्देशों' का पूरक हैं।

2. निचली अदालतेंः कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति है

निचली अदालतें, इस संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ए। न्यायाधीशों के पास प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक विवेकाधिकार है

न्यायालय कक्ष जिनकी वे अध्यक्षता करते हैं, कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन

64 " 10.5 परिशिष्ट ईः उच्चतम न्यायालय के मीडिया दिशानिर्देश 1. पैराग्राफ (5) के अधीन, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को टेलीविजन या अन्यथा रिकॉर्ड करने के लिए सभी आवेदनों को तब तक अनुमोदित माना जाएगा जब तक कि कोई पक्ष आवेदन के पंजीयक द्वारा सलाह दिए जाने के तीन दिनों के भीतर यह संकेत नहीं देता है कि पक्षकार इस पर आपत्ति करता है। 2. ऐसी किसी भी आपत्ति को पंजीयक को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए और इसमें वे आधार शामिल होने चाहिए जिन पर आपत्ति की गई है।

3. पंजीयक को तुरंत समाचार मीडिया आवेदक और कार्यवाही के अन्य सभी पक्षों को आपत्ति के बारे में सूचित करना चाहिए। उन्हें आपत्ति प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर लिखित रूप में कोई भी प्रस्तुति देनी होगी जो वे आपत्ति के संबंध में करना चाहते हैं। अदालत या न्यायाधीश तब आवेदन का निर्धारण करेंगे।

6. कार्यवाही के किसी भी टेलीविजन या रिकॉर्डिंग के लिए भौतिक व्यवस्था पंजीयक द्वारा आवेदक के साथ इस तरह के परामर्श के बाद निर्धारित की जाएगी और अन्यथा जो पंजीयक उचित समझता है। न्यूजीलैंड के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैः HTTPS: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। Govt.nz/about/news-and-media/media-centre/media-information/media

गाइड/अपेंडिक्स/अपेंडिक्स-ई/स्वप्निल त्रिपथी v.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायालय के विभिन्न नियमों और वैधानिक जैसे प्रावधान

आवश्यकताएँ।

बी। अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय, रोजगार न्यायालय, जिला न्यायालय और किसी भी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष अदालती कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति है, जो इसे अपनाने का विकल्प चुनता है।

पीठासीन न्यायाधीश का विवेकाधिकार। ये प्रसारण इन-कोर्ट मीडिया कवरेज दिशानिर्देश, 201665 द्वारा निर्देशित हैं।

सी। मीडिया के सदस्य कम से कम 10 दिन पहले संबंधित अदालत के पंजीयक को एक आवेदन देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि

वे अदालती प्रक्रिया के किस पहलू पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आवेदन की एक प्रति अन्य पक्षों को भेजी जाती है, और प्रस्तुतियाँ प्राप्त होने के बाद, न्यायाधीश निर्धारित करता है कि अनुमोदन करना है या नहीं।

या आवेदन को अस्वीकार कर दें। अनुमति देना न्यायाधीश के लिए विवेकाधिकार का विषय है, और न्यायाधीश के पास यह भी है कि

अपने विवेक से मीडिया को हटाने की शक्ति।

डी। इन दिशानिर्देशों में कोई विधायी बल नहीं है और न ही वे इस संबंध में कोई अधिकार पैदा करते हैं और केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया कवरेज के लिए आवेदनों को तेजी से और निष्पक्ष रूप से निपटाया जाए। ई . उन्होंने यह भी
निर्धारित किया कि रिकॉर्डिंग को कम से कम 10 मिनट बीतने तक प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि कुछ निश्चित हैं।

इस नियम के लिए भी अपवाद बनाए गए हैं।

एफ. इसके अलावा, जिला न्यायालय के संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र 66 में उक्त दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है।

अलग से पर्यावरण न्यायालय मीडिया कवरेज भी हैं।

दिशानिर्देश 67.

XIV। स्कॉटलैंडः

1. सुप्रीम कोर्टः यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने

स्कॉटलैंड पर अधिकार क्षेत्र और तदनुसार, न्यायालय की सुनवाई लाइव होती है

न्यायालय की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया।

65 न्यूजीलैंड के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: / /डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। Govt.nz/about/news-and-media/media-centre/media-information/media

गाइड/परिशिष्ट/परिशिष्ट-सी /

66 न्यूजीलैंड के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। Govt.nz/about/news-and-media/media-centre/media-information मीडिया-गाइड/परिशिष्ट/परिशिष्ट-d /67 न्यूजीलैंड के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। Govt.nz/about/news-and-media/media-centre/media-information मीडिया-गाइड/परिशिष्ट/परिशिष्ट-f/[2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. निचली अदालतें: अदालती कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति है।

y कानून और नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को प्रसारित किया गया है

कारें।

ए। स्कॉटलैंड में अदालती कार्यवाही के प्रसारण पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि आपराधिक न्याय अधिनियम स्कॉटलैंड पर लागू नहीं होता है। हालाँकि 1992 तक, अदालतों ने अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सख्त रुख अपनाया।

बी। 1992 में, "अदालतों में टेलीविजन" निर्देश जारी किए गए थे 68 (बाद में एक्स बनाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और लायन टेलीविजन लिमिटेड के फैसले में उद्धृत) जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि फिल्मांकन की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि "क्या अदालत में टेलीविजन कैमरों की उपस्थिति न्याय के प्रशासन के लिए जोखिम के बिना होगी"। इन निर्देशों में प्रावधान किया गया था कि आपराधिक मामलों में कार्यवाही के टेलीविजन प्रसारण की अनुमति नहीं थी

पहली बार में और यह कि फिल्मांकन केवल कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों की सहमति से किया जा सकता था और अंतिम उत्पाद के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के अधीन होने से पहले

टीवी पर दिखाया गया। इस तरह के फिल्मांकन के लिए शर्तें अलग-अलग थीं

20127 में परीक्षण अवधि 0.

सी। जब तक सभी प्रमुख पक्ष सहमत होते हैं और शर्तों को पूरा किया जाता है, तब तक पूर्ण परीक्षण, कम से कम सिद्धांत रूप में, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फिल्माया जा सकता है और जूरी के फैसले या सजा को समाचार प्रसारण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए फिल्माया जा सकता है। दीवानी और आपराधिक मुकदमे दोनों

प्रसारण किया जा सकता है।

डी। लॉकरबी बमबारी में अभियुक्तों के मुकदमे जैसे विशेष जनहित के मामलों को भी प्रसारित करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बात है। 71

कैमरों के परिशिष्ट III और अन्य अदालतों में प्रत्यक्ष पाठ-आधारित संचार देखें। स्कॉटलैंड के न्यायिक कार्यालय द्वारा जारी एक परामर्श पर उपलब्ध है

ई स्कॉटिश न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट:

पी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. स्कॉटलैंड-न्यायपालिका। org. यूके/अपलोड/दस्तावेज़/परामर्श दस्तावेज़। पीडीएफ [2005] सीएसओएच 80

कैमरों में परिशिष्ट IV और लाइव टेक्स्ट-आधारित संचार देखें।

ओट्टीश अदालतेंः फुटनोट 68 पर एक परामर्श लिंककैमरों के पैरा 5.5 से आगे और अन्य अदालतों में प्रत्यक्ष पाठ-आधारित संचार देखें। फुटनोट 68 एस. डब्ल्यू. ए. पी. एन. आई. एल. त्रिपाठी बनाम में संदर्भित एक परामर्श लिंक।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ई. स्कॉटलैंड वर्तमान में अपने न्यायालय में सुधार की प्रक्रिया में है।

समीक्षा के सुझावों के अनुसार प्रसारण प्रक्रिया समिति 1
2

XV. दक्षिण अफ्रीकाः

1. अपील का सर्वोच्च न्यायालयः सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

ए. डी. ए. आपराधिक मामलों में अदालती कार्यवाही का प्रसारण करने के लिए

संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी

-एस. एस.।

ए। एन. डी. पी. पी. बनाम मीडिया 24 लिमिटेड के अपने ऐतिहासिक फैसले में

& अन्य और एच. सी. वान ब्रेडा बनाम मीडिया 24 लिमिटेड और अन्य 73,

सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति दी

और अदालती कार्यवाही के प्रसारण का दायरा जब तक कि पूर्वाग्रह न हो प्रदर्शन योग्य था और एक जोखिम था कि इस तरह के पूर्वाग्रह

होगा।

बी। प्रसारण पर कठोर नियम निर्धारित करने से परहेज करते हुए

इस तरह की अदालती कार्यवाही, न्यायालय ने सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित किए यह निर्धारित करने में सहायता करें कि क्या कार्यवाही प्रसारित की जानी चाहिएः

आई. निचली अदालत प्रसारण की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करेगी

कैमरों को अंदर जाने की अनुमति देने में शामिल जोखिम की डिग्री को संतुलित करने के बाद मामले-दर-मामले के आधार पर कार्यवाही
जोखिम की डिग्री के खिलाफ अदालत का कमरा कि एक निष्पक्ष मुकदमा नहीं हो सकता है;

ii. निचली अदालत हमेशा यह निर्देश दे सकती है कि कुछ या सभी

इससे पहले की कार्यवाही का प्रसारण नहीं किया जा सकता था या केवल कुछ रूपों में प्रसारित किया जाए, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग;

iii. एक न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर किसी भी समय कवरेज को समाप्त कर सकता है।

कि न्यायाधीश द्वारा लगाए गए नियमों का उल्लंघन किया गया था या व्यक्तिगत प्रतिभागियों के पर्याप्त अधिकार या एक के अधिकार निष्पक्ष सुनवाई इस तरह के कवरेज द्वारा पूर्वाग्रहपूर्ण होगी यदि यह था

जारी रखने की अनुमति;

: रिकॉर्डिंग और प्रसारण पर नीति की समीक्षा की रिपोर्ट

अदालत में संपादन, और लाइव टेक्स्ट का उपयोग-स्कॉटिश न्यायपालिका की न्यायिक वेबसाइट पर उपलब्ध संचारः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. स्कॉटलैंड-न्यायपालिका। org. यूके /69 / रिपोर्ट-ऑफ-द-रिव्यू-ऑफ-पॉलिसी-ऑन-रिकॉर्डिंग-एंड-ब्रॉडकास्टिंग-ऑफ-डिंग्स-इन-कोर्ट-एंड-यूज़-ऑफ-लाइव-टेक्स्ट-बेस्ड-कम्युनिकेशंस

17] जेएएससीए 97 (21 जून 2017)

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

iv. आपराधिक मुकदमे में एक आरोपी व्यक्ति अदालत कक्ष में कैमरों की उपस्थिति पर आपत्ति कर सकता है। यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि अभियुक्त द्वारा उठाई गई आपत्ति वैध है, तो वह कैमरों को रिकॉर्डिंग से बाहर कर सकती है।
वी. गवाह फिल्माए जाने पर आपत्ति भी उठा सकते हैं। यदि न्यायाधीश निर्धारित करता है कि एक गवाह की वैध आपत्ति है, तो नियमित फोटोग्राफिक या टेलीविजन कवरेज के विकल्प हैं।

इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कि विशेष प्रकाश तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक आवाज परिवर्तन को पेश करना, या केवल प्रकाश को सुरक्षित करना।

कैमरे से गवाह। आपत्ति करने वाले गवाह की गवाही के प्रसारण में मुकदमे के समाप्त होने तक देरी हो सकती है।

ऊपर;

vi. कैमरों को फिल्म बनाने या टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति होगी

गवाहों का विरोध।

vii. इसका कोई कवरेज नहीं होगाः

- सलाहकार और ग्राहक या सह के बीच संचार

  वकील;

- बेंच चर्चाएँ;

- इन-कैमरा सुनवाई।

2. निचली अदालतेंः ब्रेडा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, निचली अदालत की आपराधिक कार्यवाही को भी प्रसारण विषय होने की अनुमति है। पीठासीन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित शर्तों के लिए।

सोलहवाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका

1. सुप्रीम कोर्टः सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी

विभिन्न कारणों से इसकी कार्यवाही का प्रसारण 74 जिसमें यह भी शामिल है कि यह वकीलों और न्यायाधीशों के बीच बातचीत के चरित्र और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ए। उच्चतम न्यायालय ने वर्षों से लगातार खारिज किया है

मौखिक तर्क प्रसारित करने का अनुरोध। 76 यह अनुमति नहीं देता है

कार्यवाही या वीडियो रिकॉर्डिंग की फोटोग्राफी।

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कांग्रेस। जीओवी/110/सी. आर. पी. टी./एस. आर. पी. टी. 448/सी. आर. पी. टी.-110 एस. आर. पी. टी. 448। पीडीएफ 2 मौखिक दलीलों के सीधा प्रसारण को अस्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश को काउंसलर का पत्र देखें, जो यहां उपलब्ध हैः

HTTPS: //आर्टेक्निका। कॉम/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/2017/10 स्कोटसलेटर। पी. डी. एफ. 1 देखें राजनीति से ऊपरः पी. जी. में जेसन मैज़ोन द्वारा 2017 में कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट। 404 , फुटनोट 208,93 ची। - केंट एल. रेव. 373 (2018) यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //छात्रवृत्ति। केंटलॉ। आई. टी. ई. डी. यू./सी. जी. आई./ब्यू कंटेंट। सी. जी. आई? अनुच्छेद = 4207 और

संदर्भ = सी. के. एल. ओ. आर. वी. स्वपनिल त्रिपथी v.

बी। हालांकि, अदालत ने मौखिक ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है।

1955 से तर्क। वर्तमान में, न्यायालय उसी को जारी करता है प्रत्येक सप्ताह के अंत में मौखिक तर्कों के ऑडियो प्रतिलेख और सभी मौखिक तर्कों की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो तर्कों को सुना जाता है।

2. संघीय अपीलीय न्यायालयः कुछ संघीय न्यायालय अनुमति देते हैं -

उस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन अदालती कार्यवाही का प्रसारण।

ए। अमेरिकी संघीय न्यायालयों में आपराधिक कार्यवाही के फिल्मांकन और प्रसारण को संघीय शासन के नियम 53 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

दंड प्रक्रिया 79 1946 से।

बी। सीमित संख्या में अदालतों के शामिल होने के बाद, 2010 में न्यायिक सम्मेलन ने तीन साल के लिए एक पायलट को अधिकृत किया।

इसमें 150 प्रथम-उदाहरण दीवानी अदालतें शामिल हैं। कैमरों का संचालन स्वयं अदालत द्वारा किया जाना था, जूरी सदस्यों का कोई फिल्मांकन नहीं होना था और पक्षों की सहमति की आवश्यकता थी। कार्यवाही केवल पीठासीन न्यायाधीश की मंजूरी से दर्ज की जा सकती थी।

और पक्षकारों को एक मामले में प्रत्येक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए सहमति देनी होती थी। जब तक पीठासीन न्यायाधीश ने रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराने का फैसला नहीं किया, तब तक उन्हें बाद में संघीय अदालत की वेबसाइट के साथ-साथ अदालत के विवेक पर स्थानीय भाग लेने वाली अदालत की वेबसाइटों पर पोस्ट किया जाएगा। न्यायाधीशों के पास एक स्विच होगा या यदि माना जाता है तो वे रिकॉर्डिंग की समाप्ति का निर्देश देने में सक्षम होंगे। आवश्यक 8 0।

सी। 2016 में न्यायिक सम्मेलन ने फैसले में बदलाव नहीं करने का फैसला किया

2010 के सम्मेलन में निर्धारित दिशानिर्देश। 2010 के प्रायोगिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले तीन जिलों को अधिकृत किया गया था

प्रतिनिधि सभा, न्यायपालिका समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः HTTPS: //न्यायपालिका। घर। जीओवी/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/2013/07 क्रिमिनल 2016। पीडीएफ 80 देखिएः संयुक्त राज्य न्यायालयों की वेबसाइट पर न्यायालयों में कैमरों का इतिहासः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूस्कोर्टस। सरकार/संघीय-अदालतें/कैमरा-अदालतें/इतिहास-कैमरा-अदालतें [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान शर्तों के तहत फिल्मांकन की कार्यवाही जारी रखें और 2010 में स्थितियाँ।

डी। संघीय अपील न्यायालयों के पास ऑडियो उपलब्ध कराने का विकल्प है।

या अपीलीय सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, और नियम हैं

प्रत्येक परिपथ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नौवां सर्किट कोर्ट उदाहरण के लिए, लाइव-स्ट्रीम मौखिक तर्क 8 1।

3. निचली अदालतें/जिला अदालतें: सभी राज्यों में न्यायालयों ने व्यवस्था की है

अदालती कार्यवाही के प्रसारण के लिए, प्रत्येक उस डिग्री और टी में भिन्न होता है जिसमें प्रसारण की अनुमति है।

ए। एस्टेस वी में। टेक्सास, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उस कैमरे को अभिनिर्धारित किया

प्रतिवादी की आपत्ति के बावजूद एक मुकदमे का कवरेज

उसी ने प्रतिवादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया, हालांकि

सवाल यह है कि क्या अदालत का प्रसारण स्वाभाविक रूप से था एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण, खुला रहा। यह था सवाल

चांडलर बनाम फ़्लोरिडा 83 में जवाब दिया गया जहाँ न्यायालय का था

राय है कि कैमरा कवरेज पर प्रतिबंध लगाया गया है

एस्टेस एक पूर्ण, सार्वभौमिक प्रतिबंध नहीं था और इसने इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि वे टेलीविजन रिकॉर्डिंग की अनुमति के लिए नियम बनाएँ, क्योंकि आपराधिक मुकदमे का टेलीविजन पर प्रसारण स्वचालित रूप से मुकदमा नहीं बना सका

प्रतिवादी के साथ अन्याय।

बी। चांडलर में निर्णय के बाद, सभी 50 अमेरिकी राज्य

अदालत के किसी प्रकार के टेलीविजन प्रसारण की अनुमति दी है

उसी 84 के लिए कार्यवाहियां और बनाए गए नियम,

राज्य से भिन्न इस तरह के प्रसारण की प्रयोज्यता और विस्तार

बताने के लिए। कुछ राज्य सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही में दृश्य और ऑडियो कवरेज की अनुमति देते हैं जो सार्वजनिक हैं, जिसमें दीवानी और न्यायिक कार्यवाही शामिल हैं।

प्रथम दृष्टांत के आपराधिक मुकदमे, के विवेक पर

पीठासीन न्यायाधीश, जबकि अन्य राज्य केवल इस तरह के कवरेज की अनुमति देते हैं

अपीलीय न्यायालय।

11. अब हम लाइव के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का विज्ञापन कर सकते हैं।

नौवें सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइटः HTTPS: / 9 सी. ए. यूस्कोर्टस। gov/मीडिया/इंडेक्स _ वीडियो। पीएचपीअमेरिका 532 (1965)

अमेरिका 560 (1981)

राज्य न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट पर कार्यवाही के प्रसारण को विनियमित करने वाले विभिन्न न्यायालयों में अधिनियमित नियमों की पूरी सूचीः HTTPS: //

सीएससी। ओआरजी/विषय/मीडिया/मीडिया-संबंध/राज्य-लिंक। एएसपीएक्स? बिल्ली = कैमरा

% 20% 20 कोर्ट रूम वापनिल त्रिपथी v.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय [ए. एम. खानविलकर, जे.]न्यायालय के सीधा प्रसारण के लिए आशंकित दिशा-निर्देश

उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही

रीफ पृष्ठभूमि

कि वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता एक

जनता पर व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाले संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के उच्चतम न्यायालय के मामलों की कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण की अनुमति देने की घोषणा और प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश

ऐसे मामलों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जो संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं।

कि, इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में न्यायालय जनता के उन सभी सदस्यों के लिए खुले हैं जो न्यायालय में उपस्थित होना चाहते हैं।

कार्यवाही। हालांकि, व्यवहार में, कई इच्छुक व्यक्ति समय की कमी, संसाधनों या हर एक तारीख को सुनवाई में भाग लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमता के कारण सुनवाई को देखने में असमर्थ हैं। यह विशेष रूप से उन वादियों के मामले में सच है जिन्हें दूर के राज्यों से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है

जैसे केरल और उत्तर-पूर्व के राज्य और इसलिए चलते हैं

अदालती सुनवाई में भाग लेने से बाहर होने का जोखिम

उनके द्वारा दायर किए गए मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, सुनवाई के विविध दिनों में, शीर्ष अदालतें अत्यधिक भीड़भाड़ वाली होती हैं, अदालत कक्षों में और वादियों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक गैलरी में व्यावहारिक रूप से कोई जगह उपलब्ध नहीं होती है।

वकील और कानून के छात्र और प्रशिक्षु।

इस तरह की कमियों के कारण, अदालत को सक्षम बनाने के लिए अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग या ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना फायदेमंद हो सकता है।

समय की बाधाओं के बिना देखी जाने वाली कार्यवाहियाँ या जगह। यह आदर्श होगा यदि वकीलों, मुवक्किलों और प्रशिक्षुओं के लिए लाइव कार्यवाही देखने के लिए अदालत में एक हॉल बनाकर एक अलग जगह आवंटित की जाए, ताकि अदालत में भीड़ कम हो जाए। इससे दूर से आने वाले ग्राहकों की आवश्यकता दूर होगी और उनकी असुविधा कम होगी।

उनके मामले की गवाही देने में। यह न्यायालय के विचार करने के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक भी हो सकता है। इस तरह की प्रणाली वकीलों, कानून के छात्रों और देश के सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को [2018] 11 एस. सी. आर. के पूरक के रूप में भी सक्षम बनाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट राष्ट्रीय मामलों के व्यावहारिक अध्ययन के साथ उनकी शिक्षा

प्रणाली 'खुले न्याय' की अच्छी तरह से स्वीकृत और सम्मानित परंपरा की सहायता में है अर्थात न्याय को खुले में प्रशासित किया जाना चाहिए। अदालत।

सिफारिशें:

उसका माननीय न्यायालय निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकता है: अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण कराएँ:

शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत संख्या 1 में एक पायलट परियोजना के रूप में और केवल संविधान पीठ के संदर्भों में पेश किया जाना चाहिए। इस परियोजना की सफलता यह निर्धारित करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जानी चाहिए या नहीं।

पूरे भारत में अदालतें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वादियों, पत्रकारों, प्रशिक्षुओं, आगंतुकों और वकीलों सहित सभी व्यक्ति कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकें, अदालत के परिसर में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ एक मीडिया कक्ष नामित किया जाना चाहिए। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अदालतों में भीड़भाड़ कम हो। भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लाभ के लिए भी प्रावधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा, सुप्रीम कोर्ट, भविष्य में, प्रतिलेखन सुविधाओं और ऑडियो को संग्रहित करने के लिए भी प्रदान कर सकता है

वेबकास्ट को वादियों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए कार्यवाही का दृश्य रिकॉर्ड, जो समय की कमी के कारण सुनवाई देखने में असमर्थ हैं। संसाधन, या हर एक तारीख को सुनवाई में भाग लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमता। इस तरह के वेबकास्ट छात्रों को भी अनुमति देंगे।

उनके शैक्षणिक ज्ञान और लाभ के पूरक के लिए कानून

राष्ट्रीय महत्व के मामलों में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि।

यह उचित है कि यह माननीय न्यायालय दिशा-निर्देश निर्धारित करता है -

इसके प्रसारण और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित और सीमित करें।

न्याय तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही। कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

ए। न्यायालय के पास फिल्मांकन या प्रसारण को सीमित करने, अस्थायी रूप से निलंबित करने या अस्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, यदि उसकी राय में, ऐसा वैपनिल त्रिपाठी v.

उपायों से निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षों के अधिकारों में हस्तक्षेप होने या अन्यथा उचित सुनवाई में हस्तक्षेप होने की संभावना है।

न्याय का प्रशासन।

बी। न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश/मानदंड निर्धारित कर सकता है कि प्रसारण की अनुमति लेने के लिए कौन से मामले संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व की कार्यवाही का गठन करते हैं।

सी। जैसा कि स्कॉट बनाम स्कॉट, (1913) ए. सी. 417 के मामले में प्रसिद्ध रूप से कहा गया है, "जबकि व्यापक सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को सार्वजनिक रूप से न्याय का प्रशासन करना चाहिए, न्याय के न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय किया जाए", प्रसारण

निम्नलिखित मामलों में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिएः

वैवाहिक मामले,

आई. किशोरों के हितों या संरक्षण से जुड़े मामले और

युवा अपराधियों के निजी जीवन की सुरक्षा,

ii. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले,

वी. यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित, गवाह या प्रतिवादी सच्चाई से और बिना किसी डर के गवाही दे सकें। असुरक्षित या भयभीत गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह चेहरे के लिए प्रदान कर सकता है

गवाह का विरूपण यदि वह गुमनाम रूप से प्रसारण के लिए सहमति देता है,

. गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए, जिसमें सभी शामिल हैं

यौन उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित मामले, और

आई. ऐसे मामले जहां प्रचार विरोधी होगा

न्याय का प्रशासन।

ii. ऐसे मामले जो भावनाओं को भड़का सकते हैं और जुनून पैदा कर सकते हैं और

समुदायों के बीच शत्रुता को भड़काना।

डी। फुटेज का उपयोग समाचार, समसामयिक मामलों और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित होगा और इसका उपयोग वाणिज्यिक, प्रचार, हल्के मनोरंजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

व्यंग्यात्मक कार्यक्रम या विज्ञापन।

ई. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व लिखित प्राधिकरण के बिना, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग या वेबकास्ट को पुनः प्रस्तुत, प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, संशोधित, प्रकाशित या पुनः प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक।

एफ. लाइव स्ट्रीमिंग और/या वेबकास्ट का कोई भी अनधिकृत उपयोग भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और लागू कानून के किसी भी अन्य प्रावधानों के तहत अपराध के रूप में दंडनीय होगा। ऐसी कार्यवाहियों पर अवमानना का कानून लागू होना चाहिए। निषेध, जुर्माना और दंड का प्रावधान किया जा सकता है।

जी। जिस तरीके से फिल्मांकन किया जा सकता है और अदालत में जिन उपकरणों की अनुमति दी जाएगी, उसके लिए अदालतें कवरेज के नियम भी निर्धारित कर सकती हैं।

एच. यह सुनिश्चित करने के लिए मामला प्रबंधन तकनीकों को पेश किया जाना चाहिए कि मामलों का निर्णय तेजी से किया जाए और वकील

सुनवाई से पहले निर्धारित समय सीमा का पालन करें। वकीलों द्वारा दलीलों/लिखित प्रस्तुतियों का एक कंकाल तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें प्रस्तुत करने से पहले अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
तर्क।

आई. इंग्लैंड में अपील न्यायालय ने नवंबर 2013 में यूट्यूब पर अपनी कार्यवाही का प्रसारण शुरू किया। प्रसारण को 70 सेकंड के लिए स्थगित कर दिया जाता है और न्यायाधीश के पास कार्यवाही में कही गई किसी बात को मूक करने की शक्ति होती है यदि उसे लगता है कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुचित हैं।

जे. इंग्लैंड में अपील न्यायालय की तरह, सर्वोच्च न्यायालय को भी केवल दो कैमरा कोण रखने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए, एक न्यायाधीश के सामने और दूसरा-वकील। कैमरे को वकील के कागजात पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए।

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत में न्यायालय आम तौर पर जनता के उन सभी सदस्यों के लिए खुले हैं, जो अदालती कार्यवाही को देखने में रुचि रखते हैं।

हालाँकि, अदालतों में साजो-सामान के मुद्दों और बुनियादी ढांचे के प्रतिबंधों के कारण, उन्हें प्रोप्रिया व्यक्तित्व में अदालत की कार्यवाही को लाइव देखने के अवसर से वंचित किया जा सकता है। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, लाइव अदालत की कार्यवाही को प्रसारित करने या प्रचारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है। सभी को लाइव अदालत की कार्यवाही की "आभासी" पहुंच प्रदान करके, यह न्याय तक पहुंच या खुले न्याय के अधिकार को प्रभावी बनाएगा और

सार्वजनिक सुनवाई, कानून के विकास को जानने का अधिकार और वादियों के दरवाजे पर न्याय के अधिकार को शामिल करना। आखिरकार, खुला न्याय अदालत कक्ष तक केवल एक भौतिक पहुँच से अधिक हो सकता है, बल्कि यह अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में "वस्तुतः" भी किया जा सकता है और इसका समान प्रभाव पड़ता है।

13. उच्चतम न्यायालय की अदालती कार्यवाही का प्रकाशन संविधान के अनुच्छेद 129 के आधार पर अभिलेख न्यायालय के रूप में इस न्यायालय की स्थिति का एक पहलू है, जिसके कार्य और कार्यवाही स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा, निर्धारित डिजिटल प्रारूप में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण एक पुष्टि होगी

जनता और विशेष रूप से वादियों को दिए गए संवैधानिक अधिकार। ऐसा करते समय, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस तरह न्यायालय की गरिमा और महिमा अलंघनीय है, उसी तरह वादियों या गवाहों के गोपनीयता अधिकारों से संबंधित मुद्दे जिनके मामले सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं, साथ ही अन्य अपवादात्मक श्रेणी के मामले भी जिनमें कार्यवाही का सीधा प्रसारण वांछनीय नहीं हो सकता है क्योंकि यह न्यायालय के उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। स्वयं न्याय का प्रशासन, ऐसे मामले हैं जिनकी पहचान करने की आवश्यकता है और संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम तैयार करके उस संबंध में एक उचित नियामक ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धी संवैधानिक अधिकारों के बीच संघर्ष के मामले में, अन्य अधिकारों पर अतिक्रमण को कम करते हुए प्रत्येक अधिकार को अधिकतम अभिव्यक्ति देने के लिए इस तरह के संघर्ष को सुसंगत बनाने के लिए एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 और सी. पी. सी. की धारा 153-बी के संदर्भ में, केवल अदालत द्वारा निर्देशित मामलों की सुनवाई कैमरे में की जा सकती है और आम जनता को अदालत में आने या रहने से वंचित किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली इमारत। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक मामले की सुनवाई को एक खुला न्यायालय माना जाता है जिसमें आम तौर पर जनता की पहुंच हो सकती है। हालाँकि, आम जनता द्वारा सुनवाई तक पहुँच अदालत कक्ष के आकार और क्षमता तक सीमित होगी। अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण के आधार पर, यह अदालत कक्ष की चार दीवारों से परे सार्वजनिक हो जाएगा, जिस पर किसी दिए गए मामले में, कार्यवाही के पक्षकार या गवाह को वास्तविक आपत्ति हो सकती है और वह निजता और गरिमा के अधिकार का दावा कर सकता है। इस तरह के दावे की जांच संबंधित न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए और किस कारण से, एक न्यायसंगत नियामक

लाइव स्ट्रीम की जाने वाली कार्यवाही के लिए पक्षों की पूर्व सहमति प्राप्त करने सहित रूपरेखा प्रदान की जानी चाहिए। 14. हम आम तौर पर भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा सुझाए गए सर्वोच्च न्यायालय में अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए व्यापक दिशानिर्देशों से सहमत हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही को "इंटरनेट" और/या रेडियो और टीवी पर लाइव ऑडियो-विजुअल प्रसारण/दूरदर्शन जैसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा सार्वभौमिक रूप से प्रसारित करने की परियोजना, जिसमें [2018] 11 एस. सी. आर. हैं।

विशेष प्रसारण अधिकार और/या न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल अनुप्रयोग को प्रगतिशील, संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण का उद्देश्य समग्र रूप से प्राप्त किया जाता है और यह न्याय के प्रशासन या मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की गरिमा और महिमा में हस्तक्षेप नहीं करता है और/या वादियों या गवाहों के किसी भी अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करता है। पूरी परियोजना को चरणों में निष्पादित करना होगा, जिसमें कुछ चरणों में उप-चरण या चरण शामिल होंगे। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि परियोजना के पहले चरण के शुरू होने से पहले, इस न्यायालय द्वारा औपचारिक नियम बनाए जाने होंगे ताकि भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया जा सके जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 11 में उल्लेख किया गया है, जबकि बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जैसे किः

(i) शुरुआत में, केवल एक निर्दिष्ट श्रेणी के मामलों या संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए तर्क दिया जा रहा है।

संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लाइव स्ट्रीम किया जाए। उसके लिए, संबंधित न्यायालय की अनुमति होगी

लिखित रूप में, पहले से, इसके अनुरूप मांगना होगा

निर्धारित प्रक्रिया।

(ii) संबंधित कार्यवाही में सभी पक्षों की पूर्व सहमति पर जोर दिया जाना चाहिए और यदि उनके बीच कोई सर्वसम्मति नहीं है, तो संबंधित न्यायालय संबंधित पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उस मामले की अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मामले में उचित निर्णय ले सकता है। न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को अंतिम माना जाएगा। होना ही चाहिए।

गैर-न्यायसंगत और गैर-अपील योग्य।

(iii) संबंधित न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में स्वतः या कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर या अन्यथा अनुमति को रद्द करने की अपनी शक्ति बनाए रखेगा, यदि स्थिति ऐसी है, तो यह ध्यान में रखते हुए कि न्याय के प्रशासन का कारण किसी भी मामले में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

तरीके से।

((iv) ऐसी अनुमति देने या देने से इनकार करने का न्यायालय का विवेकाधिकार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित द्वारा निर्देशित होगाः

विचारः

(क) इसमें शामिल पक्षों की सर्वसम्मत सहमति, स्वप्निल त्रिपाठी v.

(ख) पक्षकारों द्वारा सर्वसम्मत सहमति देने के बाद भी न्यायालय पहले विषय की संवेदनशीलता पर विचार करेगा।

ऐसी अनुमति देना, लेकिन उन मामलों तक सीमित नहीं है जो जनता के वर्ग के बीच जुनून या सामाजिक अशांति पैदा कर सकते हैं,

(ग) न्याय के प्रशासन के व्यापक हित में आवश्यक या उचित माने जाने वाले किसी अन्य कारण, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

क्या इस तरह का प्रसारण स्वयं न्यायालय की गरिमा को प्रभावित करेगा या पक्षकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप/पूर्वाग्रह करेगा

एक निष्पक्ष सुनवाई,

(v) प्रत्यक्ष अदालती कार्यवाही और प्रसारण के बीच एक उचित समय-विलंब (दस मिनट कहें) होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जानकारी जो अदालत द्वारा निर्देशित किए जाने के अनुसार नहीं दिखाई जानी चाहिए, उसे प्रसारण से संपादित किया जा सकता है।

15. जब तक "इंटरनेट" पर उच्चतम न्यायालय की ई-अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक पूर्ण-स्तरीय मॉड्यूल और तंत्र का संपादन नहीं किया जाता है, तब तक यह एक पायलट परियोजना के रूप में आवंटित पासवर्ड का उपयोग करके "इंट्रानेट" के माध्यम से इस सीमा के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्रों में लाइव स्ट्रीमिंग के ई-I के कार्यान्वयन की संभावना का पता लगाने के लिए खुला रहेगा। क्षत-विक्षत क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं:

(क) समर्पित मीडिया कक्ष जो वादियों, अधिवक्ताओं, क्लर्कों और प्रशिक्षुओं के लिए सुलभ हो सकता है। विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

भिन्न रूप से सक्षम लोगों को समायोजित करने के लिए;

(ख) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमरा/लाउंज; (ग) उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन कक्ष /

विश्राम कक्ष;

(घ) उच्चतम न्यायालय परिसर में महान्यायवादी, महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी के आधिकारिक कक्ष;

(ई) अधिवक्ता चैंबर ब्लॉक। (च) प्रेस रिपोर्टर कक्ष।

16. अन्य उपायों को ध्यान में रखना वांछनीय हो सकता है

संपूर्ण परियोजना के कुशल प्रबंधन के लिए जैसे कि:

(i) वीडियो रिकॉर्डिंग [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए तकनीकी दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त करें जिसमें पंजीयक (आई. टी.), वीडियो रिकॉर्डिंग विशेषज्ञ (ओं) और अन्य सदस्य शामिल हों जिनकी आवश्यकता हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और विशिष्ट सहित अदालती कार्यवाही का प्रसारण

पालन की जाने वाली प्रक्रिया और उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण

ध्यान दें।

) लाइव प्रसारण को संभालने के लिए विशेषज्ञ वीडियो ऑपरेटर (ओं) नियुक्त किए जाएँ, जो संबंधित के निर्देशों के तहत काम करेंगे।

अदालत। कवरेज को समन्वित और पर्यवेक्षित किया जाएगा

न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा।

i) न्यायालय कक्ष में कैमरों का फोकस निर्देशित किया जाएगा।

केवल दो समूह के लोगों के प्रतिः

ए। न्यायाधीशों/पीठ ने मामले की सुनवाई की और इस तरह के कोण पर कि केवल न्यायाधीशों के पूर्व-मुखी पक्ष को दिखाया जाए, बिना पदोन्नत न्यायाधीश के पीछे से कुछ भी खुलासा किए।

मंच/स्तर जिस पर न्यायाधीश बैठते हैं या न्यायाधीशों के कागजात, नोट्स, संदर्भ सामग्री और/या किताबें;

बी। मामले में और ऐसे कोण पर बहस करने वाले अधिवक्ता (ओं) ताकि किसी भी तरह से टिप्पणियों की सामग्री को प्रकट न किया जा सके या

अधिवक्ता (ओं) यह व्यक्तिगत रूप से बहस करने वाले पक्षों पर भी लागू होगा। उनका अपना मामला।

सी। के बीच किसी भी बातचीत का प्रसारण नहीं होगा

बहस के दौरान भी अधिवक्ता और मुवक्किल।

✓) के उद्देश्य के लिए कैमरा कोणों के किसी भी परिवर्तन के अधीन

वनों से भरे किसी भी समाचार पत्र, टिप्पणियों के प्रसारण से बचना,

संदर्भ सामग्री, किताबें और/या चर्चा, कैमरा

प्रसारण के दौरान कोण स्थिर रहेंगे।

) यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक मामला प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा

अन्य बातों के साथ-साथ यह कि अधिवक्ताओं को आवंटित किया जाता है और वे एक निश्चित नियम का पालन करते हैं

उनके मामले को लाइव स्ट्रीम करने के लिए बहस करते समय समय सीमा।

i) इस न्यायालय को प्रसारित सामग्री पर कॉपीराइट बनाए रखना चाहिए।

और कवरेज के उपयोग के संबंध में अंतिम निर्णय लें सामग्री।

(ii) किसी भी भाग (भागों) का पुनरुत्पादन, पुनः प्रसारण, प्रसारण, प्रकाशन, पुनः प्रकाशन, प्रतिलिपि बनाना, भंडारण और/या संशोधन।

न्यायालय की कार्यवाही के मूल प्रसारण का, किसी भी रूप में,

भौतिक, डिजिटल या अन्यथा, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

इस तरह के अधिनियमों में शामिल होने के लिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957, भारतीय दंड संहिता, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

न्यायालय अधिनियम, 1971।

17. हम दोहराते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 में विनियामक ढांचे के प्रावधान के लिए उपयुक्त संशोधन करना होगा।

18. अंत में, हम मानते हैं कि मुख्य पात्रों द्वारा व्यापक लोक हित में इस न्यायालय के समक्ष लाया गया मुद्दा स्वीकार करने योग्य है, ताकि जनता और विशेष रूप से वादियों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना। यह स्वीकार करते हुए कि अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और उसने न्याय के प्रशासन के संबंध में विभिन्न हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है, जिसमें खुले न्याय, गरिमा और कार्यवाही के लिए प्रतिभागियों की गोपनीयता और न्यायालयों की महिमा और गरिमा शामिल हैं।

19. नतीजतन, हम इन रिट याचिकाओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के आवेदनों को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अनुमति देते हैं और उम्मीद करते हैं कि

प्रासंगिक नियमों को तेजी से तैयार किया जाएगा और पहले चरण की परियोजना

सभी संबंधित लोगों द्वारा सही तरीके से निष्पादित किया गया। तदनुसार आदेश दिया। 20. विदा लेते समय, हमें विद्वानों द्वारा दी गई सक्षम सहायता और रचनात्मक सुझावों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना दर्ज करनी चाहिए।

इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वकील और पक्षकार।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

निर्णय का अनुक्रमणिका

एक खुला न्याय

बी भारतीय न्यायशास्त्र

सी प्रौद्योगिकी और ओपन कोर्ट

सी. 2 प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन सी. 3 सेवा वितरण के लिए बनाए गए मंच [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. 4 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

सी. 6 वीडियो स्ट्रीमिंग/वेब कास्ट की अवधारणा सी. 7 ओपन कोर्ट के विस्तार के रूप में आभासी वास्तविकता

डी तुलनात्मक कानून

ई-कार्यवाही के प्रसारण के लिए मॉडल दिशानिर्देश और अन्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक घटनाएँ

एक खुला न्याय

महत्व का सामाजिक ताने-बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नागरिकों ने अदालती कार्यवाही के बारे में जानने और उसका पालन करने का अधिकार। यह प्रस्तुत किया गया है कि आई. सी. टी. सक्षम उपकरणों की सहायता से अदालती कार्यवाही का सीधा या ऑनलाइन प्रसारण न्याय तक पहुंच के कारण को कम करेगा।

2. हमारी कानूनी प्रणाली खुले न्याय के सिद्धांत का पालन करती है।

अदालती कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए प्रार्थना की उत्पत्ति इसी सिद्धांत में हुई है। लाइव-स्ट्रीमिंग से वादियों और समाज के प्रत्येक सदस्य को अदालत की कार्यवाही तक वास्तविक समय में पहुँच की अनुमति मिलेगी।

3. खुला न्याय आम कानून का एक लंबे समय से स्थापित सिद्धांत है

प्रणालियाँ। यह एक उदार लोकतंत्र में 'देश के संविधान का एक मजबूत और बहुत पवित्र हिस्सा' के रूप में एक उच्च आधार पर स्थित है और

न्याय का प्रशासन। " जेरेमी बेंथम ने अठारहवीं शताब्दी के अंत में ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए सिद्धांतों को तैयार करते हुए खुले न्याय के विचार का प्रतिपादन किया जिसमें व्यक्तियों को निरीक्षण के तहत रखा जाना हैः

" ..... सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के दरवाजे बड़े पैमाने पर जिज्ञासुओं के लिए खुले होने चाहिए-महान खुली समिति

दुनिया के न्यायाधिकरण "। 2

1 स्कॉट बनाम स्कॉट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, [1913] ए. सी. 417 473 पर। 2 जेरेमी बेंथम, द वर्क्स ऑफ जेरेमी बेंथम, उनके निष्पादक, जॉन बॉरिंग (एडिनबर्गः विलियम टेट, 1838-1843)। 11 मात्राएँ,

खंड 4, पृष्ठ 46 पर।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

4. हालांकि बेंथम ने इन शब्दों को बड़े संदर्भ में लिखा था

सार्वजनिक संस्थान, वे खुले न्याय के सिद्धांत के लिए समान शर्तों पर लागू होते हैं। बेंथम ने अपने "न्यायिक संगठन के लिए संहिता का मसौदा" में कहा

स्थापना "ने खुले न्याय के सिद्धांत को इस प्रकार संहिताबद्ध कियाः

" अनुच्छेद XVIII-न्यायिक कार्यवाही, पहले कदम से लेकर

अंतिम समावेशी, सभी मामलों में, लेकिन इसमें निर्दिष्ट गुप्त मामलों को छोड़कर, अधिकतम संभव प्रचार के साथ किया जाएगा। 3.

बेंथम के अनुसार, गुप्त (या कैमरे में) कार्यवाही न्यायाधीश के कक्ष में की जानी थी। 4 उन्होंने राष्ट्रीय विधानसभा न्यायालयों द्वारा परीक्षणों के लिए खुला न्याय भी निर्धारित किया (जो, उनकी संहिता में, किसी भी महानगर न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित अदालतें थीं):

" अनुच्छेद III-इस तरह का परीक्षण शुरू से अंत तक किया जाएगा।

खुले दरवाजों के साथ और अधिकतम संभव प्रचार के साथ "। 5

खुले न्याय में अंतर्निहित सिद्धांत लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ट द्वारा तैयार किया गया थाः

" न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और

निस्संदेह ऐसा होते देखा जा सकता है "। आर (बिन्याम मोहम्मद) बनाम विदेश राज्य सचिव

और राष्ट्रमंडल मामलों में, लॉर्ड जज सी. जे. खुले न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक कड़ी बनाते हैंः

" ..... खुला न्याय का सिद्धांत लोकतांत्रिक के एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।

जवाबदेही, और सिद्धांत की जोरदार अभिव्यक्ति

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अंततः यह कानून के शासन का समर्थन करता है

स्वयं "। " 7

5. कानूनी विद्वान संकेत देते हैं कि खुले न्याय का सिद्धांत

इसमें ऐसे कई पहलू शामिल हैं जो निष्पक्ष प्रशासन के लिए केंद्रीय हैं। न्याय और कानून का शासन। इसके प्रक्रियात्मक और मूल दोनों आयाम हैं, जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। खुले न्याय में कई उपदेश शामिल हैंः

(i) किसी इच्छुक व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार

दर्शक;

3 पृष्ठ 288 पर लिखा है।

4 पृष्ठ 303 पर लिखा है।

5 पृष्ठ 300 पर लिखा है। ' किंग्स बेंच, आर बनाम ससेक्स [1923] में डिवीजन कोर्ट, ऑल ईआर रेप 233। 7 अपील न्यायालय, इंग्लैंड और वेल्स आर (बिन्यम मोहम्मद) बनाम राज्य सचिव के लिए

विदेश और राष्ट्रमंडल मामले, [2010] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 554।

8 कनलिफ एम्मा, "खुला न्यायः अवधारणाएँ और न्यायिक दृष्टिकोण ", (2012) 40 फेड एल

रेव 385.

((ii) न्यायालय की पूर्ण, निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना।

कार्यवाही;

((ग) न्यायधीशों का कर्तव्य है कि वे तर्कसंगत निर्णय दें; और
((iv) न्यायालयों के निर्णयों तक सार्वजनिक पहुंच।

एक खुले न्यायालय का सिद्धांत खुले न्याय की व्यापक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आयाम है। खुली अदालतें जनता को अनुमति देती हैं

अदालती कार्यवाही देखें। ब्लैक लॉ डिक्शनरी एक "ओपन" को परिभाषित करती है।हमारा "निम्नानुसार हैः

एक ऐसा न्यायालय जिसमें जनता को प्रवेश पाने का अधिकार हो। इस शब्द का अर्थ या तो एक अदालत हो सकता है जिसे औपचारिक रूप से बुलाया गया है।

और अपने उचित न्यायिक कार्य के लेन-देन के लिए खुला घोषित किया गया, या एक अदालत जो दर्शकों के लिए स्वतंत्र रूप से खुली है। जनता का
विश्वास बनाए रखने के लिए खुली अदालतों का विचार महत्वपूर्ण है

न्याय प्रशासनः

" जनता को किसी भी अदालत में यह देखने के लिए प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए कि उस अदालत में न्याय किया जा रहा है, एक न्यायाधिकरण द्वारा कानून के अनुसार न्याय करने के लिए ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जा रहा है। 11

खुली अदालतें न्यायिक कार्यवाही में निर्णय की प्रक्रिया पर रोक सुनिश्चित करती हैं। बेंथम ने अदालत के बारे में प्रचार पर विचार किया

न्यायाधीशों की आकस्मिकता को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्यवाहीः

" प्रचार न्याय की आत्मा है। यह परिश्रम के लिए सबसे तीव्र प्रेरणा है, और असंभवता के खिलाफ सभी रक्षकों में से सबसे निश्चित है। यह रखता है।

न्यायाधीश स्वयं, प्रयास करते हुए, विचाराधीन है।

..... केवल प्रचार के माध्यम से ही न्याय सुरक्षा की जननी बन जाता है। प्रचार द्वारा न्याय के मंदिर को एक मंदिर में बदल दिया जाता है

स्कूल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। "9 12

आइबीआइडी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, 1990, पृष्ठ 1091। द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 10 वां संस्करण, 2014, पृष्ठ 1263 एक "खुली अदालत" को इस प्रकार परिभाषित करता हैः " 1. एक अदालत

जो सत्र में है, एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में, पक्षों और उनके वकीलों द्वारा भाग लिया जाता है, और न्यायिक व्यवसाय में लगी होती है। यह शब्द एक ऐसे न्यायालय से अलग है जो कैमरे में साक्ष्य सुन रहा है या न्यायाधीश से जो केवल मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। 2. एक अदालती सत्र जिसमें जनता भाग लेने के लिए स्वतंत्र है।

ऊपर टिप्पणी 7. पृष्ठ 316-317 पर सुप्रा नोट 2।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

6. एजी बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए बोलते हुए लॉर्ड डिप्लॉक

लेवेलर पत्रिका ने टिप्पणी की कि खुली अदालतें न्यायिक मनमानेपन या विशिष्टता के खिलाफ एक सुरक्षा हैं। 1 3 उनके विचार में, खुली अदालतें न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। 1 4 14 न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि अदालतें कैसे काम करती हैं। कार्य. खुली अदालतें जनता के लिए न्यायपालिका के बारे में उचित धारणाओं को विकसित करना संभव बनाती हैं, जिससे वे सीधे न्यायिक व्यवहार और किसी मामले की प्रक्रियाओं और परिणामों का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के फैसले में, ग्रोलो बनाम

पाल्मर, गम्मोव जे ने खुले कोर्ट के विचार पर ध्यान दियाः

" राष्ट्रमंडल की न्यायिक शक्ति की एक अनिवार्य विशेषता इस तरह के विवादों का समाधान है ताकि अंतिम प्रावधान किया जा सके।
परिणाम जो सार्वजनिक सुनवाई के बाद सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं, और जहां एक न्यायाधीश तथ्य के साथ-साथ कानून का न्यायाधिकरण भी होता है, निर्णय के लिए आधारों से पहले होते हैं जो तर्क द्वारा सक्रिय होते हैं। अ.

प्रत्येक विशेष में न्यायिक शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य

मामला विवाद के पक्षों और आम जनता की संतुष्टि है कि, इन प्रक्रियाओं द्वारा, न्याय किया गया है और

किया जाता देखा गया। " 15

ब्रिटेन में न्याय मंत्रालय, अनुमति देने के अपने प्रस्ताव में

अदालती कार्यवाही के प्रसारण ने आवश्यकता को संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया है खुले न्यायालयों के लिए:

" बहुत कम लोगों को अदालती कार्यवाही का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और

आपराधिक न्याय प्रणाली की समग्र सार्वजनिक समझ सीमित है।

अधिकांश अदालती बैठकें तब होती हैं जब कई लोग काम पर होते हैं। इसलिए, कई लोग वर्तमान में अपने विचारों को इस आधार पर रखते हैं कि कैसे

प्रणाली को टेलीविजन या फिल्मों में चित्रित किया जाता है। ये नाटकीकृत

लेखा शायद ही कभी यह दर्शाते हैं कि अदालत में क्या होता है। के साथ

अब उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सीमा, इसके लिए आसान होना चाहिए अदालत की कार्यवाही के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग। 9916 "

13 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एजी बनाम लेवलर पत्रिका, [1979] एसी 440 में लॉर्ड डिप्लॉक के अनुसार,

पृष्ठ 450।

14 आइबीआइडी।

15 ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, ग्रोलो बनाम पामर, [1995] एच. सी. ए. 2 में जे. गम्मो के अनुसार। 16 न्याय मंत्रालय, यू. के., चुनिंदा अदालती कार्यवाही के प्रसारण, फिल्मांकन और रिकॉर्डिंग की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव, सिफारिशें करना, 2012। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //संपत्ति। प्रकाशन। सेवा करते हैं। गव. यूके/सरकार/अपलोड/सिस्टम/अपलोड /

अटैचमेंट _ डेटा/फाइल/217307/ब्रॉडकास्टिंग-फिल्मांकन-रिकॉर्डिंग-कोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिचमंड में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में

समाचार पत्र, इंक. बनाम वर्जीनिया, बर्गर सी. जे. ने कहाः

" आंशिक रूप से खुले परीक्षणों का प्रारंभिक इतिहास व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है, इससे बहुत पहले कि व्यवहार वैज्ञानिक थे।

कि सार्वजनिक परीक्षणों का महत्वपूर्ण सामुदायिक चिकित्सीय मूल्य था।

..... एक खुले समाज में लोग अपने संस्थानों से अचूकता की मांग नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि वे क्या हैं।

देखने से मना किया गया। ' " 917

7. न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास

कानून के शासन को बनाए रखने और सामाजिक ताने-बाने की स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अदालत में लोगों की पहुंच का मतलब है कि जनता अदालत में विवादों को हल करने और न्यायिक आदेशों का पालन करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। खुली अदालतें प्रभावी रूप से जनता को बढ़ावा देती हैं

वादियों और जनता के सदस्यों को देखने की अनुमति देकर विश्वास

अदालती कार्यवाही और यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीश कानून को निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से लागू करते हैं।

बी भारतीय न्यायशास्त्र

8. खुली अदालतों की अवधारणा भारतीय कानूनी प्रणाली के लिए अलग नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 145 (4) में अवधारणा को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक खुला न्यायालय होगाः

" (4) उच्चतम न्यायालय द्वारा खुला न्यायालय के अलावा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा, और अनुच्छेद 143 के तहत कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, सिवाय खुले न्यायालय में दी गई राय के।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सी. पी. सी".) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सी. आर. पी. सी".) खुली अदालतों के सिद्धांत का विस्तार करते हैं।

भारत में सभी दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के लिए। सी. पी. सी. की धारा 153-बी में प्रावधान है कि प्रत्येक दीवानी अदालत जो किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, उसे एक खुला मामला माना जाएगा।

अदालतः

" धारा 153-बी। मुकदमे का स्थान खुला माना जाएगा

अदालत।

जिस स्थान पर किसी वाद का विचारण करने के उद्देश्य से कोई सिविल न्यायालय आयोजित किया जाता है, उसे एक खुला न्यायालय माना जाएगा, जिसके लिए -

आम तौर पर जनता के पास जहाँ तक हो सके पहुँच हो सकती है।

उन्हें आसानी से शामिल करें:

17 रिचमंड न्यूजपेपर्स, इंक. बनाम वर्जीनिया, 448 यू. एस. में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय

555 (1980) .

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो किसी विशेष मामले की किसी भी जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश दे सकता है कि आम तौर पर जनता या किसी विशेष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन में प्रवेश करने या रहने या रहने का अधिकार नहीं होगा।

इसी तरह सी. आर. पी. सी. की धारा 327 भी आपराधिक अदालतों को अनिवार्य करती है।

खुला रहने के लिएः

" धारा 327। - कोर्ट खुला रहेगा।

" [(1)] जिस स्थान पर किसी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के उद्देश्य से कोई आपराधिक न्यायालय आयोजित किया जाता है, उसे एक अपराध माना जाएगा।

खुला न्यायालय, जिसके लिए आम तौर पर जनता की पहुंच हो सकती है, जहाँ तक वे आसानी से उन्हें रोक सकते हैंः

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझता है, तो किसी विशेष मामले में किसी भी जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश दे सकता है कि आम तौर पर जनता या किसी विशेष व्यक्ति को उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन तक पहुंच नहीं होगी या वह उसमें नहीं रहेगा या रहेगा। अदालत "।

इसलिए, भारत में सभी अदालतें जनता के लिए खुली हैं और खुली अदालतों के रूप में कार्य करती हैं, सिवाय तब जब न्याय के प्रशासन के लिए जनता की आवश्यकता होती है। न्यायालय तक पहुँच प्रतिबंधित की जाए। भारत में खुली अदालतों का सिद्धांत उन अपवादों को मान्यता देता है जो निष्पक्ष प्रशासन के हित में हैं।

न्याय।

9. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने खुली अदालतों के महत्व को मजबूत किया है। इस पहलू पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय नरेश श्रीधर मिराज्कर्व मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है।

महाराष्ट्र राज्य 1,8 ("मिराजकर")। मानहानि के मुकदमे में गवाह के साक्ष्य को प्रकाशित करने के लिए मीडिया को प्रतिबंधित करने वाले उच्च न्यायालय के एक मौखिक आदेश को बरकरार रखते हुए, बहुमत ने खुले होने के महत्व पर जोर दिया।

अदालतें। मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

" 20 ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर, अदालतों के समक्ष लाए गए सभी मामलों, चाहे वे दीवानी हों, आपराधिक हों या अन्य, की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए। न्याय के स्वस्थ, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन के लिए खुली अदालत में सार्वजनिक सुनवाई निस्संदेह आवश्यक है। सार्वजनिक जांच और टकटकी के अधीन आयोजित मुकदमा स्वाभाविक रूप से न्यायिक

सनक या अनियमितताओं के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है, और निष्पक्षता में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है।

18 (1966) 3 एससीआर 744।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय प्रशासन की निष्पक्षता और निष्पक्षता। न्याय के प्रशासन में जनता का इतना बड़ा विश्वास है

अदालत में सार्वजनिक प्रवेश-कमरा "। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने तब बेंथम से उद्धृत किया (जैसा कि में उल्लेख किया गया है)

: बनाम स्कॉट 1 9):

" 20 ..... गोपनीयता के अंधेरे में भयावह रुचि, और हर चीज़ में बुराई

आकार लें, पूरी तरह से झूलें। केवल प्रचार के अनुपात में ही न्यायिक अन्याय पर लागू कोई भी जाँच संचालित हो सकती है। जहाँ प्रचार नहीं है वहाँ न्याय नहीं है। प्रचार न्याय की आत्मा है। यह परिश्रम के लिए सबसे तीव्र प्रेरणा है, और आशुरचना के खिलाफ सभी रक्षकों में से सबसे निश्चित है। यह न्यायाधीश को मुकदमे के तहत प्रयास करते समय (इस अर्थ में कि) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति प्रचार है। यहां तक कि अपनी असहमत राय में, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला (जैसा कि विद्वान तब थे) एक खुले विचार के महत्व पर बहुमत से सहमत थे।

प्रणालीः

" 90. ..... जैसा कि हमें सौभाग्य से अंग्रेजी परंपरा विरासत में मिली है

सार्वजनिक रूप से परीक्षण आयोजित करना (कुछ अपवादों के साथ जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा), मैं अंग्रेजी अभ्यास के साथ शुरुआत करूंगा। यह हमेशा महाद्वीपीय के विपरीत अंग्रेजी प्रणाली का गौरव रहा है, कि सभी परीक्षण खुले दरवाजों के साथ आयोजित किए जाते हैं। यह सिद्धांत पुराना है. यह नागरिक स्वतंत्रता की प्रत्यक्ष गारंटी है और इसने बेंथम को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि यह न्याय की आत्मा है और जितना प्रचार हुआ, न्यायिक अन्याय पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने खुले न्याय के बारे में विस्तार से बताया लेकिन इसे मान्यता भी दी

न्याय के प्रशासन की रक्षा के लिए पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए, में

जहाँ यह आवश्यक हो जाता हैः

" 129 ..... कारणों की खुली अदालत में सुनवाई का अत्यधिक महत्व है।

निष्पक्षता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए

न्याय प्रशासनः यह न्यायिक व्यवहार के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी पक्षों और उनके गवाहों के आचरण पर एक पूर्ण जांच के रूप में कार्य करता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से एक कारण की सुनवाई जो

रा नोट 1.

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

केवल न्याय के प्रशासन को सुरक्षित करने के लिए बेदागों को न्याय के प्रशासन के सर्वोपरि उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि अत्यधिक हो।

प्रचार स्वयं अन्याय के एक साधन के रूप में काम करता है, अदालत धीमा नहीं हो सकता है, अगर यह संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है

प्रचार पर ऐसा प्रतिबंध जो न्यायालय के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

प्राथमिक वस्तु "।

न्यायमूर्ति बचावत ने "अधिकार के दर्शन" में हेगेल का हवाला देते हुए कहा कि " 140 ..... न्याय की अदालत एक सार्वजनिक मंच है। यह प्रचार के माध्यम से है।

कि नागरिक इस बात से आश्वस्त हैं कि न्यायालय समान रूप से न्याय प्रदान करता है, और इसलिए यह आवश्यक है कि मुकदमा जनता के लिए खुला होना चाहिए और अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रचार न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास पैदा करता है। दुर्लभ और असाधारण में

केवल मामलों में, न्यायालय बंद दरवाजों के पीछे मुकदमा चला सकता है, या इस दौरान अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन को प्रतिबंधित कर सकता है।

मुकदमे की विचाराधीनता।

141. ..... हेगेल ने अपने अधिकार के दर्शन में कहा कि न्यायिक कार्यवाही सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य न्याय है, जो सभी के लिए सार्वभौमिक है।

मिराजकर की राय से प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं:

(i) खुली अदालतें जनता के विश्वास को प्रेरित करने के साधन के रूप में काम करती हैं।

न्याय के प्रशासन में;

((ii) खुली अदालतें न्यायपालिका पर रोक लगाने का काम करती हैं।

((ग) न्यायिक प्रक्रिया का प्रचार न्याय की आत्मा है।

((iv) यदि प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है तो खुले न्याय को न्याय प्रशासन के सर्वोपरि उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए।

किसी विशेष मामले के तथ्यों तक पहुंच; और

(v) वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होने के लिए खुले न्यायालय आवश्यक हैं।

न्याय का प्रशासन।

10. लगभग दो दशक बाद, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे में

आई. सी. आई. पी. एल. निगम, 20 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों ने आजीविका कमाने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया। मुखिया। बी5) 3 एससीसी 545।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के महत्व को दोहराते हुए इस सिद्धांत पर जोर दिया कि न्याय भी होता दिखना चाहिएः

" 47 ..... न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से किया जाता दिखना चाहिए। अन्याय की उपस्थिति न्याय से इनकार है। प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति के साथ बातचीत इस आवश्यकता को पूरा करती है कि न्याय भी देखा जाना चाहिए। करने के लिए।

..... इसका परिणाम जो भी हो, इस तरह की सुनवाई एक मूल्यवान मानव बातचीत का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें प्रभावित व्यक्ति कम से कम अनुभव करता है उस निर्णय में भाग लेने की संतुष्टि जो उसे महत्वपूर्ण रूप से चिंतित करती है, और शायद एक प्राप्त करने की अलग संतुष्टि

यह स्पष्ट करें कि निर्णय एक निश्चित तरीके से क्यों लिया जा रहा है। दोनों से सुने जाने का अधिकार, और यह बताए जाने का अधिकार कि क्यों, विश्लेषणात्मक रूप से एक अलग परिणाम प्राप्त करने के अधिकार से अलग हैं; आदान-प्रदान के ये अधिकार इस प्राथमिक विचार को व्यक्त करते हैं कि एक चीज़ के बजाय एक व्यक्ति होने के बारे में कम से कम परामर्श किया जाना चाहिए।

एक के साथ क्या किया जाता है। न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने प्रक्रियात्मक न्याय की इस भावना के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया जब उन्होंने लिखा कि "किसी निष्कर्ष की वैधता और नैतिक अधिकार काफी हद तक उस तरीके पर निर्भर करता है जिसके द्वारा वह पहुंचा गया था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ मामले के गंभीर नुकसान की सूचना और उसे पूरा करने का अवसर देने से बेहतर कोई साधन तैयार नहीं किया गया है। न ही भावना पैदा करने के लिए एक बेहतर तरीका पाया गया है, इतना महत्वपूर्ण है

एक लोकप्रिय सरकार के लिए, कि न्याय किया गया है "। ये अवलोकन विश्लेषण के संदर्भ में किए गए हैं।

सुनवाई के अधिकार का महत्व। लेकिन ओल्गा टेलिस ने इस बात पर जोर दिया कि न केवल उद्देश्य, बल्कि न्याय के साधन भी महत्वपूर्ण हैं। एक खुली अदालत प्रणाली के पीछे का उद्देश्य प्रभावित पक्ष को अनुदान देना है और जनता को न्याय दिए जाने का अवलोकन करने का अवसर। जिस प्रक्रिया के द्वारा न्याय प्रदान किया जाता है, उसका उस विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो यह समाज में पैदा करता है। प्रक्रिया का ज्ञान एक आत्मविश्वास निर्माता है।

11. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम प्रो. मनुभाई।

डी. शाह, 2 1 इस न्यायालय ने एक नागरिक द्वारा राज्य की एक इंस्ट्रूमेंटलिटी द्वारा प्रकाशित एक इन-हाउस पत्रिका में योगदान करने के लिए दावा किए गए अधिकार की जांच की। दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (विद्वान के रूप में)

21 (1992) 3 एससीसी 637।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उस समय मुख्य न्यायाधीश ने) लोकतंत्र में सूचना के प्रसार के महत्व पर जोर दिया थाः

" 8. ..... प्रिंट मीडिया, रेडियो और छोटा पर्दा सार्वजनिक शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

..... यह नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक संचार माध्यम जनता को हुई घटनाओं और विकास के बारे में सूचित करके और इस तरह मतदाताओं को शिक्षित करके सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसी भूमिका जिसे लोकतंत्र के जीवंत कामकाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए, किसी भी व्यवस्था में, विशेष रूप से हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकप्रिय उपभोग के लिए समाचारों और विचारों का प्रसार आवश्यक है और इसे अस्वीकार करने के किसी भी प्रयास को तब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) की शरारत के दायरे में नहीं आता है।

संविधान "।

12. हाल ही में, मोहम्मद में। शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य, 22 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक अधिसूचना के लिए एक चुनौती की जांच कर रही थी, जिसमें परिसर को आयोजित करने के लिए घोषित किया गया था। मुकदमा। न्यायमूर्ति एम. के. शर्मा ने अपनी सहमति में खुली अदालतों का वर्णन कियाः

" 215 ..... मेरे विचार में "खुली अदालत" एक ऐसी अदालत है जिसमें आम जनता को प्रवेश पाने का अधिकार है और अदालत में प्रवेश करने के लिए सभी व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है जो अदालत में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। न्यायिक कार्यवाही का संचालन "।

इन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, इस न्यायालय ने जनता को अनुमति देने के साधन के रूप में खुले अदालत कक्षों के महत्व को मान्यता दी है।

न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को देखें। अदालती सुनवाई तक प्रत्यक्ष पहुंच जनता और वादियों को न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत देखने और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में एक सूचित राय बनाने में सक्षम बनाती है।

13. हमारे देश में खुली अदालतों का प्रभाव इस तथ्य से कम हो जाता है कि समाज के एक बड़े वर्ग को शायद ही कभी ऐसा करने का अवसर मिलता है अदालती कार्यवाही में भाग लें। यह गरीबी, निरक्षरता, दूरी, लागत और अदालती कार्यवाही के बारे में जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं के कारण है। वादी वकीलों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। अन्य, जो मुकदमेबाजी में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यायिक निर्णयों के बारे में प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करते हैं। जब मामलों का विवरण

22 (2010) 4 एससीसी 653।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सटीक और व्यापक है, यह खुले न्याय के कारण की सेवा करता है। हालाँकि, यदि न्यायिक सुनवाई पर कोई रिपोर्ट गलत है, तो यह जनता के जानने के अधिकार में बाधा डालती है। अदालतें, हालांकि कानून में खुली हैं और वास्तव में, व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन से बहुत दूर हो जाती हैं। यह विसंगत है क्योंकि अदालतें मुख्य रूप से उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए मौजूद हैं।

सी प्रौद्योगिकी और ओपन कोर्ट

14. प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में, यह अब पर्याप्त नहीं है

मामलों की सुनवाई और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिए केवल मीडिया पर भरोसा करें। प्रौद्योगिकी जीवन के सभी पहलुओं का एक अपरिहार्य पहलू बन गया है। इंटरनेट की पैठ और स्मार्ट फोन के उपयोग में वृद्धि ने हमारे संवाद करने के तरीके में क्रांति ला दी है। 31 मार्च 2018 तक, भारत में कुल 1 करोड़ दूरसंचार ग्राहक और 1 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। 23 प्रौद्योगिकी सार्वजनिक पहुंच को बढ़ा सकती है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है और इसमें सक्रिय नागरिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। राज्य संस्थाओं का कार्यकरण। न्यायालयों को भौतिक से परे जाकर खुले न्यायालयों के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता भी लेनी चाहिए

आभासी अभिगम्यता तक पहुंच।

15. न्याय को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने का महत्व

अपने सच्चे अर्थों में नागरिक को लॉर्ड न्यूबर्गर ने अपने न्यायिक अध्ययन बोर्ड के भाषण (2011) में समझायाः

‘ ..... यदि न्याय होता दिखाई देता है तो यह समझने योग्य होना चाहिए।

निर्णय न केवल उपलब्ध होने के अर्थ में खुले होने चाहिए।

जनता के लिए, लेकिन, जहां तक संभव हो तकनीकी और जटिल को देखते हुए हमारे अधिकांश कानून की प्रकृति; वे भी स्पष्ट और आसानी से होने चाहिए

वकीलों द्वारा व्याख्या योग्य। और गैर-वकीलों के लिए भी। उस युग में जब

यह पहले से कहीं अधिक संभावना है कि नागरिकों को प्रतिनिधित्व करना होगा

स्वयं, यह तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

" 9 24

16. भारत में इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने सक्रिय रूप से काम किया है।

न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक बनाने के लिए अपनाई गई तकनीक सुलभ, व्यवस्थित, पारदर्शी और सरल। उदाहरण के लिए, इस न्यायालय सहित देश की कई अदालतों में अब अदालत में डिस्प्ले बोर्ड हैं

परिसरों और उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर जो कानूनी व्यवसायियों को सक्षम बनाते हैं

23 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन

संकेतक जनवरी-मार्च, 2018। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //ट्राई करें। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल /

पीआईआरपोर्ट 27062018 0. पी. डी. एफ.

24 न्यूबर्गर, लॉर्ड ऑफ एबॉटबरी (मास्टर ऑफ रोल्स) 2011, 'ओपन जस्टिस अनबाउंड?' ,

न्यायिक अध्ययन बोर्ड वार्षिक व्याख्यान, 16 मार्च 2011। यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः // नेटके। नेट। एयू/जज/न्यूबर्गर 2।

और जनता को कारण सूची की प्रगति देखने के लिए। यह न्यायालय और उच्च न्यायालय वेबसाइटों का रखरखाव करते हैं जहाँ वे कारण सूची, दैनिक आदेश और निर्णय अपलोड करते हैं। वे पिछले निर्णयों का एक संग्रह भी रखते हैं, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न इनपुट का उपयोग करके एक विशिष्ट निर्णय की खोज कर सकते हैं।

17. इस न्यायालय के हाल के निर्णय भी इस न्यायालय की प्रगति के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुकूल होने की इच्छा का संकेत देते हैं।

न्याय। कृष्ण वेणी नागम बनाम हरीश नागम, 25 में इस न्यायालय ने कुछ श्रेणियों के मामलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को विनियमित करने के लिए तकनीकी विकास पर विचार किया था। न्यायमूर्ति ए. के. गोयल ने अपनी और न्यायमूर्ति ललित की ओर से निर्देश दियाः

निर्देशों के अनुसार अधिसूचित घंटों के दौरान अधिसूचित टेलीफोन पर सुलभ हो सकता है। ये कदम कुछ हद तक वादियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संथिनी बनाम विजय वेंकटेश, 26 में जहां यह न्यायालय था

वैवाहिक विवादों के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देने के मुद्दे पर फिर से विचार करते हुए, हम में से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने अपनी असहमति में न्याय के वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर चर्चा कीः

" 89. प्रौद्योगिकी को न्याय वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं को लाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यात्रा की बढ़ती लागत और अन्य खर्चों के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लागत प्रभावी और किफायती व्यवस्था प्रदान कर सकती है।

प्रभावी विकल्प। आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान अदालत को गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने की अनुमति देते हैं

न्याय का प्रशासन। प्रौद्योगिकी का उपयोग दक्षता को अधिकतम कर सकता है और कानूनी कार्य करने के लिए नवीन तरीकों का विकास कर सकता है।

25 (2017) 4 एससीसी 150।

26 (2018) 1 एससीसी 1.

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवाएँ। न्याय तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाया जाना चाहिए। बार-बार स्थगन से वादी की कमर टूट जाती है। हमें प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए और इसके उपयोग में देरी नहीं करनी चाहिए।

न्याय के प्रशासन को कुशल बनाना।

C. 1 भारतीय न्यायालयों में ICT 27

प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता को संभव बना दिया है। प्रौद्योगिकी और कानून के बीच परस्पर क्रिया ने कानूनी जानकारी के प्रसार की अनुमति दी है

एक बटन का वास्तविक क्लिक। हमने प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ तैयार की हैं।

हमारी न्यायिक प्रणाली की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप। भारतीय न्यायपालिका ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) को शामिल किया है। ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट (ई कोर्ट प्रोजेक्ट) के तत्वावधान में। यह राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन. ई. जी. पी.) का एक हिस्सा रहा है जिसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लागू किया गया है। यह 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा तैयार की गई 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' पर आधारित थी। 2005 की ई-समिति की रिपोर्ट में ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तीन चरणों का प्रस्ताव किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और

न्याय विभाग, भारत सरकार, एक उचित माध्यम से

आधारभूत संरचना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, ऐप, न्यायिक सेवा केंद्र और कियोस्क सहित सात प्लेटफार्मों में बेहतर पहुंच। ई-कोर्ट परियोजना में अधिकारियों, आई. सी. टी. की क्षमता निर्माण भी शामिल है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, तालुका कानूनी सेवा समितियों, राज्य न्यायिक अकादमियों और न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान

इंजीनियरिंग। वर्तमान में, ई-कोर्ट परियोजना 21,000 से अधिक अदालतों की जरूरतों को पूरा करती है और इसे 600 से अधिक जिलों, 3,000 अदालत परिसरों और 6,400 प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है।

27 न्याय विभाग, भारत सरकार (doj.gov.in) और ई अदालत सेवाओं (ecourts.gov.in) की वेबसाइटों में चल रही ई-कोर्ट परियोजना के बारे में उचित मात्रा में जानकारी है।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सी. 2 प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन

ई-कोर्ट परियोजना का एक उद्देश्य आई. सी. टी. अवसंरचना को कंप्यूटर हार्डवेयर, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से युक्त बनाना है।

(जिला न्यायपालिका में उपलब्ध एल. ए. एन.), वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू. ए. एन.), सूचना कियोस्क, यू. पी. एस., अक्षय ऊर्जा-आधारित पावर बैक-अप और अन्य परिधीय उपकरण।

ई-कोर्ट परियोजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) द्वारा मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी पर विकसित की गई है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के तहत विभाग

प्रौद्योगिकी. स्थानीय प्रक्रियाओं, प्रथाओं और भाषाओं के संदर्भ में देश की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकल एकीकृत मामला सूचना प्रणाली (सी. आई. एस.) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और भारत में पूरे जिला न्यायपालिका को उपलब्ध कराया गया है। सी. आई. एस. संस्करण 3 सभी जिला और तालुका न्यायालयों में उपलब्ध कराया गया है। 15 उच्च न्यायालय पहले से ही सी. आई. एस. संस्करण 1 से लैस हैं।

ई-समिति ने व्यापक क्षमता निर्माण अभ्यास किए

न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। इस परियोजना का संचालन और प्रबंधन अदालत के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और कर्मचारियों को कंप्यूटर के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाता है। उनमें से कुछ को प्रणाली प्रशासकों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए भी चुना जाता है।

सी. 3 सेवा वितरण के लिए बनाए गए मंच
(i) ई-कोर्ट पोर्टलः वादी, अधिवक्ता, सरकार जैसे हितधारकों के लिए ऑनलाइन तंत्र 28 (वेबसाइट) उपलब्ध हैं।

एजेंसियां, और पुलिस मामले की स्थिति का पता लगाने, कारण सूची, निर्णय और दैनिक आदेशों को देखने के लिए। सेवाएँ। इकोर्स। गव. इन पोर्टल एक वन स्टॉप एक्सेस पॉइंट है जहाँ एक व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न खोज मानदंडों का उपयोग करके देश भर की किसी भी अदालत से मामले का पता लगा सकता है। देश भर में दीवानी और आपराधिक मामलों के निपटारे और लंबित रहने के लिए पोर्टल पर डेटा उपलब्ध है। पोर्टल में जिला न्यायपालिका के निर्णय और आदेश भी शामिल हैं।

((ii) मोबाइल ऐपः एंड्रॉइड और आई. ओ. एस. पर उपलब्ध ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप अधिवक्ताओं और पक्षों सहित सभी हितधारकों को उन मामलों का एक पोर्टफोलियो बनाने की सुविधा प्रदान करता है जिनमें वे जुड़े हुए हैं और भविष्य के अलर्ट के लिए उन्हें ट्रैक करते हैं। खोजने के लिए एक सुविधा

28 ऑनलाइन सेवाएँ-(i) ई-कोर्ट पर उपलब्ध हैं। गव. (ii) सेवाओं में। इकोर्स। गव. में और

((iii) जिले। इकोर्स। गव.

सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक क्यू आर कोड द्वारा मामला भी प्रदान किया गया है और ऐप दिया गया है

कई बार डाउनलोड किया।

(iii) एस. एम. एस. पुशः वादियों और अधिवक्ताओं को किसी भी स्थगन, जांच, पंजीकरण के मामले में अपने सेल फोन पर एक एस. एम. एस. चेतावनी मिलती है।

मामले का हस्तांतरण, निपटान, आदेश अपलोड करना आदि।

(iv) एस. एम. एस. खींचोः यह सुविधा अधिवक्ताओं और वादियों को सी. एन. आर. संख्या (जो प्रत्येक के लिए टैग की गई एक विशिष्ट संख्या है) भेजने की अनुमति देती है।

देश में एकल मामला) और इसके साथ प्रतिक्रिया प्राप्त करें

मामले की वर्तमान स्थिति।

(v) स्वचालित ई-मेलः वादियों, अधिवक्ताओं और पुलिस थानों को कारण के संबंध में नियमित ई-मेल पर जानकारी प्राप्त होती है।

सूचियाँ, मामलों का हस्तांतरण, निपटान, आदेशों और निर्णयों की प्रतियाँ।

(vi) टच स्क्रीन कियोस्क और सेवा केंद्रः देश भर के विभिन्न अदालत परिसरों में टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना के साथ मामले की स्थिति के प्रसार को सरल बनाया गया है। यह वादियों और अधिवक्ताओं को एक बटन के स्पर्श में अपने मामले की स्थिति देखने की अनुमति देता है। यही जानकारी न्यायालय परिसरों में स्थापित न्यायिक सेवा केंद्रों से भी प्राप्त की जा सकती है। (vii) ई-भुगतानः भुगतान को आसान बनाने के लिए, ई. पी. ए. के माध्यम से अदालती शुल्क, जुर्माना, जुर्माना और न्यायिक जमा का ऑनलाइन भुगतान। इकोर्स। गव. सुविधा प्रदान की गई है। नागरिकों

इस पोर्टल की मदद से चेक, नकद या टिकट का उपयोग किए बिना ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

(viii) ई-फाइलिंगः सुविधा के लिए, अदालत की रजिस्ट्री में मामले और मामले के कागजात ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है।

सभी जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में।

सी. 4 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

एन. जे. डी. जी. एक सार्वजनिक पोर्टल है जो देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों का डेटाबेस प्रदान करता है।

एनजेडीजी पोर्टल एनजेडीजी। इकोर्स। गव. में पारदर्शिता प्रदान करता है

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के आँकड़े देखने की अनुमति देकर सभी नागरिकों के लिए न्यायिक प्रणाली। विश्व बैंक ने भीएन. जे. डी. जी. को एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता दी। यह एक राष्ट्रीय डेटा गोदाम के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग विधायी नीति को आकार देने के लिए किया जा सकता है।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सी. 5 न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए बनाई गई अन्य सुविधाएँ (i) एन. एस. टी. ई. पी.: नेशनल सॉफ्टवेयर एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक केंद्रीकृत सेवा ट्रैकिंग एप्लिकेशन और अदालत के जमानतदारों के लिए एक मोबाइल ऐप शामिल है। एनएसटीईपी ने

प्रक्रिया के त्वरित वितरण और न्यायिक प्रक्रियाओं में अत्यधिक देरी को कम करने के लिए बनाया गया है। मोबाइल ऐप, जी. पी. एस. लोकेशन ट्रैकिंग से लैस होने से वास्तविक समय और सेवाओं की पारदर्शी ट्रैकिंग में बेलिफ की सहायता होती है। मोबाइल ऐप में प्राप्तकर्ता की तस्वीर और हस्ताक्षर रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है। सूचना या संचार की गैर-सेवा के मामले में, मोबाइल एप्लिकेशन तुरंत इसे केंद्रीय एनएसटीईपी को सूचित करता है।

सर्वर।

((ii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के प्रयास में, न्यायालयों और न्यायालयों को जोड़ने वाली वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं

देश भर में 488 अदालतों और 342 जेलों में जेल स्थापित किए गए हैं।

भारत।

सी. 6 वीडियो की अवधारणा-स्ट्रीमिंग/वेब-कास्ट

प्रौद्योगिकी में प्रगति और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने कंप्यूटर, टैब और मोबाइल जैसे उपकरणों में लाइव या पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो फ़ीड के प्रसारण की सुविधा प्रदान की है। प्रत्यक्ष-वेबकास्ट या वास्तविक समय में अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग उपलब्ध माध्यमों से लागू की जा सकती है। तकनीकी समाधान। लाइव-वेबकास्ट या स्ट्रीमिंग संचार का सबसे तेज़ तरीका है और भौगोलिक रूप से फैले दर्शकों को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है।

सी. 7 ओपन कोर्ट के विस्तार के रूप में आभासी वास्तविकता

इस न्यायालय के लिए समय आ गया है कि वह प्रौद्योगिकी को अपनाने और अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने में एक कदम आगे बढ़े।

एक बटन के स्पर्श से दर्शकों की संख्या। यह वादियों और जनता के सदस्यों को अदालत कक्ष परिसर के बाहर भी अदालत की कार्यवाही का आभासी अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। 18. लाइव-स्ट्रीमिंग न्यायिक प्रणाली के लिए फायदेमंद होने के कई कारण हैंः

ए। लाइव-स्ट्रीमिंग की तकनीक अदालत की कार्यवाही में कट्टरपंथी तात्कालिकता का संचार करती है। प्रत्येक सुनवाई को [2018] 11 एस. सी. आर. के भीतर सार्वजनिक किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसकी घटना के सेकंड। यह दर्शकों को आभासी होने में सक्षम बनाता है।

अदालती कार्यवाही तक पहुँच जैसे ही वे सामने आती हैं;

लाइव-स्ट्रीमिंग की शुरुआत अदालत की कार्यवाही के बारे में जानने के जनता के अधिकार को प्रभावित करेगी। यह न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित लोगों को न्यायिक निर्णय लेने के तरीके का पालन करने में सक्षम बनाएगा। यह न्यायपालिका के काम को नागरिकों के जीवन तक लाने में मदद करेगा।

अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण कम करेगा

न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और न्यायिक सुनवाई के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परोक्ष विवरणों पर जनता की निर्भरता। समाज अदालती कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेगा और इसके बारे में तर्कपूर्ण और शिक्षित राय बना सकेगा। न्यायालयों का कार्यकरण। इससे गलत सूचना को कम करने में मदद मिलेगी और

न्यायिक प्रक्रिया के बारे में गलतफहमी;

अदालती कार्यवाही को देखने से एक शैक्षिक कार्य भी पूरा होगा।

उद्देश्य। कानून के छात्र बार और बेंच के बीच बातचीत का निरीक्षण करने और उससे सीखने में सक्षम होंगे। अभिलेखागार

इच्छुक अधिवक्ताओं के लिए एक समृद्ध स्रोत का गठन करेगा और

शिक्षाविदों को अन्य बातों के अलावा कानूनी वकालत प्रक्रियाओं, कानून की व्याख्या और वक्तृत्व कौशल का अध्ययन करना चाहिए। यह न्यायालयों के संस्थागत कामकाज में अनुसंधान को और बढ़ावा देगा। लाइव-स्ट्रीमिंग और प्रसारण से भी पहुंच बढ़ेगी।

न्यायालयों के बारे में जो देश के हर हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं;

लाइव-स्ट्रीमिंग से कानून के शासन में वृद्धि होगी और कामकाज के हिस्से के रूप में कानूनी शासन की बेहतर समझ को बढ़ावा मिलेगा।

लोकतंत्र;

लाइव-स्ट्रीमिंग अदालत की कार्यवाही को देखने के लिए भौतिक बाधाओं को दूर करेगी, जिससे जनता अदालत कक्ष परिसर के बाहर से कार्यवाही देख सकेगी। इससे भी कमी आएगी।

भीड़भाड़ जो वर्तमान में अदालत कक्षों को परेशान कर रही है। यह वादियों को अपने मामलों की कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए अदालतों की यात्रा करने की आवश्यकता को कम करेगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है

न्यायिक संस्थानों और उन सभी की जवाबदेही जो

न्यायिक प्रक्रिया में भाग लें। न्याय के वितरण में देरी गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट स्वप्निल त्रिपाठी बनाम की लाइव-स्ट्रीमिंग।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कार्यवाही जनता के सदस्यों को स्थगन के कारणों और सुनवाई के कारणों के बारे में जानने में सक्षम बनाएगी।

विलंबित; और

एच. इन सबसे ऊपर, धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में

खुली अदालतों के सिद्धांत का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि आभासी वास्तविकता के साथ अदालत की सुनवाई के बीच इंटरफेस के परिणामस्वरूप व्यापक संभव अर्थों में जानकारी का प्रसार होगा।

न्यायपालिका को पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना

प्रक्रिया।

दुनिया भर में प्रमुख सामान्य कानून क्षेत्राधिकार पहले से ही हैं

अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण और प्रसारण करने की अवधारणा को अपनाया। कुछ क्षेत्राधिकारों में अवधारणा के विकास और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं को देखना उपयोगी हो सकता है।

डी तुलनात्मक कानून

19. यह खंड सामान्य कानून और अन्य क्षेत्राधिकारों में खुले न्याय के सिद्धांत के विकास पर एक मापा नज़र डालता है। यह.

यह जांच करता है कि अन्य देशों में अदालतों ने वादियों, गवाहों और मामलों की गोपनीयता, गोपनीयता और संवेदनशीलता की चिंताओं को कैसे संबोधित किया है।

((i) यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय अपनी अदालती कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति देता है। 29 उच्चतम न्यायालय का आठवाँ अभ्यास निर्देश अदालत के समक्ष कार्यवाही के वीडियो फुटेज को प्रसारित करने की अनुमति देता है जहां यह न्याय के प्रशासन को प्रभावित नहीं करता है। 3 0 तीन राष्ट्रीय प्रसारकों-बी. बी. सी., आई. टी. एन. और स्काई न्यूज 3 1 को फिल्म बनाने और प्रसारित करने की अनुमति है।

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का प्रसारण ", के अनुसार प्रोटोकॉल जिस पर सहमति हो गई है "। 32 प्रोटोकॉल वादियों और उनके वकील के बीच निजी चर्चा जैसी कुछ प्रकार की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करता है। 3 फुटेज को केवल इसके लिए उपयोग करने की अनुमति है

समाचार, समसामयिक मामले, शिक्षा और कानूनी प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों में सूचनात्मक उद्देश्य। 34 हालाँकि, कोई भी प्रसारण जो इससे विचलित हो सकता है

29 यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यूके/लाइव/कोर्ट-01। एचटीएमएल

30 यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय, अभ्यास निर्देश 8, पैरा 8,17। 1 . उपलब्ध है।

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। यूके/डॉक्स/प्रैक्टिस-डायरेक्शन-08। पीडीएफ

31 सुप्रा नोट 16. 32 सुप्रा नोट 30.

33 आइबीआइडी।

34 सुप्रा नोट 16.

कार्यवाही की गंभीरता या अखंडता, जैसे मनोरंजन कार्यक्रम, व्यंग्य कार्यक्रम, राजनीतिक दल के प्रसारण, और विज्ञापन या प्रचार की अनुमति नहीं है। 3 5 इसके अलावा, किसी भी स्थिर छवि का उपयोग हमेशा "इस तरह से किया जाना चाहिए जो एक कार्य निकाय के रूप में न्यायालय की गरिमा और उसके कार्यों को ध्यान में रखता हो।" 36

स्काई न्यूज ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा प्रसारण करता है

सुनवाई। 3 7 2011 के अंत तक, यूके सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को अदालती सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सहित लाइव टेक्स्ट-आधारित संचार का उपयोग करने की अनुमति दी। 38 हालाँकि, पीठासीन न्यायाधीश न्याय के हित में इस तरह के संचार को प्रतिबंधित करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार रखता है। 39 ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय का अपना ट्विटर हैंडल है (@यू. के. सुप्रीम कोर्ट) जिसका उपयोग वह अपने निर्णयों के बारे में जनता को अद्यतन करने के लिए करता है। 40 इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ यह लघु फिल्में दिखाता है।

न्यायाधीशों द्वारा पढ़े गए निर्णयों का सारांश। 41.

2013 में, यू. के. ने न्यायालय के ऑडियो-विजुअल कवरेज की अनुमति दी।

अपील (दीवानी और आपराधिक)। 42 प्रसारण कुछ सीमाओं के अधीन है-(ए) केवल निर्णयों और वकीलों के तर्कों की अनुमति है। फिल्माने के लिए। पीड़ितों और गवाहों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है; और (बी) सत्तर सेकंड की देरी के साथ लाइव प्रसारण किया जाता है। 43 ब्रिटिश कानूनी टिप्पणीकार, जोशुआ रोजेनबर्ग के अनुसार, सत्तर सेकंड की देरी अनुकूल और आवश्यक है क्योंकिः

" इससे जुड़े सभी लोगों को इस पर काम करने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय मिलता है। इससे पहले कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं सुना या नहीं देखा जाना चाहिए

अश्लीलता। कोई ऐसी जानकारी उद्धृत कर सकता है जो संरक्षित है अदालती आदेश द्वारा या किसी अन्य कारण से रिपोर्ट करने योग्य नहीं है। शायद

38 आइबीआइडी। 39 आइबीआइडी।

40 40 यूके सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक ट्विटर हैंडल। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //ट्विटर। कॉम /

उक्सुप्रेमकोर्ट

41 यूके सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब हैंडल। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/उपयोगकर्ता/यूकेसुप्रीमकोर्ट

42 रविद, इटे, ट्वीट कर रहा है #Justice: स्थानांतरण प्रौद्योगिकी की दुनिया में अदालती कार्यवाही का दृश्य-श्रव्य कवरेज (9 मार्च, 2017)। 35 (1) कार्डोजो कला और मनोरंजन

लॉ जर्नल 41 (2017)।

43 आइबीआइडी।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कैमरे किसी ऐसे व्यक्ति की झलक देख सकते हैं जिसका चेहरा अदालत के प्रसारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि अपीलार्थी या एक

गवाह "। 44

न्यायालय सीधा प्रसारण पर नियंत्रण रखता है। एक एकल वीडियो पत्रकार लाइव कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और विनियमित करने के लिए अधिकृत है और अदालत के आदेशों से बाध्य है। केवल नियुक्त पत्रकार या उसके स्थानापन्न को ही अदालत में तस्वीरें लेने की अनुमति है। 47 नियुक्त पत्रकार को संयुक्त रूप से चार मीडिया समूहों द्वारा नियुक्त किया जाता है जो परियोजना का वित्तपोषण कर रहे हैं-स्काई न्यूज, आईटीएन, बीबीसी और प्रेस एसोसिएशन समाचार एजेंसी। 48 केवल

नियुक्त पत्रकार या उसके स्थानापन्न को अदालत में तस्वीरें लेने की अनुमति है। 49 यद्यपि नियुक्त पत्रकार के पास किसी भी फिल्म को फिल्माने की अनुमति है।

पंद्रह अदालत कक्ष जिनमें अपील न्यायालय बैठ सकता है, व्यावहारिक रूप से, मीडिया संगठन सीधे प्रसारण के लिए एक बार में केवल एक अदालत का चयन करते हैं। 50

अपील न्यायालय को प्रसारण के लिए खोला गया था

न्याय मंत्रालय की अपनी 2012 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। 51 यू. के. में शेष न्यायालयों में तकनीकी परिवर्तन का विस्तार करने का मामला बनाते हुए न्याय मंत्रालय ने तर्क दिया था किः

" सैद्धांतिक रूप से हमारी अधिकांश अदालतें जनता के उन सभी सदस्यों के लिए खुली हैं जो भाग लेना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत कम लोग हैं।

हमारे पास यह देखने का समय या अवसर है कि व्यक्तिगत रूप से हमारी अदालतों में क्या होता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में विशेष रूप से स्थानीय अदालतों में अदालती मामलों के प्रेस कवरेज की सीमा में गिरावट आई है। जनता के लिए विशेष रुचि के मामलों में, सार्वजनिक गैलरी में उन सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो सकती है जो भाग लेना चाहते हैं। 52

मंत्रालय ने अपील न्यायालय की कार्यवाही को प्रसारित करने की सिफारिश की थी क्योंकि उनमें पीड़ित या गवाह शामिल नहीं होते हैंः

" अपील न्यायालय में मामले आम तौर पर कानून या साक्ष्य के जटिल मुद्दों से निपटते हैं, और पीड़ित और गवाह शायद ही कभी अदालत में पेश होते हैं।

44 जोशुआ रोजेनबर्ग, अदालतों का टेलीविजनः समय आ गया है, द गार्जियन, 23 अक्टूबर 2013। इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. रक्षक। कॉम/लॉ/2013/अक्टूबर/23/टेलीविजन

अदालतें-सीधा प्रसारण-जोशुआ-रोजेनबर्ग

45 आइबीआइडी।

46 आइबीआइडी।

47 आइबीआइडी।

48 आइबीआइडी। 49 आइबीआइडी।

50 आइबीआइडी।

51 सुप्रा नोट 16.

52 आइबीआइडी।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नए साक्ष्य प्रदान करने का आदेश। कानूनी मुद्दों की जटिलता को देखते हुए

अपील न्यायालय के मामलों में, हम मानते हैं कि अधिवक्ताओं को अनुमति देना '

निर्णयों के अलावा फिल्माए जाने वाले तर्क अधिक होंगे

केवल निर्णयों की तुलना में सार्वजनिक समझ में सुधार होने की संभावना है। हम.

इसलिए निर्णयों और कानूनी तर्कों की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रहे हैं

अपील न्यायालय के समक्ष प्रसारित किए जाने वाले मामलों से "। 9 53

कोर्ट ऑफ अपील्स की सुनवाई के लाइव-स्ट्रीमिंग ने दरवाजे खोल दिए

प्रसारण के लिए यू. के. में अन्य अदालतों में। ब्रिटेन की संसद ने अपराध और न्यायालय अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ लॉर्ड चांसलर की मंजूरी से अदालती कार्यवाही को दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

लार्ड चीफ जस्टिस। इसे सशक्त बनाने के लिए एक प्राथमिक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था

लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चीफ जस्टिस के साथ, "माध्यमिक विधान में उन विशिष्ट परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए जिसमें अदालतों में कैमरों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।" 54

2016 में न्याय मंत्रालय ने तीन महीने का प्रायोगिक अभियान शुरू किया।

आठ इंग्लैंड और वेल्श क्राउन न्यायालयों की कार्यवाही के प्रसारण के साथ प्रयोग करने का कार्यक्रम। 55 यह न्यायाधीशों की सजा सुनाने वाली टिप्पणियों तक सीमित था और फुटेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। 56 क्राउन कोर्ट की सुनवाई के प्रसारण का सवाल वर्तमान में न्याय मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि इसमें गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के बड़े मुद्दे शामिल हैं। 5 57

((ii) दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका में, अदालत कक्ष में कैमरों की उपस्थिति एक है

हाल ही में विकास हुआ है और यह अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में है। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील (जो दक्षिण अफ्रीका में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है) ने दक्षिण अफ्रीका के सभी न्यायालयों में कार्यवाही के प्रसारण की अनुमति देने का एक उदाहरण स्थापित किया। 58 अब, मीडिया को दक्षिण अफ्रीका की सभी अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति है। मीडिया को अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देते हुए, पोन्ना जे. ए. ने एक दिलचस्प टिप्पणी की कि अदालतों के लिए 'एक नई वास्तविकता के सामने झुकने' का समय आ गया हैः

53 आइबीआइडी। 54 आइबीआइडी।

55 सुप्रा नोट 42।

56 आइबीआइडी। 57 द टेलीग्राफ, क्राउन कोर्ट की सजा को पायलट परियोजनाओं के लिए दर्ज किया जा रहा है जो कर सकते हैं

न्यायाधीशों की टिप्पणियों को टीवी पर लाएँ, 27 जुलाई 2016। इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. टेलीग्राफ। को. यूके /

एन. डी. पी. पी. बनाम मीडिया 24 लिमिटेड और अन्य और एच. सी. वैन ब्रेडा बनाम मीडिया 24 लिमिटेड और अन्य।

अन्य (425/2017) [2017] ZASCA 97।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" इस प्रकार इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत को प्रभाव देना

खुला न्याय और इसके अंतर्निहित उद्देश्यों का अब इससे अधिक अर्थ है

केवल अदालत के दरवाजे खुले रखना। इसका मतलब है कि अदालत की कार्यवाही जहां भी संभव हो सार्थक रूप से सुलभ होनी चाहिए।

जनता का कोई भी सदस्य जो समय पर होना चाहता है और

ऐसी कार्यवाहियों से सटीक रूप से अवगत कराया गया। न्यायालय का प्रसारण

कार्यवाही ऐसा होने में सक्षम बनाती है "। 59

गवाहों को अदालत के अंतिम विवेक के अधीन अपनी गवाही प्रसारित करने पर आपत्ति करने की स्वतंत्रता दी जाती है। (पीठ की ओर से बोलते हुए) पोन्ना जे. ए. ने जोर देकर कहा कि इस विवेकाधिकार का प्रयोग अदालतों द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर व्यक्तिगत जांच करके किया जाना चाहिए। 6o जहाँ न्यायाधीश को लगता है कि गवाह की आपत्तियाँ वैध हैं, अदालत

नियमित फोटोग्राफिक या टेलीविजन कवरेज के विकल्पों पर विचार करें। 61

(iii) कनाडा

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय को प्रौद्योगिकी के अनुकूल होने और इसके ऑडियो-विजुअल प्रसारण की अनुमति देने के लिए एक अग्रणी माना जाता है।

कार्यवाही। 62 1993 में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सफल प्रायोगिक परियोजना का संचालन किया, जिसमें तीन हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। प्रसारण निम्नलिखित दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किए गए थेः

" (क) फिल्माए जाने वाले मामले का चयन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। (ख) मुख्य न्यायाधीश या पीठासीन न्यायाधीश पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मीडिया कवरेज को सीमित या समाप्त कर सकते हैं; अदालत की गरिमा; कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए; या किसी अन्य कारण से जो आवश्यक या उचित समझा जाता है। (ग) तारों या कर्मियों के लिए कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्च नहीं किया जाना है।

मीडिया कवरेज प्रदान करने की आवश्यकता थी।

9963

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय कनाडाई संसदीय प्रेस गैलरी को उसके समक्ष सभी अपीलों का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देता है। 64 कनाडाई

संसदीय कार्य चैनल (सी. पी. ए. सी.) को भी टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति है। न्यायालय की अपील सुनवाई, लेकिन बाद की तारीख में। 65 प्रसारण हैं

60 पैरा 72 में लिखा है। 61 पैरा 73 में लिखा है। 62 क्यू हो यूम, 21 वीं सदी में न्यायालय कक्ष में लगे कैमरेः ई यू. एस. सुप्रीम कोर्ट विदेश से सीख रहा है? , 2012 बीवाईयूएल। रेव. 1989 (2012)।

63 आइबीआइडी।

64 कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय तक पहुँच। इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एससीसी-सीएससी। सी /

मीडिया/एसी-अंग्रेजी। एएसपीएक्स

65 डेनियल स्टेपनियाक, 'अदालतों का दृश्य-श्रव्य कवरेज, एक तुलनात्मक विश्लेषण',

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (2008)।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिशानिर्देशों के अधीन जो यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायालय फिल्मांकन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। हालाँकि सी. पी. ए. सी. तय करता है कि किन मामलों को प्रसारित किया जाए,

सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट अपीलों के फिल्मांकन को प्रतिबंधित करने का विवेकाधिकार है। 67 सी. पी. ए. सी. को समाचार कार्यक्रमों में अंश के रूप में उपयोग करने के लिए अन्य टेलीविजन नेटवर्क के साथ प्रसारण फ़ीड साझा करने की अनुमति है। 68

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चार कैमरे लगाए गए हैं। 69 अपील सुनवाई 2009 से प्रसारित की जा रही है और संग्रहीत हैं।

अदालत की वेबसाइट पर। 70 कैमरों को न्यायालय द्वारा स्थापित किया जाता है और न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है। विशेष आयोजनों को छोड़कर बाहरी कैमरों की अनुमति नहीं है। कार्यवाही पर कॉपीराइट न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाता है। 1 2 किसी भी मामले का फिल्मांकन करने से पहले, सर्वोच्च न्यायालय पक्षकारों से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए सहमति की अपेक्षा करता है। 73 कोई भी पक्ष जो अपने मामले को प्रसारण से बाहर करना चाहता है

सुनवाई की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले इसे पंजीयक को बताना होगा। 74

((iv) ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया एक खुली अदालत प्रणाली का पालन करता है, जिसमें सभी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्राधिकारों में अदालतें अदालत कक्षों में टेलीविजन कैमरों को स्वीकार करती हैं। 75 2013 से,

ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। 76 फिल्मांकन और प्रसारण की पूरी प्रक्रिया अदालत के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। 77 सुनवाई के प्रतिलेख अधिकांश सुनवाई के एक या दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाते हैं। 78 उच्च न्यायालय ने कहा है कि शुरू में रिकॉर्डिंग कुछ व्यावसायिक दिनों के बाद उपलब्ध होगी, हालांकि, न्यायालय दिनों की संख्या को कम करने का प्रयास करेगा। 79.

67 सुप्रा नोट 62। 68 आइबीआइडी।

69 आइबीआइडी।

70 आइबीआइडी। 71 आइबीआइडी।

72 सुप्रा नोट 65।

73 आइबीआइडी। 74 आइबीआइडी।

75 उपर्युक्त टिप्पणी 65 देखें। 76 ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, प्रेस विज्ञप्ति, 1 अक्टूबर 2013। यहाँ उपलब्ध हैः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. ए. यू./परिसंपत्तियाँ/समाचार/एम. आर.-ऑडियो-विज़ुअल-रिकॉर्डिंग्स-अक्टूबर 13. पीडीएफ।

77 ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग दिशानिर्देश। यहाँ उपलब्ध हैः

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचकोर्ट। गव. एयू/अबाउट/फोटोग्राफी-एंड-रिकॉर्डिंग

78 आइबीआइडी।

79 आइबीआइडी।

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय के अलावा, अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई अदालतें इसका रखरखाव नहीं करती हैं।

न्यायालय कक्ष में टेलीविजन कैमरों को स्वीकार करने पर एक सुसंगत नीति। 80 एक तदर्थ आधार पर फिल्मांकन की अनुमति है और आमतौर पर इसके लिए सीमित है

81

फाइल और ओवरले फुटेज या औपचारिक बैठकों की रिकॉर्डिंग।

(v) न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड अदालतों में मीडिया तक व्यापक पहुंच की अनुमति देता है और है

सामान्य कानून देशों के बीच सबसे प्रगतिशील लाइव प्रसारण नीतियों में से एक। 82 परंपरागत रूप से, मीडिया के सदस्यों को अदालत की कार्यवाही के केवल हाथ से लिखे नोट बनाने की अनुमति थी, बिना किसी के उपयोग के।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 83 1996 से 1998 तक, न्यूजीलैंड ने तीन साल की प्रायोगिक परियोजना का संचालन किया जिसमें बीस से अधिक मामले शामिल थे। 84 न्यूजीलैंड के सभी न्यायालयों को पायलट के तहत शामिल किया गया था, जो दो मुख्य नियमों पर निर्भर थाः

" 1. विस्तारित मीडिया कवरेज से प्राप्त सामग्री जो है

प्रसारण को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा जो सटीक देता है,

कार्यवाहियों का निष्पक्ष और संतुलित कवरेज और

शामिल पक्ष। ऐसा कोई भी प्रसारण बिना संपादकीय के होना चाहिए।

टिप्पणी करें और प्रति समाचार कम से कम दो मिनट की अवधि का हो

आइटम। 2.
विस्तारित मीडिया से प्राप्त सामग्री का कोई उपयोग नहीं होगा।

सामान्य समाचार कार्यक्रमों या लेखों के अलावा कवरेज

जब तक कि उस उपयोग के लिए ट्रायल जज द्वारा पूर्व मंजूरी नहीं दी गई हो

या, जहां वह न्यायाधीश अनुपलब्ध है, संबंधित का दूसरा न्यायाधीश

अदालत "। 85

न्यूजीलैंड ने मीडिया घरानों को अदालती कार्यवाही प्रसारित करने की अनुमति दी

अदालत की मंजूरी के साथ। 86 प्रसारण दिशानिर्देशों के एक समूह द्वारा नियंत्रित होता है जो खुले न्याय के सिद्धांत को आवश्यकता के साथ संतुलित करता है

80 पृष्ठ 210-211 पर सुप्रा नोट 65।

81 आइबीआइडी।

82 उपर्युक्त टिप्पणी 65 देखें। 83 न्यूजीलैंड, मुख्य न्यायाधीश को इन-कोर्ट मीडिया कवरेज (2015) पर रिपोर्ट करें, पैरा में

7. इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदालतें। Govt.nz/In-Court-Media-Review/In-Court

मीडिया-समीक्षा/मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करेंF6 _ 7 _ 15 _ 20150720.पीडीएफ

84 आई. बी. आई. डी, पैरा 15 पर।

85 आई. बी. आई. डी, पैरा 14 पर। 86 न्यूजीलैंड, अदालत में मीडिया कवरेज दिशानिर्देश (2016)। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //

डब्ल्यू. डब्ल्यू. अदालतें। Govt.nz/going-to-court/media/rules-and-resources

INCOURTMEDIACOVERAGEGUIDELINES2016T.pdf [2018] 11 एससीआर।

एक निष्पक्ष सुनवाई। वे मीडिया पर संदर्भ से बाहर कुछ भी प्रकाशित किए बिना "सुनवाई की एक सटीक, निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्ट" प्रदान करने की जिम्मेदारी डालते हैं। 87 वे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण में दस मिनट की देरी का भी प्रावधान करते हैं। 88 दिशानिर्देशों के तहत, अदालत की कार्यवाही को फिल्माने और प्रसारित करने के इच्छुक किसी भी मीडिया आउटलेट की आवश्यकता होती है प्रत्येक मामले के लिए अदालत से पूर्व लिखित अनुमति लेना। 89 अनुमति देने के लिए न्यायालय का विवेकाधिकार निम्नलिखित विचारों द्वारा निर्देशित है:

" ए। निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता; बी। खुले न्याय की वांछनीयता;

सी। इस सिद्धांत में कि मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है

जनता की आँखों और कानों के रूप में परीक्षणों की रिपोर्टिंग;

डी। अपराधों के पीड़ितों के लिए अदालती दायित्व; और

ई. हितों और उचित चिंताओं और धारणाओं

पक्षकार, पीड़ित और गवाह "। 9 9 0

सर्वोच्च न्यायालय अधिकांश मामलों में अपनी कार्यवाही को दर्ज करने की अनुमति देता है, जब तक कि पक्षों द्वारा विशेष रूप से आपत्ति न की जाए। 1 उच्चतम न्यायालय के 2004 में अपनी स्थापना के बाद प्रकाशित मीडिया दिशानिर्देशों से संकेत मिलता है कि दृश्य-श्रव्य आवरण को अपवाद के बजाय मानक माना जाना चाहिए:

" पैराग्राफ (5) के अधीन, टेलीविजन के लिए या अन्यथा सभी आवेदन

उच्चतम न्यायालय की अभिलेख कार्यवाही को तब तक अनुमोदित माना जाएगा जब तक कि कोई पक्ष आवेदन के पंजीयक द्वारा सलाह दिए जाने के 3 दिनों के भीतर यह संकेत नहीं देता है कि पक्षकार इस पर आपत्ति करता है। 9 2

(vi) संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वीडियो रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं देता है।

इसकी कार्यवाही की तस्वीर। यह मौखिक के ऑडियो प्रतिलेख जारी करता है

87 आइबीआइडी।

88 आई. बी. आई. डी., पैरा 2 पर।

89 आई. बी. आई. डी., पैरा 5.5 पर। 9 0 पैरा 2.3 पर आई. बी. आई.

91 शीर्ष टिप्पणी 65, पृष्ठ 347 पर। 9 2 न्यूजीलैंड न्याय मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय मीडिया दिशानिर्देश (2004)। उपलब्ध है।

यहाँः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्याय। Govt.nz/about/news-and-media/media-centre/media

सूचना/मीडिया-मार्गदर्शिका/परिशिष्ट/परिशिष्ट-ई/स्वप्निल त्रिपाठी v.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उसी दिन बहस। प्रत्येक सप्ताह की मौखिक ऑडियो रिकॉर्डिंग सप्ताह के अंत में अदालत की वेबसाइट 93 पर दलीलें जारी की जाती हैं।

प्रत्येक संघीय अपील न्यायालय के पास अपनी कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करने का विवेकाधिकार है, जो इसके द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अधीन है।

अदालत। 2014 से, नौवें सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने दिशानिर्देशों के माध्यम से कानून द्वारा निषिद्ध मामलों को छोड़कर, उसके समक्ष सभी मामलों के वीडियो प्रसारण को मंजूरी दी है। 94 मीडिया को कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए अदालत की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता है। पीठासीन न्यायाधीश को मीडिया कवरेज को सीमित करने या समाप्त करने, या निर्देश देने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार दिया जाता है पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने या कार्यवाही के संचालन में सहायता करने के लिए आवश्यक होने पर कैमरा कवरेज कर्मियों को हटाना। 96 संघीय न्यायपालिका की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। 97 प्रत्येक राज्य में जिला और निचली अदालतें दिशानिर्देशों और नियमों के अधीन, किसी न किसी रूप में ऑडियो या वीडियो प्रसारण और इसकी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की अनुमति देती हैं। 9 8

(vii) ब्राज़ील

2002 में, ब्राजील के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय को समर्पित एक सार्वजनिक टेलीविजन चैनल के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी। 99 99 सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम ट्रिब्यूनल फेडरल) के अदालती सत्र 'टीवी जस्टिका' 101 या 'रेडियो जस्टिका' 02 पर ऑनलाइन प्रसारित किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित होते हैं। होने के अलावा

टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित, कार्यवाही को ऑनलाइन भी प्रसारित किया जा सकता है क्योंकि अदालत का एक ट्विटर खाता 1 03 और एक यूट्यूब चैनल है। 104

9 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सर्वोच्च न्यायालय। gov/मौखिक _ तर्क/तर्क _ ऑडियो/2017

94 यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइन्थ सर्किट, कोर्ट रूम में प्रसारण, रिकॉर्डिंग और स्टिल फोटोग्राफी के लिए दिशानिर्देश। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: / सीडीएन। 9 सी. ए. यूस्कोर्टस। जी. ओ. वी./डेटास्टोर/अपलोड/न्यूज़ _ मीडिया/कैमरा। दिशानिर्देश। पी. डी. एफ. 95 आई. बी. आई.

96 आइबीआइडी।

97 अमेरिकी अदालतों का आधिकारिक यूट्यूब हैंडल। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम /

उपयोगकर्ता/अदालतें

9 8 जैसाकि संयुक्त राज्य अमेरिकाक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चैंडलर बनाम फ्लोरिडा, 449 यू. एस. मे अभिनिर्धारित कयल गेल अछि।

560 (1981) .

99 जस्टिस टीवी से मिलें। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. टीवी न्याय। जस। बी. आर./सूचकांक /

कोनहेका

101 टीवी जस्टिका। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. टीवी न्याय। जस। बीआर / 102 रेडियो जस्टिका। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धः डब्ल्यू. डब्ल्यू. रेडियो जस्टिसिका। जस। बीआर /

103 ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक ट्विटर हैंडल। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //

ट्विटर। कॉम/एसटीएफ आधिकारिक

104 ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक यूट्यूब हैंडल। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //

डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय की अनूठी विशेषता यह है कि कैमरों को उन सम्मेलनों में जाने की अनुमति है जहां न्यायाधीश विचार-विमर्श करते हैं। 1 05

(viii) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने भी अपनी अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने के विचार को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई. सी. सी.) अपने मामलों के टेलीविजन प्रसारण की अनुमति देता है, हालांकि तीस मिनट की देरी के साथ। 106 आई. सी. सी. का एक यू ट्यूब चैनल है जहाँ यह मामले की कार्यवाही, प्रेस का प्रसारण करता है। विभिन्न भाषाओं में सम्मेलन और सूचनात्मक वीडियो। 107 यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीएचआर) में, सभी सुनवाई को सार्वजनिक करने की अनुमति है, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है। 08 प्रसारण उसी दिन न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुबह के सत्रों का प्रसारण दोपहर तक और दोपहर के सत्रों का प्रसारण शाम तक किया जाता है। ई. सी. एच. आर. का कहना है कि सभी सुनवाई का फिल्मांकन किया जाता है और 14 से उसी दिन अदालत की वेबसाइट का प्रसारण किया जाता हैः 30 (स्थानीय समय) के बाद। 109.

20. ऊपर चर्चा की गई क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं की जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि कई देशों में न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अदालत की कार्यवाही का प्रसारण हुआ। इसके अलावा, अधिकांश क्षेत्राधिकार कुछ सामान्य प्रथाओं का पालन करते हैं जैसे (i) प्रत्यक्ष प्रसारण में न्यूनतम देरी; (ii) अदालत के साथ कॉपीराइट को बनाए रखना; (iii) सभी मामलों के लिए प्रसारण शुरू करने से पहले एक पायलट परियोजना का संचालन करना; (iv) कुछ श्रेणियों के मामलों को छोड़कर जहां न्याय के हित यह सुनिश्चित करते हैं कि सुनवाई को वेबकास्ट या स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए; और (v) पीठासीन न्यायाधीश को लाइव प्रसारण को विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान करना।

संचरण। प्रत्येक क्षेत्राधिकार की सीमाओं का एक समूह होता है जिसके अधीन प्रसारण होता है। प्रसारण की अनुमति आमतौर पर तब नहीं दी जाती है जब यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है। 21. अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण स्पष्ट रूप से जनहित में है। खुला न्याय और खुली अदालतों के सिद्धांत के विस्तार के रूप में लाइव-स्ट्रीमिंग के महत्व पर फिर से जोर देना महत्वपूर्ण है। हालांकि, लाइव-स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक संरचित किया जाना चाहिए

105 सुप्रा नोट 62।

106 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईसीसी

सीपीआई। इंट /

107 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का आधिकारिक यूट्यूब चैनल। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/उपयोगकर्ता/इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट/वीडियो

108 नियम 63, न्यायालय के नियम, ईसीएचआर, 1 अगस्त 2018। यहाँ उपलब्ध हैः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. echr. को. आईएनटी/दस्तावेज़/नियम न्यायालय ENG.pdf

109 ईसीएचआर, सुनवाई का वेबकास्ट। यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. echr. को. पूर्णांक/पृष्ठ /

घर। एएसपीएक्स?

पी = सुनवाई और सी = स्वप्निल त्रिपथी वी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दिशानिर्देश। प्रारंभ में, एक प्रायोगिक परियोजना लगभग तीन के लिए संचालित की जा सकती है।

महीनों तक, मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में केवल राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मामलों का सीधा प्रसारण किया जाता है। उत्तरोत्तर, जैसे-जैसे बुनियादी ढांचा तैयार होता है, यह न्यायालय सभी मामलों को कवर करने के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग के दायरे का विस्तार कर सकता है (उन मामलों को छोड़कर जिन्हें बाहर रखा गया है)।

22. कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण की आवश्यकता जिले में मामलों की कार्यवाही के लिए समान और कुछ मामलों में अधिक बल के साथ लागू होती है।

न्यायपालिका और उच्च न्यायालय। हमारे देश में मुकदमेबाजी का स्वरूप एक पिरामिड जैसा दिखता है। जिला न्यायपालिका के भीतर की अदालतें पिरामिड के बड़े आधार का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां नागरिकों के पास सबसे बड़ा इंटरफेस होता है। यह जिला न्यायपालिका में शामिल न्यायालयों के लिए है कि नागरिक अन्याय को दूर करने के लिए पहली पहुंच के रूप में मुड़ते हैं। पिरामिडक नोक पर एहि न्यायालयक अधिकार क्षेत्र अछि। मात्रा के संदर्भ में, मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी मात्रा जिला न्यायपालिका में होती है, जिसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं। नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्यायों को हल करने में जिला न्यायपालिका की भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को उन अदालतों के समक्ष कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समान रूप से, एक खुली अदालत का सिद्धांत जिसका इस फैसले में समर्थन किया गया है, यह योग्यता रखता है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।

23. कार्यवाही का सीधा प्रसारण प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है

न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में ज्ञान और वादी को न्याय तक पूरी पहुंच प्रदान करना। न्याय तक पहुँच वादी के पहले कार्यवाही के पाठ्यक्रम को देखने, सुनने और समझने में सक्षम होने के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है।

हाथ। इसके अलावा, लाइव-स्ट्रीमिंग एक उत्तरदायी न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि वह न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है।

न्याय की मांग करने वालों की चिंता। लाइव-स्ट्रीमिंग न्यायसंगत प्रक्रिया में बार सहित अन्य हितधारकों की जवाबदेही स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा, सबसे बड़े वादी के रूप में सरकार को न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। ज्ञान और सूचना का पूर्ण प्रसार

लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही के बारे में इस प्रकार न्याय के उचित प्रशासन में हितधारकों और समाज के विविध हितों को कम करता है।

24. प्रत्यक्ष न्यायालय कक्ष के कोश से परिचित वकीलों और न्यायाधीशों के लिए, प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होगी। इनमें आदेश का रखरखाव और मौखिक तर्कों का अनुक्रम शामिल है। न्यायाधीशों में उनके न्यायालयों के प्रभार को मामले के प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये मांगें हमारे (2018) 11 एस. सी. आर. की चुनौतियों की आवश्यक घटनाएं हैं।

समय। धीरे-धीरे हम अपने युग की जटिलताओं के अनुकूल हो रहे हैं, फिर भी न्यायपालिका के लिए प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से आगे बढ़ना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर, हम केवल न्यायिक प्रक्रिया में अधिक विश्वास को बढ़ावा देंगे। इसलिए, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सराहना की जानी चाहिए कि वे उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों दोनों में चरणबद्ध तरीके से लाइव-स्ट्रीमिंग को अपनाने पर विचार करें।

उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी सहायता के अनुरूप। उच्च न्यायालयों को उचित नियम बनाकर ऐसा करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित करने होंगे।

25. न्यायालय के सीधा प्रसारण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश

श्री के के वेणुगोपाल, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल, सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री विराग गुप्ता, विद्वान वकील और श्री मैथ्यूज जे नेदुमपारा, विद्वान वकील द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। नीचे दिए गए मॉडल दिशानिर्देशों को तैयार करने में इन पर विधिवत विचार किया गया है। मॉडल दिशानिर्देश निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों पर आधारित हैं:

ए। संविधान का अनुच्छेद 145 (1) प्रदान करता है:

" संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आम तौर पर प्रथा को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

और न्यायालय की प्रक्रिया "।

इस न्यायालय की कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के लिए तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए नियमों के तहत उचित रूप से निपटा जा सकता है जो

इसे अनुच्छेद 145 (1) के अनुसरण में तैयार किया जाना चाहिए। विनियमन, आम तौर पर,

न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया का विस्तार लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाने तक होगा।

बी। सभी मामलों को लाइव स्ट्रीम नहीं किया जा सकता है। वैवाहिक या यौन उत्पीड़न जैसे कुछ संवेदनशील मामलों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।

लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया;

सी। संवेदनशील जानकारी या किसी भी आदान-प्रदान की जांच के लिए समय देने के लिए न्यूनतम देरी के साथ लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी।

प्रवाहित नहीं किया जाएगा;

डी। किसी विशेष मामले में लाइव स्ट्रीमिंग के निलंबन या निषेध को विनियमित करने के लिए अंतिम प्राधिकरण जहां न्याय का प्रशासन ऐसा है

प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के साथ होना आवश्यक है;

ई. लाइव-स्ट्रीमिंग केवल व्यक्तियों या किसी भी एजेंसी द्वारा की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के तहत अधिकृत, या स्वप्निल त्रिपाठी के रूप में।

नियमों में विचार किया गया। स्ट्रीमिंग और प्रसारण इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से अपनी वेबसाइट पर आयोजित किया जाएगा। एफ. इस न्यायालय में अभिलिखित और प्रसारित सभी सामग्री का कॉपीराइट केवल इस न्यायालय के पास निहित होगा; और

जी. रिकॉर्डिंग और प्रसारण का उपयोग किसी के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

एच. न्यायालय की वेबसाइट पर रखे जाने वाले सभी लाइव-स्ट्रीमिंग के अभिलेखागार बनाए रखे जाएँगे। 26. मॉडल दिशानिर्देश एक सुझाए गए प्रकृति के हैं और अनुच्छेद के तहत नियम बनाने के लिए न्यायालय के अधिकार से विचलित नहीं होंगे।

145 (1) सभी तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए, जिसमें (i) जिन चरणों में लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की जाएगी; (ii) उन मामलों के प्रकार जिनके लिए मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग प्रदान की जाएगी; (iii) उपयुक्त तकनीक के उपयोग को अधिकृत करना; (iv) वे एजेंसियां जिनके माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग लागू की जाएगी; (v) कार्यान्वयन के लिए अन्य पहलू; और (vi) फीड के उपयोग के लिए मानदंड निर्धारित करना।

कार्यवाही के प्रसारण के लिए ई मॉडल दिशानिर्देश

और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायिक घटनाएँ

ए. लाइव-स्ट्रीम किए जाने वाले मामलों के प्रकार

1. उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई से जुड़ी कार्यवाही का सीधा प्रसारण नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगाः

क) निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले मामलों को बाहर रखा जाएगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग से एक कक्षा के रूप में: ((i) स्थानांतरण याचिकाओं सहित वैवाहिक मामले;

((ii) यौन संबंध की प्रकृति में संवेदनशील मुद्दों से जुड़े मामले।

हमला; और

(iii) ऐसे मामले जहां बच्चे और किशोर शामिल हैं, जैसे

पॉक्सो मामले।

ख) उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले मामलों के प्रसारण पर सामान्य निषेध के अलावा, प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को विशिष्ट मामलों के लिए प्रत्यक्ष प्रसारण की अनुमति नहीं देने का विवेकाधिकार होगा।

ऐसे मामले जहां, उसकी राय में, प्रचार न्याय के हितों को प्रभावित करेगा। इसकी सूचना पीठासीन [2018] 11 एस. सी. आर. द्वारा दी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश को पहले से या लाइव-स्ट्रीमिंग के रूप में निलंबित किया जा सकता है और

जब किसी मामले की सुनवाई की जा रही हो; और

ग) जहां एक वादी द्वारा गोपनीयता, गोपनीयता, या न्याय प्रशासन के आधार पर किसी मामले के लाइव-स्ट्रीमिंग के खिलाफ आपत्तियां दायर की जाती हैं, लाइव-स्ट्रीमिंग पर अंतिम प्राधिकरण

मामला पीठासीन न्यायाधीश के पास होगा।

2. अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा,

विंग इवेंट्स को भविष्य में नियमों के अनुसार लाइव-स्ट्रीम भी किया जा सकता है:(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ समारोह और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों द्वारा संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विदाई समारोह में दिए गए शपथ समारोह; और

(ख) न्यायिक सम्मेलनों या पूर्ण न्यायालय के किराए या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय से संबद्ध अधिवक्ता संघों या किसी अन्य कार्यक्रम द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में दिए गए संबोधन।

B. लाइव-स्ट्रीमिंग का तरीका

1. प्रसारण के लाइव-स्ट्रीम और संग्रहीत वीडियो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड किए गए प्रसारण को दिन के अंत तक सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभिलेखागार के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

2. न्यायाधीशों के अदालत कक्ष में आते ही सीधा प्रसारण शुरू हो जाएगा और पीठ के उठने तक जारी रहेगा।

3. अदालत कक्ष के पीठासीन न्यायाधीश को तकनीकी दल को लाइव स्ट्रीमिंग रोकने का निर्देश देने के लिए एक उपयुक्त उपकरण प्रदान किया जाएगा, यदि पीठ इसके हित में इसे आवश्यक समझती है -

न्याय का प्रशासन;

4. कार्यवाही का सीधा प्रसारण एक साथ किया जाना चाहिए

दो मिनट की देरी;

5. कार्यवाहियों का केवल कार्य घंटों के दौरान सीधा प्रसारण किया जाएगा।

अदालत की;

6. अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण तब तक जारी रहेगा जब तक कि पीठासीन न्यायाधीश रिकॉर्डिंग को रोकने या रोकने का आदेश नहीं देते।

निलंबित; वी. पी. एन. आई. एल. त्रिपाठी बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

लाइव-स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया को पूरा प्रभाव देने के लिए, पीठ को संबोधित करने वाले अधिवक्ताओं और बार को संबोधित करने वाले न्यायाधीशों को,

अदालत को संबोधित करते समय माइक्रोफोन का उपयोग करें;

न्यायालय की कार्यवाही का अभिलेखन रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा।

केंद्र या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य सार्वजनिक/निजी एजेंसी

उच्चतम न्यायालय या सूचना मंत्रालय और

प्रौद्योगिकी; और

पीठ के पीठासीन न्यायाधीश के निर्देश पर कार्यवाही के जो हिस्से ऑनलाइन प्रसारित नहीं किए जाते हैं, उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और उन्हें 'गोपनीय रिकॉर्ड' के रूप में अलग से रखा जाएगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए तकनीकी विनिर्देश

लाइव-स्ट्रीमिंग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के कैमरे-व्यक्तियों या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित की जाएगी। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत नहीं है, उसे किसी भी कार्यवाही को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कैमरों का ध्यान केवल उन न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं पर केंद्रित होना चाहिए जो मामले को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए पीठ के समक्ष गुहार लगाते हैं।

कैमरा मीडिया और आगंतुकों की दीर्घाओं को फिल्म नहीं बनाएगा। जब कोई न्यायाधीश कोई आदेश या निर्णय दे रहा होता है या कोई अवलोकन या जांच कर रहा होता है तो कैमरे बेंच पर ज़ूम इन कर सकते हैं।

अधिवक्ता; और

निम्नलिखित संचारों का फिल्मांकन नहीं किया जाएगाः

क) पीठ के न्यायाधीशों के बीच चर्चा;

ख) प्रशासनिक कर्मचारियों को निर्देश देने वाला कोई भी न्यायाधीश

अदालत;

ग) कोई भी कर्मचारी सदस्य जो न्यायाधीश को कोई संदेश देता है।

या न्यायाधीश को कोई दस्तावेज प्रसारित करना;

घ) अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश द्वारा हटाए गए नोट;

और

ई) अदालत में प्रस्तुत करते समय सहायता के लिए एक वकील द्वारा कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए नोट।

डी. अभिलेखन

1. प्रत्येक दिन की कार्यवाही की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री की दृश्य-श्रव्य इकाई में संरक्षित किया जाएगा।

2. अदालत की कार्यवाही के सभी प्रसारणों के अभिलेखागार जो

वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीम किया जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय का; और

3. पिछली कार्यवाही के वीडियो फुटेज की हार्ड प्रतियां उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वीडियो फुटेज होगा

निष्पक्ष और सटीक के एकमात्र उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया

उच्चतम न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग।

ई. प्रसारण कक्ष

1. रजिस्ट्री कार्यवाही के प्रसारण के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के परिसर के भीतर एक या अधिक कमरे या एक कक्ष उपलब्ध कराएगी। अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ कई स्क्रीन लगाए जाएंगे।

वादियों, पत्रकारों, प्रशिक्षुओं, आगंतुकों और वकीलों को प्रसारण कक्ष (ओं) में अदालत की कार्यवाही देखने में सक्षम बनाना। दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

एफ. विविध

1. सर्वोच्च न्यायालय वीडियो पर अनन्य कॉपीराइट रखेगा।

ऑनलाइन प्रसारित और रजिस्ट्री के साथ संग्रहीत; और

2. पुनः उपयोग, कब्जा, पुनः संपादन या पुनर्वितरण, या व्युत्पन्न कार्य बनाना या प्रसारण या वीडियो फुटेज को किसी भी रूप में संकलित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि इसमें अधिसूचित किया जाए।

उपयोग के नियम और शर्तें और लिखित के बिना रजिस्ट्री की अनुमति।

मैं इन प्रयासों को स्वीकार और सराहना करना चाहूंगा और

विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया भाषण

सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री मैथ्यूज

एमपारा, विद्वान वकील और कानून के छात्र श्री स्वप्निल त्रिपाठी ने भी अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की।

ए. के. त्रिपाठी

लेखन याचिकाओं की

अनुमति दी गई।